Par. S. 17. 1. 29. 52
285

अंक १

संख्या २९

शुक्रवार

२७ जून, १९५२

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १८५९—१९००]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १९००—१९२०]

(मूल्य ४ आने)

402 P.S.D.

लोक सभा

शुक्रवार, २७ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

समुद्रपार रेडियोसंचरण स्टेशन

*१२५६. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) कलकत्ता के समीप समुद्रपार रेडियो-संचरण के लिए प्रसारण तथा ग्राहक स्टेशनों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) कब तक सेवा आरम्भ हो जाने की आशा है;

(ग) निकट भविष्य में इस प्रकार के कितने प्रादेशिक स्टेशनों के चालू हो जाने की आशा है और किन किन स्थानों पर; तथा

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन के साथ इन स्टेशनों से सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ किन्तु प्रसारण स्टेशन के लिए एक स्थान अवाप्त कर लिया गया है और संग्राहक स्टेशन के लिए एक स्थान अवाप्त करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं।

(ख) थोड़े ही महीनों में एक प्रारंभिक अग्रिम स्टेशन के चालू हो जाने की आशा है।

(ग) मैं आपका ध्यान श्री आर० एस० तिवारी के २३ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के भाग (ख) के उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(घ) मैं आप का ध्यान श्री आर० के० तिवारी के तारांकित प्रश्न संख्या ४१४९ के भाग (ग) के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं, जो कि १५ मई, १९५१ को श्री रफी अहमद किदवाई द्वारा दिया गया था। तथापि शीघ्र निर्देश के लिए जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४।**]

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि प्रस्तावित योजना कब कार्यान्वित की जायेगी और क्या इस से ऐसा तो नहीं होगा कि कोई देश जिस में हमारा विदेशी राजदूतावास हो इस देश के दिन प्रति दिन के समाचार प्राप्त करने में असमर्थ हो जायेगा?

श्री राज बहादुर: विस्तार की यह योजना भारत सरकार की पंच-वर्षीय

योजना का एक भाग है। मुझे भय है कि प्रश्न का दूसरा भाग स्पष्ट नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता में इस योजना को चालू करने से केवल उन स्थानों को, जिन का उल्लेख विवरण में किया गया है, समाचार भेजे जायेंगे या अन्य देशों को भी भेजे जायेंगे ?

श्री राज बहादुर: कुल संचरण का ३० प्रति शत भाग कलकत्ता से होता है। हमें आशा है कि कलकत्ता में इस स्टेशन के खुल जाने से वहां से आस्ट्रेलिया, चीन, इन्डोनेशिया, इंगलिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका, फिलीपीन, तथा फ्रेंच हिन्द-चीने को तार सेवा और संयुक्त राज्य अमरीका को दूरभाष सेवा आरम्भ हो जायेंगी। इस से कुछ संचरण, जो कि इस समय बम्बई से होता है, कलकत्ता से होने लगेगा। दूसरे शब्दों में इस का अर्थ यह है कि ब्रिटेन और कलकत्ता के बीच और कलकत्ता और पूर्वी प्रदेशों के बीच बेतार टेलीग्राफ़ तथा रेडियो दूरशाष संवाद वादन, जो कि अब बम्बई से होता है, कलकत्ता से किया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता में यंत्र सामग्री स्थापित करने और भवन बनाने पर अनुमानत: क्या लागत आयेगी ?

श्री राज बहादुर: कलकत्ता में यंत्र-सामग्री पर १७·४ लाख रुपया व्यय होगा।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत और अन्य देशों के बीच ये दूर संचरण सेवायें लन्दन के संक्रमण केन्द्र से अलग स्वतंत्र रूप से काम करेंगी ?

श्री राज बहादुर: हमें ऐसी ही आशा है। हम अधिक से अधिक देशों के साथ स्वतंत्र सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।

होम्योपैथिक जांच समिति प्रतिवेदन

*१२५७. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि होम्योपैथिक जांच समिति की सिफारिशों पर भारतीय चिकित्सकीय परिषद् की रायें प्राप्त हो गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो वह क्या हैं ?

(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर भारत सरकार अपना निर्णय कब करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां।

(ख) भारतीय चिकित्सकीय परिषद् की राय यह है कि भारत में केवल एक चिकित्सा प्रणाली होनी चाहिये। अर्थात् परिषद् द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम समान स्तर की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के और देशी चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी के सिद्धान्त तथा प्रयोग में मौलिक भेदों को ध्यान में रखते हुए परिषद् की राय में, आधुनिक चिकित्सा के स्नातकपूर्व प्रशिक्षणक्रम के अवसर में आधुनिक चिकित्सा और किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली की एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था, जैसी कि तृतीय स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन ने सिफारिश की है, बहुत असन्तोषजनक होगी परिषद् ने आगे यह राय प्रकट की है कि देशी चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी की शिक्षा को केवल प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर क्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जाये, जब कि भावी व्यवसायी ने आधुनिक चिकित्सा में आधारभूत योग्यता प्राप्त कर ली हो, जैसा कि इंगलिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोप खंड में किया जाता है।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विषय में भारत चिकित्सा परिषद् की रायों में और होम्योपैथिक जांच समिति की तथा तृतीय स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों में भेद है, राज्य सरकारों के परामर्श के साथ इस विषय पर आगे विचार किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि भारतीय चिकित्सा परिषद् की राय पृथक् रूप से मांगने का क्या कारण था, जब कि अन्य संस्थाओं की परीक्षा होम्योपैथिक जांच समिति द्वारा की गई थी ?

राजकुमारी अमृत कौर : श्रीमान्, माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि भारतीय चिकित्सा परिषद् एक स्थायी निकाय है और चिकित्सा विषयक शिक्षा के प्रश्नों में इसकी राय ली जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि भारतीय चिकित्सा परिषद् की राय के बारे में, माननीय मंत्री को होम्योपैथिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से अब तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: मुझे किन्हीं अन्य संस्थाओं ने अभ्यावेदन नहीं भेजे किन्तु होम्योपैथी का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन में से कुछ भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिपारिशों से सहमत हैं और कुछ असहमत हैं । और मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि होम्योपैथी के समर्थकों का आपस में ही पूरा मतैक्य नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि एक केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्था की स्थापना के बारे में मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन के सुझावों को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति की है ?

राजकुमारी अमृत कौर : चिकित्सा परिषद् की राय प्राप्त कर लेने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता था ।

श्री टी० एस० ए० चैट्टियर: श्रीमान्, मैं ने माननीय मंत्री का वक्तव्य नहीं सुना । श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक प्रणालियों की शिक्षा स्नातकपूर्व अवस्था में दी जायेगी या स्नातकोत्तर अवस्था में ? इस विषय में चिकित्सा परिषद् की क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : इसे स्नातकपूर्व अवस्था में नहीं किन्तु स्नातकोत्तर अवस्था में पढ़ाना चाहिये ।

पंडित लिंगराज मिश्र: क्या माननीय मंत्री को किन्हीं राज्यों से होम्योपैथी पर किन्हीं विधेयकों के प्रारूप प्राप्त हुए हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: जी हां, श्रीमान् । होम्योपैथी के पंजीयन के बारे में कुछ राज्यों ने हमें विधेयक भेजे थे ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

टिड्डी नियंत्रण कार्यवाही (सम्मेलन)

***१२५८. श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में हाल में आयोजित राज्य पौधा रक्षण पदाधिकारियों तथा टिड्डी नियंत्रण कार्यवाही के अभारी प्रशासकीय पदाधिकारियों के सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया था ?

(ख) सम्मेलन की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). जानकारी

देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, विवरण में यह लिखा है कि राज्यों तथा केन्द्र दोनों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना वांछनीय है । क्या मैं जान सकता हूं कितने प्रशिक्षण केन्द्र जारी किये गये हैं और टिड्डी नियंत्रण योजनाओं में उच्च प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्तियों को विदेशों में भेजा गया है ?

श्री करमरकर : १०, १२ और १३ मई १९५२ को टिड्डी प्रतिबंधक कार्यवाही का एक प्रशिक्षण क्रम जोधपुर में दिया गया था और टिड्डियों का प्रतिबन्ध करने और ग्रामों, तहसीलों तथा ज़िलों में इस प्रकार की कार्यवाही की व्यवस्था करने के लिये राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों को एक सम्मेलन में बुलाया गया था । निकट भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण देने का विचार नहीं है । प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, क्या सम्मेलन ने चालू वर्ष में टिड्डियों द्वारा होने वाली हानि का अनुमान लगाया है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि जब दिल्ली में इस सम्मेलन में विचार विमर्श हो रहा था पाकिस्तान से टिड्डियों के बड़े बड़े दलों ने राजस्थान के सीमान्त राज्य पर आक्रमण कर दिया था और क्या उन्हें रोक दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नेसवी : क्या सरकार को विदित है कि करनाटक में गेहूं की फ़सल को एक कीड़ा लग जाता है, जिसे गेरवा कहते हैं ? १९४८ या १९४९ में इस में इतना गेरवा पड़ा था कि सारी फसल नष्ट हो गई । क्या इसे रोकने के लिये सरकार ने कोई प्रभावशाली उपाय निकाले हैं ?

श्री करमरकर : मैं इस मामले की जांच करना चाहूंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या हर दिशा से और हर मौसम में विदेशों से टिड्डियों के दल भारत आ जाते हैं ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये । मैं जांच करूंगा कि यह दल किन दिशाओं से आये हैं ।

तटीय मत्स्य-ग्रहण

*१२५९. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५१-५२ में तटीय मत्स्य-ग्रहण में सुधार करने के लिये सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) प्रत्येक समुद्रवर्त्ती राज्य को इस प्रकार की कितनी सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इन ऋणों तथा अनुदानों की मंजूरी दी गई थी :—

मद्रास—१६०,०२५ रुपये का अनुदान

पश्चिमी बंगाल—३५०,००० रुपये का ऋण

सौराष्ट्र—३२,५०० रुपये का अनुदान और १९५,००० रुपये का ऋण ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार किसी निजी कम्पनी या समवाय को कोई सहायता दे रही है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में, किन्तु मेरा कहना शोधनाधीन है, यह राशियां राज्य सरकारों को दी जा रही हैं और समुद्र तटवर्त्ती मीन-क्षेत्रों को अधिक अन्न उपजाओ निधि में से यह वित्तीय सहायता मिल सकती है :—

(१) मछुओं को सूत तथा अन्य मछली पकड़ने की सामग्री ।

(२) मछुओं को नाव और जाल ।

(३) विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से गहरे समुद्र की मछली पकड़ना ।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि अन्य देशों को झींगा मछली का निर्यात करने के लिये दी गई सुविधाओं की कमी के के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या पकड़ी हुई मछली को आन्तरिक स्थानों पर पहुंचाने के लिये सुविधायें की कमी के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री करमरकर : मुझे इस प्रकार की किसी शिकायत का ज्ञान नहीं है। मैं जांच करूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती: क्या मैं जान सकती हूं कि ३५०,००० रुपये में से, जो कि पश्चिमी बंगाल को दिये गये हैं, कितनी राशि गहरे समुद्र में मत्स्य-ग्रहण की योजना के लिये दी गई है और कितनी छोटे छोटे मछुओं के लिये दी गई है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार से यह विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से गहरे समुद्र के मत्स्य-ग्रहण के लिये है और मेरी सूचना यह है कि अनुमानतः ४५०,००० टन मछली पकड़ी जायेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहती हैं कि ३५०,००० रुपये की कुल राशि में से कितनी राशि गहरे समुद्र के मत्स्य-ग्रहण के लिये और किनी निजी मछुओं के लिये दी गई है ।

श्री करमरकर : श्रीमान, यह मुझे ज्ञात नहीं है ।

श्री पाटसकर : क्या बम्बई सरकार ने कोई सहायता मांगी थी ?

श्री करमरकर : इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है ?

श्री एम० डी० जोशी : उन विभिन्न राज्यों ने जिन्हें सहायता दी गई थी, सुधार के क्या तरीके आपनाये हैं ?

श्री करमरकर : यह कठिन प्रश्न है । जैसा कि मैं ने पहले कहा था, सूत तथा नावों के लिये अधिक अन्न उपजाओ निधि में से सहायता दी जाती है और गहरे समुद्र के मत्स्य-ग्रहण के लिये विदेशी विशेषज्ञों द्वारा सहायता दी जाती है । इन तीन मदों के अन्तर्गत सहायता दी गई है ।

चीनी की मिलों की प्रार्थित पूंजी

*१२६०. **डा० पी० एस० देशमुख**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री भारत में चीनी की मिलों की प्रार्थित पूंजी बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

खाद्य स्थिति

*१२६१. **श्री बी० आर० भगत**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ के आरम्भ में देश में खाद्य संचय कितना था ;

(ख) सन् १९५२ के अन्त में अनुमानित खाद्य संचय कितना होगा ; तथा

(ग) सन् १९५२ के आरम्भ तथा अन्त में चावल संचय स्थिति क्या होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) वर्ष के आरम्भ में सरकार के पास १३३७ हजार टन खाद्यान्न संचय था ।

(ख) निकासी, समाहार तथा आयात के वर्त्तमान प्राक्कलनों के आधार पर, १९५२ के अन्त में खाद्यान्न का संचय लगभग २,९०० हजार टन होगा ।

(ग) वर्ष के आरम्भ में सरकार के पास चावल का संचय ४५३ हजार टन था । निकासी समाहार तथा आयात के वर्तमान प्राक्कलनों के आधार पर सन् १९५२ के अन्त में चावल का संचय लगभग ९५० हजार टन होगा ।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि क्या अगले वर्ष मूल्यों को नीचे रखने के लिये, इस वर्ष के अन्त का संचय अवशेष पूरा होगा ?

श्री करमरकर : अभी यह प्रश्न पूछना समय से बहुत पूर्व होगा । मेरे विचार में जितना भी संचय होगा, मूल्यों को कम करने का काम देगा ।

श्री बी० आर० भगत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोदामों से निकासी निरन्तर कम होती जा रही है, सरकार ने खाद्यान्न के व्यर्थ नाश और खराबी को रोकने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

श्री करमरकर : मेरे विचार से सरकार नाश और खराबी को रोकने के लिये सदा कार्यवाही करती है, किन्तु यदि मेरे मित्र ब्यौरा जानना चाहते हैं, तो मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि क्या समाहार का लक्ष्य इस वर्ष अधिक है और अन्त में आन्तरिक रूप से समाहृत और आयात खाद्यान्न के संचय अवशेष का ब्यौरा क्या होगा ?

श्री करमरकर : इस वर्ष के लिये समाहार लक्ष्य यह है :

चावल——२४९७,००० टन
गेहूं——— ६,८६,००० टन
अन्य खाद्यान्न ————४२,३००० टन
योग---३६,४६,००० टन

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ के आरम्भ में देश में खाद्यान्न का संचय क्या था ? यदि माननीय मंत्री यह आंकड़े नहीं बतला सकते, तो क्या वे कृपा करके यह बतलायेंगे कि उस समय का संचय सन् १९५२ के आरम्भ के संचय से कम था या अधिक ?

श्री करमरकर : मेरे पास १ जनवरी १९५१ के संचय के आंकड़े नहीं हैं, जनवरी १९५२ के आंकड़े हैं, जो कि मैं बतला चुका हूं ।

श्री बी० के० दास : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ४५३००० टनों में से कितना संचय केन्द्रीय सरकार के पास था और कितना राज्य सरकारों के पास ?

श्री करमरकर : राज्य सरकारों के पास संचय ४५१,००० टन था और केन्द्रीय सरकार के गोदामों में संचय केवल २००० टन था ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रोक्योरमैंट (समाहार) से जो गल्ला (अनाज) आया है और जो हमारे पास स्टाक (संचय) है, वह ६ महीने के वास्ते काफ़ी नहीं होगा ?

श्री करमरकर : मुझ इसके बारे में नोटिस (पूर्व सूचना) चाहिये, अभी तो हमारे पास स्टाक (संचय) काफ़ी है ।

श्री पोकर साहब : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर देते हुए सरकार ने राशनिंग हटाने के आदेश के परिणाम को ध्यान में रखा है ?

श्री करमरकर : श्रीमान, मुझे खेद है कि मैं इस सम्बन्ध में राशनिंग हटाने के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री बी० आर० भगत : इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अतिरेक वाले राज्यों में समाहार का लक्ष्य पर्याप्त नहीं है । मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष समाहार के लक्ष्य को बढ़ाने के लिये है?

श्री करमरकर : मैं इन राज्यों के लक्ष्यों के बारे में पूर्व सूचना चाहूंगा किन्तु समाहार बढ़ाने के लिय राज्य यथासंभव अधिकाधिक कार्यवाही कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, क्या मैं मध्य प्रदेश के बारे में एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रत्येक राज्य के बारे में प्रश्न पूछा जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : वहां समाहार लक्ष्य से अधिक हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्रीमती खोंगमन : श्रीमान् क्या मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सकती हूं कि मुझे एक कोरा प्रश्नपत्र दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । संभवत : यह मुद्रक की गलती है । आप सचिव महोदय का ध्यान इस ओर दिला सकती हैं— सदन में इस इस बिषय की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

छंटनी तथा पुनर्नियुक्ति

***१२६३. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **गृहकार्य** मंत्री ८ फ़रवरी १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२८७ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी विवरण के अनुसार छंटनी किये हुए उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें अब तक पुनर्नियुक्त कर दिया गया है ; तथा

(ख) सम्बन्धित मंत्रालयों में यदि कोई नई नियुक्तियां हुई हैं, तो उनकी संख्या क्या है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सात, जिनमें एक सहायक तीन लिपिक और तीन चपरासी हैं ।

(ख) २८ जिनमें से ८ सहायक, १४ लिपिक और ६ चपरासी हैं ।

जापान से चल-स्कन्ध

***१२६६. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में जापान से कितना चल-स्कन्ध खरीदा जायेगा ?

(ख) देश के किन भागों में बिजली की गाड़ियां चलाने का विचार है और १९५२-५३ में ऐसी कितनी गाड़ियां खरीदी जायेंगी ?

(ग) १९५२-५३ से आरम्भ होने वाले आगे के तीन वर्षों में आवश्यकताओं के

आक्कलनों के अनुसार इंजनों, यात्री डब्बों तथा माल के डब्बों की संख्या क्या होगी और इनमें से भारत में कितने बनाने की अपेक्षा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री **एल० बी० शास्त्री**) : (क) सरकार का विचार जापान से पूरी गाड़ियां खरीदने का नहीं है किन्तु हाल में परीक्षण के रूप में एक जापानी निर्माता को मीटर गेज की यात्री गाड़ियों के १० निचले ढांचों के लिये व्यादेश दिया गया है ।

(ख) इस समय किसी स्थान पर नये रेल पथों को बिजली से संचालित करने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। सन् १९५२-५३ में मद्रास उपनगर विद्युत सेवा के लिये २४ मीटर गेज डब्बों के व्यादेश देने का विचार है।

(ग) सन् १९५२-५३ से शुरू होने वाले ३ वर्षों में हम संभवतः ७५० इञ्जन, ३४५० यात्री डब्बे और २८५०० माल के डब्बे खरीदेंगे। आशा है कि इन में से ५१० इञ्जन, २८५० यात्री डब्बे और १९,५०० माल के डब्बे भारत में बनाये जायेंगे ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कितनी बिजली की गाड़ियां चल रही हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गाड़ियों के देशी उत्पादन के अतिरिक्त कितनी गाड़ियां और लेनी पड़ेंगी और इन को किन देशों से आयात करने का इरादा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : आशा है कि अगले पांच वर्षों में हम अपने निर्माण के सम्बंध में आत्मनिर्भर हो जायेंगे किन्तु बीच के समय में उन के बदलने के काम को पूरा करने के लिये हम यूरोप तथा इंग्लैण्ड से इंजन डब्बे आदि आयात करेंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियर : मैं जान सकता हूं कि क्या जापानी निर्माताओं द्वारा कथित मूल्य यूरोपीय फ़र्मों द्वारा कथित मूल्यों से कम है या अधिक ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मेरे पास जानकारी नहीं है । वास्तव में हम इस मामले की जांच करना चाहते हैं। अतः हम ने परीक्षण के लिए केवल १० इञ्जनों का व्यादेश दिया है ।

८ मिक्स्ड डाऊन गाड़ी की दुर्घटना (दावे)

***१२६७. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शाहदरा-सहारनपुर रेलवे पर, गोत्रा और नोली के बीच ३ सितम्बर, १९५१ को ८ मिक्स्ड डाऊन गाड़ी की दुर्घटना के सम्बन्ध में सब दावों का अन्तिम निर्णय कर दिया गया है ?

(ख) दावों की कुल राशि क्या थी और कितनी राशि देने की आज्ञा दी गई है ?

(ग) दावों को स्वीकार करने की कसौटी क्या थी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) दावों की कुल राशि १,४२,०२७ रुपये थी। ११,७६७ रुपये के लिए आज्ञप्ति दी गई थी ।

(ग) सब दावे श्री बाबू राम वर्मा, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा, जिन्हें इस दुर्घटना के सम्बन्ध में

द्वारा आयुक्त नियुक्त किया गया था, प्राप्त और निर्णीत किये गये थे। इन निर्णीत राशियों का निश्चय उन्होंने भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० की धारा ८२ जे के शब्दों में रेलवे दुर्घटना प्रतिकर नियम १९५० की अनुसूची में दिये हुए प्रतिकर की दरों के अनुसार तथा दुर्घटना के परिणाम स्वरूप यात्री की मृत्यु अथवा चोट के कारण दावेदार की साक्ष्यसिद्ध आय की हानि को ध्यान में रखते हुए किया था।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि दुर्घटना से रेलवे को अनुमानतः वास्तविक क्या हानि हुई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे ज्ञान नहीं है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि चोट तथा मृत्यु के लिये दावे की राशि क्या थी और क्या सम्पत्ति की हानि के लिये भी दावा किया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : न्यायालय में कुल २४ दावे दाखिल किये गये थे। इन की राशि लगभग १४२,०२७ रुपये थी। इन में से १४ दावे जिन की राशि ६४,००० रुपये थी, अस्वीकारकर दिये गये थे।

रेलवे सम्बन्धी झगड़े

***१२६८. श्री एस० एन० दास :** क्या रेल मंत्री ३ अक्तूबर, १९५१ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १४७२ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों तथा प्रशासन के बीच के झगड़ों का निपटारा करने के लिए स्थायी तन्त्र स्थापित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार गठित किया गया है

(ग) इस के कार्यकरण के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ;

(घ) इस का आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय क्या होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). यह व्यवस्था तीन श्रेणियों में होगी; पहली रेलवे स्तर पर होगी, और अभिजात संघों को जिला विभागीय पदाधिकारियों तक और इस के आगे मुख्यालय के पदाधिकारियों तक, जिन में प्रमुख प्रबन्धक भी सम्मिलित हैं, जाने का अधिकार होगा। दूसरी श्रेणी में, उन मामलों का निर्णय, जिन्हें रेलवे स्तर पर नहीं निपटाया गया प्रत्येक संधान के परामर्श से रेलवे बोर्ड द्वारा किया जायेगा। तीसरी श्रेणी में, उन मामलों को, जिन के सम्बन्ध में संधान और रेलवे बोर्ड कोई निश्चय नहीं कर सके और जो काफ़ी महत्त्व के हैं, एक तदर्थ रेलवे-न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा। इस न्यायाधिकरण में रेलवे प्रशासन के और श्रमिकों के समसंख्य प्रतिनिधि होंगे और इस का अध्यक्ष एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा। सरकार को न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या बदलने का अधिकार होगा।

(घ) जब तक एक तदर्थ रेलवे न्यायाधिकरण नियुक्त नहीं होता कोई आवर्तक या अनावर्तक व्यय नहीं होगा।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस संस्था या सस्थाओं ने काम शुरू कर दिया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि निर्दिष्ट तथा निर्णीत मामलों की संख्या क्या है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि कितने मामले निपटाये गये हैं किन्तु जिला तथा विभागीय स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। उदाहरण के लिये उत्तरी रेलवे में १२ बैठकें हुई, उत्तर पूर्वी में १३, पूर्वी में ४९, पश्चिमी में २०, केन्द्रीय में १ और दक्षिण में २७।

रेलवेज़ के मुख्यालय स्तर पर भी बहुत सी बैठकें हुई थीं।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि यह तन्त्र कब स्थापित किया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मैं ठीक ठीक तिथि नहीं बतला सकता।

श्री श्यामनन्दन सहाय: सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या रेल कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ता मिलाने का प्रश्न भी इस संस्था को निर्दिष्ट किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जी नहीं, यह इस संस्था को निर्दिष्ट नहीं किया गया। इसे एक पृथक् समिति को, जिसे अभी नियुक्त नहीं किया गया, निर्दिष्ट किया जायेगा।

श्री वैलायुधन : न्यायाधिकरण के गठन के बारे में, मैं जान सकता हूं कि क्या सब श्रमिक संघों को न्यायाधिकरण में प्रतिनिधित्व दिया जायगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मैं सदन को बतला चुका हूं कि निचले स्तर पर जिलों तथा विभागों में गठन कैसे होगा। मैं नहीं कह सकता कि श्रमिकों को ठीक ठीक कितना प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। किन्तु तदर्थ रेलवे न्यायाधिकरण में रेलवे प्रशासन और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की समान संख्या और इस का अध्यक्ष एक निष्पक्ष न्यायाधीश होगा।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इन न्यायाधिकरणों में प्रतिनिधित्व के लिये श्रमिक संघों के पारस्परिक दावों को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह उन के अभिज्ञात होने पर निर्भर है। हम केवल उस संघ को प्रतिनिधित्व देंगे जो कि अभिज्ञात हो।

श्री राघवय्या : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या निकाले गये रेलवे कर्मचारियों की बहाली के मामलों पर भी यह न्यायाधिकरण विचार करेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

मंगलौर मद्रास एक्सप्रैस (शीत संग्रह)

*१२६९. **श्री केलप्पन:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कच्ची मछली को पश्चिमी तट से पूर्वी जिलों में ले जाने के लिये मंगलौर मद्रास एक्सप्रैस में शीत संग्रह का प्रबन्ध करने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री : (क) जी हां। पश्चिमी पट के स्टेशनों से मद्रास को विद्युत-वेष्टित डब्बों में मछली ले जाने के लिये, दक्षिणी रेलवे को मद्रास सरकार के मीन-क्षेत्र संचालक से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी।

(ख) मीन-क्षेत्र विभाग के प्रयास के बावजूद मछली के व्यापारियों ने, दक्षिणी रेलवे की ओर से एक विद्युत-वेष्टित डिब्बा देने के प्रस्ताव से लाभ नहीं उठाया ।

श्री केलप्पन : मैं जान सकता हूं कि इस से लाभ क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । लाभ उठाने या न उठाने का निर्णय करना व्यापारियों का काम है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या प्रस्ताव से लाभ इसलिये नहीं उठाया गया था क्योंकि वस्तु भाड़ा अधिक था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है ।

श्री अच्युतन : क्या दक्षिणी रेलवे की किसी और लाइन पर ऐसी व्यवस्था जारी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : संभवतः नहीं, किन्तु मेत्तूर बांध पर मद्रास सरकार के मीन-क्षेत्रों से मद्रास को मछली ले जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

लोको शेड

*१२७०. **श्री गणपति राम :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में खास कर उत्तरी तथा उत्तरपूर्वी महाखंडों में, कितने लोको शैड हैं ;

(ख) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में उत्तरी महाखंड और उत्तर-पूर्वी महाखंड के लोको शैडों में कितने इञ्जनों की मरम्मत की गई ; तथा

(ग) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में उक्त महाखंडों में कितने कारीगर तथा फटर नियुक्त थे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) भारत में २६३ लोको-शैड हैं, जिन में से ४२ उत्तरी और ४६ उत्तर पूर्वी महाखंड में हैं ।

(ख) तथा (ग). उत्तरी और उत्तरपूर्वी महाखंड सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में बने नहीं थे । उन रेलवे के सम्बन्ध में, जो कि अब इन महाखंडों में स्थित हैं, १९५०-५१ और १९५१-५२ की जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री गणपति राम : मैं जान सकता हूं कि क्या फिटरों तथा कारीगरों की कुल संख्या तथा प्रतिशतता सन् १९४७ से १९५२ तक की अवधि में बढ़ गई थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि फिटरों और कारीगरों की मजूरी और सेवा की शर्तें क्या हैं—क्या वे दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हैं और कार्य के प्रकार के अनुसार उन की दरें क्या हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : स्पष्ट है कि मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कचरापाड़ा लोको शेड को उत्तर-पूर्वी महाखंड में किस स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

विन्ध्य प्रदेश में रेल-पथ

*१२७१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विन्ध्य प्रदेश में किसी नये रेल पथ के निर्माण के बारे में सरकार का कोई पग उठाने का विचार है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके सामने क्या प्रस्ताव हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल बी० शास्त्री) : विन्ध्य प्रदेश में नये रेल पथ बनाने के लिए निम्न प्रस्ताव विचाराधीन हैं

(१) हरपालपुर और छतरपुर के रास्ते से सुमेरपुर से कटनी तक

(२) सिंगरोली के रास्ते गढ़वा रोड से मानिकपुर तक

(३) उमरिया शाखा किन्तु अभी तक इनमें से किसी के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या वह उन रेल पथों को जिन्हें युद्ध काल में बन्द कर दिया गया था, पुनः चालू करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री वी० डी० शास्त्री : क्या पंच वर्षीय योजना के अन्दर कोई ऐसी स्कीम (योजना) है कि जिस से विन्ध्य प्रदेश में रेलवे लाइन निकाली जा सके ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी तक तो स्कीम (योजना) में नहीं है लेकिन जैसा मैं ने अभी बताया इन तीनों लाइनों पर विचार हो रहा है । अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि नये रेल पथ बनाने के बारे कोई म नीति है और यदि हां, तो वह नीति क्या है

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विशाल प्रश्न है और इस का उत्तर संक्षिप्त रूप से नहीं दिया जा सकता ।

कृषि श्रमिक

*१२७२. **श्री रघवय्या** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४८ से १९५२ तक की अवधि में कुल कितने कृषि श्रमिक बेकार थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : कृषि श्रमिकों की बेकारी के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि कृषि श्रमिक जांच की तीसरी अवस्था पर गहन पारिवारिक अध्ययन में पुरुष कृषि श्रमिकों की बेकारी के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं । इन्हें सारिणीबद्ध किया जा रहा है और इसके समाप्त होने पर गहन पारिवारिक अध्ययन के अधीन नमूने के तौर पर चुने हुए कृषि श्रमिकों के परिवारों के पुरुष श्रमिकों की बेकारी के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान हो सकेगा।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं गत दस वर्षों में कृषि श्रमिकों में बेकारी बढ़ा रही है या घट रही है ।

श्री करमरकर : जैसा कि मैं ने कहा है हमारे पास कृषि श्रमिकों की बेकारी के बारे में आंकड़े नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार बेकार कृषि श्रमिकों की गणना करेगी ?

श्री करमरकर : हम यह सुझाव स्वीकार करते हैं, श्रीमान् ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या उस अध्ययन में, जिस का माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है, स्त्री कृषि श्रमिकों के बारे में, और पुरुष कृषि श्रमिकों

की अपेक्षा उन की मजूरी में अन्तर के बारे में कोई वास्तविक आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं?

श्री करमरकर: जैसा कि मैं ने कहा है, नमूना अध्ययन केवल पुरुषों के लिये है, यह एक कठिन काम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यथासमय हम एक पूरा अध्ययन करेंगे।

दक्षिण में वनस्पति के कारखाने

*१२७३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वनस्पति के जो नये कारखाने दक्षिण में सन् १९४६ से खोले गये थे, वे लगभग सब के सब उत्पादन शुरू होने से पहिले ही बन्द कर दिये थे और यदि हां, तो क्यों ;

(ख) इन कारखानों में जनता का कितना धन लगा हुआ है ; तथा

(ग) क्या सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन देने की संभाव्यता की जांच कर रही है और यदि हां, तो किस तरह?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं। उन १२ कारखानों में से जिन्हें १९४६ के बाद से दक्षिण में स्थापित करने की आज्ञा दी गई है, ७ में उत्पादन शुरू हो चुका है। शेष ५ कारखानों को स्थापित करने का कार्य अभी पूरा नहीं किया गया।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : माननीय मंत्री ने कहा है कि १२ कारखानों में से ७ में उत्पादन शुरू हो चुका है। मैं जान सकता हूं कि क्या इन ७ कारखानों में पूरा उत्पादन, अर्थात् उनके सामर्थ्य के अनुसार उत्पादन हो रहा है?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि उन का उत्पादन काफी है। मैं यह नहीं कह सकता कि उन में "पूरा" उत्पादन हो रहा है।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रोडक्ट (माल) कारखानों में तैयार होता है उस का गवर्नमेंट के निरीक्षक निरीक्षण करते हैं?

श्री करमरकर: सब चीजों का सरकार द्वारा निरीक्षण होता है।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे कारखानों को स्थापित करने के लिये नयी अनुज्ञप्तियां देना सरकार की नीति है?

श्री करमरकर : जी नहीं। इस समय हम समझते हैं कि देश में उत्पादन-सामर्थ्य पर्याप्त है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के हेतु कच्चे मूंगफली के तेल के स्थान पर, जमाये हुए तेलों के निर्यात की आज्ञा दी जायेगी?

श्री करमरकर : मेरे विचार में इसे निर्यात करने की आज्ञा दी जाती है।

भाऊ साहेब पाटिल : मैं जान सकता हूं कि क्या यह वनस्पति-घी राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए हानिकर ह?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से इस का वर्त्तमान प्रश्न से बहुत दूर का सम्बन्ध है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या मैं जान सकता हूं कि १२ में से जो पांच कारखाने अभी तक बन नहीं चुके हैं उन की कोई आवश्यकता है?

श्री करमरकर : हमारा ख्याल है कि अभी तक जो उत्पादन वनस्पति घी का होता है वह हमारे लिए काफी है। अभी

जिन कारखानों ने प्रोडक्शन (उत्पादन) शुरू नहीं किया है शायद उसका कारण यह है कि उनके दिल में शंका है कि उनका वनस्पति घी बिक सकेगा या नहीं।

श्री दाभी : क्या यह सत्य है कि जैसे घी में वनस्पति की मिलावट की जाती है, वैसे विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की सहायता से वनस्पति निर्माताओं द्वारा वनस्पति में कुछ घटिया चीज़ों की मिलावट की जाती है।

श्री करमरकर : किसी भी चीज़ में किसी अन्य चीज़ की मिलावट हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

चीनी उद्योग पर उपकर

*१२७४. **श्री बी० ऐन० राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में, भारत सरकार को चीनी उद्योग से केन्द्रीय शुल्क के रूप में (राज्य-वार) कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) इन वर्षों में इस उद्योग के विकास के लिए कितनी राशि दी गई ; तथा

(ग) क्या इस वर्ष इस उद्योग के विकास की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण जिस में सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत सरकार द्वारा चीनी उद्योग से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क (राज्यवार) बतलाया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ख) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत सरकार ने चीनी उद्योग के विकास के लिए ये अनुदान दिये :

	लाख रुपये
१९४९-५०	६.७८
१९५०-५१	१५.२४
१९५१-५२	१०.०९

(ग) जी हां।

श्री बी० एन० राय : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि चीनी उद्योग में एक संकटावस्था उत्पन्न हो रही है ?

श्री करमरकर : मुझे इसके लिए पूर्वसूचना चाहिये।

श्री बी० एन० राय : मैं जान सकता हूं कि क्या भरतीय चीनी उद्योग विदेशी चीनी उद्योग से प्रतियोगिता करने की स्थिति में है ?

श्री करमरकर : मुझे इस प्रश्न के लिये भी पूर्वसूचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब अगला प्रश्न लेना चाहिये।

विन्ध्य प्रदेश में अकाल स्थिति

*१२७५. **श्री बी० डी० शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विन्ध्य प्रदेश के किसी भाग में अकाल-स्थिति के बारे में कुछ वृत्तांत मिला है ;

(ख) यदि मिला है, तो किस ज़िले को अकाल-पीड़ित बताया गया है ; और

(ग) परिस्थिति का सामना करने के लिये उठाये जा रहे पग ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). उतपन्न नहीं होते ।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या मैं यह यह मालूम कर सकता हूं कि विन्ध्य-प्रदेश से मिले हुए मिर्ज़ापुर ज़िले में अकाल है ?

श्री करमरकर : सन् १९५२ के आरम्भ से अकाल स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली । मार्च, १९५१ में विन्ध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी थी कि सहडोल, सीधी और टीकमगड़ ज़िलों में लगातार सूखे के कारण अकाल की स्थिति है । विन्ध्य-प्रदेश सरकार ने अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में तत्काल खाद्यान्न भेजा और सहायता कार्य आरम्भ किये थे ।

नज़रबन्दों का संधारण तथा प्रत्यावासन

*१२७६. श्री **एस० एन० दास** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नज़रबन्दों के संधारण तथा प्रत्यावासन के लिए विदेशी सरकारों से हमारे दावों की वसूली के सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में किन देशों ने हमारे दावों की अदायगी कर दी है और किन किन देशों ने अभी तक नहीं की ; तथा

(ग) कुल राशि जो कि अब भी देय है, क्या है और उन देशों के नाम और प्रत्येक की देय राशि क्या है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). संधारण के सम्बन्ध में ब्रह्म, सीलोन, केनिया, हांगकांग, अदन और मलाया की सरकारों ने हमारे दावों की पूरी अदायगी कर दी है । इंगलिस्तान और नीदरलैंड्स की सरकारों ने भी अपने देय का अधिकांश भाग दे दिया है ।

प्रत्यावासन सम्बन्धी व्यय, मलाया और अदन की सरकारों को छोड़ कर, बाकी सब सरकारों को अभी देना है ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७]**

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि ये हिसाब के बिल इन देशों की सरकारों को कब पेश किये गये थे ?

डा० काटजू : मैं ठीक ठीक तिथि नहीं बतला सकता, किन्तु हमारे दावों की वसूली के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि इन देशों के द्वारा अदायगी में विलम्ब का कारण क्या है ?

डा० काटजू : सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि विलम्ब अत्यधिक है । सब पुरजों की राशि ३ करोड़ रुपये से अधिक थी । इस में से २,९४,८५,००० रुपये वसूल किये जा चुके हैं और अब केवल ७ लाख रुपये की वसूली शेष है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उन देशों ने, जो कि अदायगी कर चुके हैं, अदायगियां करते समय कोई संशोधन किये थे या अपने देय की पूरी अदायगी की थी ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे ज्ञात है, कुल मांगों की राशि ३ करोड़ रुपये से अधिक थी और जितनी अदायगियां की गई हैं, वह मैं पहले बतला चुका हूं । मैं यह निश्चित नहीं कह सकता कि हिसाबों में कोई संशोधन किया गया था या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

जहाज़ी कम्पनियों को दिया गया वस्तु-भाड़ा

*१२७७. **श्री मुरारका:** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष में (१) ब्रिटिश जहाज़ी कम्पनियों को; (२) अमरीकन जहाज़ी कम्पनियों को; (३) अन्य विदेशी जहाज़ी कम्पनियों की और (४) भारतीय जहाज़ी कम्पनियों की भारतीय आयात तथा निर्यात पर पृथक पृथक कुल कितना वस्तु-भाड़ा दिया गया ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : सन् १९५१ के पत्री वर्ष में भारतीय जहाज़ी कम्पनियों को वस्तुभाड़े और यात्रियों से कुल लगभग ७७६ लाख रुपये की आय हुई। यह भारत के निर्यात तथा आयात पर दिये गये कुल वस्तु-भाड़े का लगभग ३ प्रतिशत है।

खेद है कि अपेक्षित जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। आवश्यक आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं, किन्तु इस में समय लगेगा। तब भी संभवत: पूरी पूरी अपेक्षित जानकारी नहीं दी जा सकेगी।

श्री मुरारका: मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे भारतीय जहाज़ अमरीका को माल ले जा रहे हैं और वहां से माल ला रहे हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री: जहां तक मुझे ज्ञात है कोई नहीं।

श्री मुरारका : मैं जान सकता हूं कि क्या हम सन् १९४७ में नौपरिवहन समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और यदि हां, तो कब ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकतम प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु मेरे लिए यह कहना कठिन है कि हम सन् १९४७ में निर्धारित लक्ष्य को कब प्राप्त कर सकेंगे।

पानी की कमी (योजनायें)

*१२७८. **श्री चिनारिया:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए सिंचाई की परियोजनाओं के सिवा और कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या किया गया है और भविष्य के लिए क्या योजनाए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बहु-प्रयोजन नदी, घाटी परियोजनाओं से पृथक, सिंचाई की छोटी परियोजनाओ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिए, छोटी सिंचाई के अल्पकालीन तथा माध्यमिक कार्यों द्वारा, जैसे कूओं, तालाबों, नहरों की खुदाई, नलकूपों का निर्माण आदि, काफ़ी काम किया गया है। गत तीन वर्षों में इन कार्यों के लिए राज्य सरकारों को कुल १५५३·०७ लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में और १८४०.९८ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

श्री चिनारिया: : क्या यह सत्य नहीं है कि यह सूखे हुए क्षेत्र खाद्य की कमी का मुख्य कारण हैं और क्या यह सत्य नहीं है कि २७५० लाख एकड़ भूमि सूखी हुई हालत में हैं.....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । वे क्या जानकारी चाहते हैं ? उन का प्रश्न क्या है ?

श्री चिनारिया: मेरा प्रश्न यह है कि शेष क्षेत्रों में जंब की बड़ी तथा छोटी परियोजनाओं द्वारा १० प्रतिशत भूमि को सिंचाई नहीं हो सकी, सरकार क्या करने वाली है ?

श्री करमरकर : हम अधिक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चिनारिया : क्या सरकार के पास कृत्रिम वर्षा के लिए कोई योजना है ?

श्री करमरकर : मेरा ख्याल है कि कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं?

श्री करमरकर: यह प्रश्न सिंचाई की सुविधाओं के बारे में है।

डा० पी० एस० देशमुख : यह 'कमी' के बारे में है।

श्री करमरकर : पीने के पानी के बारे में, मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री दाभी: मैं जान सकता हूं कि क्या उत्तर गुजरात में नलकूप गलाये गये हैं ?

श्री करमरकर : कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु नलकूप भारत के सब भागों में लगाये गये हैं।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि पानीवाला महाराज का, जिन्होंने इस सम्बन्ध में अच्छा काम किया है, क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस मामले का सम्बन्ध अधिकतर सौराष्ट्र सरकार से है, हम से नहीं।

श्री धुलेकर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि झांसी जिले में 'मातातिल्ला' नाम की एक योजना है, जिसके लिये ४ १/२ करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं ? क्या यह मद सिंचाई की छोटी परियोजनाओं में सम्मिलित है ?

श्री करमरकर : मुझे इस के लिये पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री पोकर साहेब: उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है, कुएं खोदने के लिये अनुदान देने से पहले, क्या सरकार ने भूमि पानी की उपलब्धता का पता लगाने के लिये भौगोलिक परिमाप करने का कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री करमरकर: योजनायें राज्य सरकारें प्रस्तुत करती हैं। इस बात का पता लगाने के लिये कि पानी कहां उपलब्ध कराया जा सकता है, वे अधिक से अधिक प्रयत्न करती हैं और हम राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की हुई योजनाओं की परीक्षा के बाद कार्यवाही करते हैं ।

अनुचित जातियों की भर्ती

*१२७९. **श्री जाटव-वीर:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रक्षित पदों पर नियुक्त करने के हेतु अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मेदवार लेने के लिये सरकार पर्याप्त प्रचार नहीं करती ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस विषय में क्या पग उठाने का विचार है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी नहीं, श्रीमान्। अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों द्वारा पूरी की जाने वाली रिक्तियों के लिये पर्याप्त प्रचार किया जाता है । माननीय सदस्य का ध्यान २८ जनवरी, १९५२ के गृह मंत्रालय ज्ञापन

संख्या ४२/२१/४६-एन० जी० एस० के पैरा ५(६) और इस के परिशिष्ट ग की ओर दिलाया जाता है, जिस की एक प्रतिलिपि श्री राजभोज के तारांकित प्रश्न संख्या ६७४ के उत्तर में, १० जून, १९५२ को सदन पटल पर रखी गई थी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

श्री जाटव-वीर : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि नौकरी के लिये जो विज्ञापन दिया जाता है वह अंग्रेज़ी ही पत्रों में दिया जाता है ?

डा० काटजू : जो जगहें सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट (केन्द्रीय सचिवालय) में अखिल भारतीय आधार पर होती हैं उन के लिये अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है इसलिये अंग्रेज़ी पत्रों में ही उन का इश्तहार (विज्ञापन) छापा जाता है। दूसरी जगहों के लिये प्रान्तीय सरकार इस काम को करती है।

श्री जाटव-वीर : जैसा कहा गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (संघ लोक सेवा आयोग) ही समाचारपत्रों को विज्ञपन देने के लिये छांटता है। क्या मैं आशा कर सकता हूं कि आगे के लिये हिन्दी समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिया जायगा ?

डा० काटजू : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री वीरस्वामी : क्या यह सत्य है कि यदि आवश्यक योग्यता वाले अनूसूचित जातियों के उम्मेदवार मुलाकात के लिये आते भी हैं उन का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता और उन्हें किसी न किसी कारण नहीं चुना जाता।

डा० काटजू : जी नहीं।

श्री जाटव वीर : क्या यह बात सच है कि आज से दो वर्ष पहले हिन्दी पत्रों में विज्ञापन दिया जाता था और वह अब बन्द कर दिया गया है ?

डा० काटजू : इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है।

श्री गणपति राम : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग गज़ेटेड (घोषित) और नान-गज़ेटेड (अघोषित) पदों के लिये कोई इश्तहार (विज्ञापन) दिया गया, अगर दिया गया तो उस में कितने शिडयूल्ड कास्ट (अनूसूचित जाति) वालों के लिये जगहें थीं ?

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं है। श्रीमान् स्पीकर साहेब (अध्यक्ष महोदय) इस पर ध्यान देंगे कि मैं सारे संसार का हाल नहीं जान सकता कि कहां पर क्या हो रहा है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार 'यदि कोई योग्य उम्मेदवार उपलब्ध न हुआ' इन शब्दों को काटने की कृपा करेगी क्योंकि इस से सेवा आयोग को अनूसूचित जाति के उम्मेदवारों के दावों की उपेक्षा करने का बहुत अवसर मिलता है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव दे रहे हैं। अगला प्रश्न।

श्री दलायुधन : एक और प्रश्न है, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं।

उसमानिया विश्वविद्यालय

* १२८०. **श्री के० जी० देशमुख :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने हैदराबाद के " उस्मानिया विश्वविद्यालय " को अपने नियंत्रण में ले लेने का विचार किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां । ब्यौरे की जांच करने और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये पदाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई है ।

(ख) अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है क्योंकि विश्वविद्यालय का पुनर्गठन संसद द्वारा आवश्यक विधान के अधिनियम के बाद ही किया जा सकता है ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि इस विश्वविद्यालय के अर्जन का उद्देश्य क्या है ?

डा० काटजू : इस का उद्देश्य विश्वविद्यालय का दर्जा ऊंचा करना और इस में अत्यधिक सुधार करना है ।

श्री के० जी० देशमुख : केवल हैदराबाद के इस विशिष्ट विश्वविद्यालय को लेने और किसी अन्य को न लेने के कारण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने बतलाया है ।

डा० सुरेश चन्द्र : : मैं जान सकता हूं कि क्या इस विषय पर हैदराबाद सरकार से परामर्श किया गया है ?

डा० काटजू : जी हां, अवश्य ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस से सरकार पर क्या दायित्व पड़ता है ?

डा० काटजू : इन सब बातों की समिति द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री तेलकीकर : इस विश्वविद्यालय के केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में लाए जाने के पश्चात् इस में कौन से परिवर्तन करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इस मामले की जांच की जानी है । पहले प्रतिवेदन आने दीजिये ।

श्री आर० एन० रेड्डी : क्या उसमानिया विश्वविद्यालय के शिक्षा के माध्यम को बदलने का विचार है ?

डा० काटजू : यह सब समिति का काम है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री आर० एन० रेड्डी : एक प्रश्न श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : एक समिति इस मामले की जांच कर रही है । उन का उत्तर यह है कि सब मामले समिति के लिये हैं वे किसी विशिष्ट प्रश्न का अब क्या उत्तर दे सकते हैं ?

श्री राजगोपालराव : क्या समिति.

अध्यक्ष महोदय : मैं और किसी प्रश्न की आज्ञा नहीं देना चाहता ।

किराये पर ट्रेक्टर

*१२८१. **श्री बी० एन० राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की ओर से सरकारी ट्रैक्टर खरीदने का कोई ऐसा प्रबन्ध है जिस के अधीन कृषक इन्हें किराये पर ले कर काम में ला सकें ?

(ख) क्या सरकार की सहकारी संस्थाओं को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है, जिस के अधीन वे यन्त्र द्वारा खेती के लिये कृषकों को ट्रेक्टर तथा अन्य आवश्यक उपकरण किराये पर दे सकें ;

(ग) सरकारी खेतों में और सहकारी संस्थाओं के खेतों में पृथक पृथक कितने एकड़ भूमि में यन्त्र द्वारा कृषि की जाती है; तथा

(घ) सरकारी खेतों की (राज्यवार) कितने एकड़ भूमि है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं है। किन्तु वर्तमान उपलब्ध जानकारी के अनुसार कृषकों को ट्रैक्टर किराये पर देने की योजनायें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों से जानकारी भेजने के लिये प्रार्थना की गई है।

(ख) राज्य सरकारों से, जिन का इस विषय से मुख्य सम्बन्ध है, जानकारी भेजने के लिये प्रार्थना की गई है और प्राप्त हो जाने पर यह सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) तथा (घ). इस विषय में भी राज्य सरकारों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

अनुसूचित जाति संस्थायें

*१२८२. **श्री राम दास** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन संस्थाओं के नाम जिन्हें अभिज्ञात किया गया है और जिन के साथ विभागों के अध्यक्षों को, उस समय परामर्श करने के लिये कहा जाता है जब कि समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा अनुसूचित जातियों के उम्मेदवार उपलब्ध न हो रहे हों; तथा

(ख) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में इन में किन किन संस्थाओं ने उम्मेदवारों की सिफ़ारिश की है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) यह जानकारी २८ जनवरी, १९५२ के गृहमंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ४२/२१/४६ एन जी एस के परिशिष्ट 'ग' में बतलाई गई है। इस की एक प्रतिलिपि १० जून, १९५२ को सदन पटल पर रखी गई थी।

(ख) इन संस्थाओं से भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये उम्मेदवार की सिफ़ारिश करने की आशा नहीं की जाती। इन संस्थाओं के कृत्य भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट कार्यालय ज्ञापन के कंडिका ५(६) (ख) में बतलाये गये हैं।

श्री राम दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन संस्थाओं को किन्हीं नियमों के अनुसार अभिज्ञात किया जाता है ?

डा० काटजू : जैसा कि मैं ने पहले कहा है, ये नियम उस कार्यालय ज्ञापन में दिये गये हैं। ये प्रशासनीय निदेश हैं।

श्री गणपति राम : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि उत्तर प्रदेश दलित वर्ग संघ एक रजिस्टर्ड (पंजीबद्ध) संस्था है और उस ने बहुत काम किया है ? क्या वह काम के लिये रिकागनाइज़ (अभिज्ञात) की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

अनुसूचित जाति कल्याण आयोग

*१२८३. **श्री हेमब्रोम:** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जन-जाति कल्याण आयुक्त ने अप्रैल, १९५२ में बिहार के संथाल परगना आदिवासी क्षेत्र का पर्यटन किया था ;

(ख) यदि किया था, तो क्या गोड्डा सब डिवीज़न में इस अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधियों ने आयुक्त के स्वागत में भेंट किये गये मानपत्र के रूप में अपने कष्ट भारत सरकार को बताये थे;

(ग) उन के कष्टों का स्वरूप और उन के निवारण के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले पग ;

(घ) क्या किसी समाज सेवी ने इस विषय पर एक स्मृति पत्र भेजा है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) (क) जी हां।

(ख) तथा (घ). आयुक्त को कुछ स्मृति-पत्र प्राप्त हुए थे। जिन में स्थानीय अनुसूचित जन-जातियों की शिकायतें विस्तार-पूर्वक बतलाई गई थीं।

(ग) तथा (ङ). मुख्य शिकायत उन पहाड़ियों को जिन्हें कहा जाता है कि एक और जन-जाति ने मैदानों से पहाड़ों में भगा दिया था, मैदानों में भूमि वापस करने के बारे में थी। दूसरी शिकायत उस स्वामित्व के बारे में थी जो कि टीटागढ़ पेपर मिल्स द्वारा उपयोग की जाने वाली सवाई घास पर पहाड़ियों को मिलता है। ये शिकायतें राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

श्रीमती खोंगमन : मैं जान सकती हूं कि क्या निकट भविष्य में सरकार का आसाम के जन-जाति-क्षेत्रों में उसी प्रकार के कल्याण आयुक्त को भेजने का विचार है ?

डा० काटजू : यह कल्याण आयुक्त एक अखिल भारतीय पदाधिकारी है और वह अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहा है और भारत के सब भागों का पर्यटन कर रहा है।

श्री हेमब्रोम: क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहाड़ से जमीन में लाने की .....

डा० काटजू : मैं सवाल को सुन नहीं सका कि क्या है।

श्री जजवाड़े : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहाड़ से जमीन में इन लोगों को लाने की चेष्टा की जा रही है ?

डा० काटजू: मैं ने कल भी इस बारे में अर्ज किया था कि चेष्टा बहुत कुछ की जा रही है। यह सवाल एक खास मुकाम के लिये बंधा हुआ था इस के लिये दिक्कत भी पेश की गई। यह मालूम हुआ है कि वहां के पहाड़ी एक दूसरे ट्राइब (जन-जाति) से आपस में कशमकश (विद्वेष भावना) रखते हैं।

श्री गणपति राम: क्या माननीय मंत्री ...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रश्न-काल समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वनस्पति

*१२५४. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५१-५२ में बनस्पति के उत्पादन के लिये कोई नया कारखाना बनाया गया था ?

(ख) सन् १९५१-५२ में बनस्पति का वास्तविक उत्पादन कितना था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सन् १९५१ में १,७२,००० टन।

शारीरिक चिकित्सा विद्यालय

*१२५५. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या बम्बई में एक स्थायी शारीरिक चिकित्सा विद्यालय तथा केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में कोई निश्चय किया गया है ?

(ख) क्या शारीरिक चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिये इस समय भारत में कोई केन्द्र है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां, किंग एडवर्ड मैमोरियल अस्पताल, बम्बई में ।

(ख) इस समय हमारे देश में शारीरिक चिकित्सा के प्रशिक्षण के लिये कोई अभिज्ञात केन्द्र नहीं है ।

मार्ग यातायात (राष्ट्रीयकरण)

*१२६२. **श्री जांगड़े** : क्या यातायात मंत्री उन राज्यों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन में मार्ग यातायात का राष्ट्रीयकरण सम्पन्न हो गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मार्ग यातायात का राष्ट्रीयकरण किसी राज्य में भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है । आसाम, बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, बिलासपुर, दिल्ली हिमाचल प्रदेश, कच्छ तथा मनीपुर राज्यों में, सरकार द्वारा, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित मार्ग यातायात समवाय, मार्ग यातायात सेवाओं की, कहीं कम कहीं अधिक व्यवस्था कर रही है ।

डेकन एयरवेज़

*१२६४. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डेकन एयरवेज़ के वायुयानों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) पिछले बारह महीनों में दुर्घटनाओं के कारण उन में से कितने कार्ययोग्य नहीं रहे ?

(ग) चालकों और कैप्टनों की संख्या क्या है ?

(घ) क्या यह समवाय वर्तमान वर्ष में कुछ नये वायुयान क्रय करने का विचार कर रहा है ?

(ङ) पिछले परीक्षित लेखाओं के अनुसार इस समवाय को कुल कितना लाभ या हानि हुई ?

(च) इस हानि में से कितनी सरकार को उठानी पड़ी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बारह ।

(ख) तीन ।

(ग) २९ कमांडर और १७ सहचालक ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । दुर्घटनाओं में नष्ट हुए तीन वायुयानों को बदलने के अतिरिक्त, कम्पनी का एक और वायुयान क्रय करने का विचार है ।

(ङ) सन् १९५० में १८,३१,९५४ हैदराबाद रुपये (जो कि १५,७०,२४६ भारतीय रुपयों के बराबर हैं) की हानि हुई ।

(च) कोई हानि नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि सरकार ने डैकन ऐयरवेज़ में अपना हित अर्थात् अंशपूंजी का ७८ प्रतिशत हिस्सा केवल फ़रवरी १९५२ में ही खरीदा था ।

खाद्य स्थिति

*१२६५. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सब प्रकार के अन्नों के सम्भार की आज की स्थिति क्या है ?

(ख) भारत में चावल का सम्भार कितना है ?

(ग) वर्तमान वर्ष में अब तक कितना चावल प्राप्त हुआ है और कितना दिया गया है ।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : १५ जून, १९५२ को सरकारों के पास खाद्यान्नों का स्टाक ३७,१५,००० टन था, जिस में केन्द्रीय संचय भी सम्मिलित है ।

(ख) उसी तिथि को चावल का स्टाक केन्द्रीय संचय के सहित ११,३३,००० टन था ।

(ग) १ जनवरी, १९५२ से १५ जून, १९५२ तक की अवधि में ११,०४,००० टन चावल दिया गया और २,६९,००० टन चावल विदेश से प्राप्त हुआ ।

पटसन का उत्पादन

* २८४. **श्री ज० मिस्सि** : क्या **खाद्य त कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्पादक को प्रतिमन जूट के उत्पादन में क्या लागत पड़ती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : पटसन के उत्पादन की लागत भिन्न क्षेत्रों तथा जातियों के लिये भिन्न भिन्न है । उत्पादक को उत्पादन में क्या लागत पड़ती है, इस के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने कुछ केन्द्रों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़ों का संकलन किया है, जिन से पता चलता है कि सन् १९५०-५१ में जिस वर्ष तक कि इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं, उन केन्द्रों में पटसन के उत्पादन की औसत लागत लगभग २९ रुपये प्रति मन थी ।

बम्बई-मंगलौर रेलवे लाइन

*१२८५. **श्री कजरोलकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई से मंगलौर तक एक रेलपथ खोलने का कोई प्रस्ताव था; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

विन्ध्य प्रदेश में सरकारी बैंक

*१२८६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विन्ध्य प्रदेश में विभिन्न भूतपूर्व सरकारी बैंकों के पास जो भारत सरकार की प्रतिभूतियां और राष्ट्रीय बचत प्रमाण थे, क्या उन का आगम भारत के रिज़र्व बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया है ;

(ख) क्या हस्तान्तरण से पहले सब दायित्वों को जिन में विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं की बचत बैंक पूंजियां भी सम्मिलित हैं, चुका दिया गया था;

(ग) इस का क्या कारण है कि यद्यपि तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, इन दायित्वों को चुकाया नहीं जा सका; तथा

(घ) इन दायित्वों को चुकाने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सचिवालय पुनर्संगठन योजना

*१२८७ **श्री ए० एम० टामस** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन सब पदाधिकारियों को, जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय पुनर्संगठन योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित की गई सूची १ से ९ तक में सम्मिलित किया गया है, उन विभिन्न श्रेणियों में, जिन के लिये लोक सेवा आयोग ने उन्हें योग्य समझा है, नियुक्त किया गया है, तथा

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रत्येक सूची में उन में कितने प्रतीक्षकों की सूची में हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८**]

कालागढ़—काशीपुर रेलवे लाइन

*१२८८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बहुत वर्ष पहले गढ़वाल में कालागढ़ से नैनीताल जिला (उत्तर प्रदेश) में काशीपुर तक एक नया रेल पथ बनाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस का परिमापन कब किया गया था;

(ग) इस की कुल लम्बाई क्या थी और इस का अनुमानित व्यय क्या था ;

(घ) क्या रेल पथ पर बीच में कोई स्टेशन बनाने का विचार था, और यदि हां, तो किन स्थानों पर ; तथा

(ङ) इस प्रस्ताव को छोड़ देने के कारण क्या थे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) पिछली बार इस का परिमापन सन् १९४६ में किया गया था ।

(ग) परिमापित रेलकड़ी ३१·४१ मील लम्बी थी और उस समय इस का अनुमानित व्यय ४२·५० लाख रुपये था ।

(घ) बीच में ठाकुरद्वारा, जसपुर, रेहड़ और अफ़ज़लगढ़ पर स्टेशन बनाने का विचार था ।

(ङ) इस बात के अतिरिक्त कि इस रेलपथ के लाभप्रद होने की आशा नहीं थी, यह अनुभव किया गया था कि इस क्षेत्र की आवश्यकतायें सड़क यातायात द्वारा अधिक मितव्ययता से पूरी की जा सकती हैं ।

भारतीय शिशु-कल्याण परिषद्

*१२८९. **श्रीमती जयश्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या भारतीय शिशु-कल्याण परिषद् को सरकार से कोई सहायता मिल रही है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को भारतीय शिशु-कल्याण परिषद् से वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई, किन्तु यदि उस से प्रार्थना की गई तो उस पर समुचित विचार किया जायेगा ।

अनुसन्धान संस्था, देहरादून

*१२९०. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों की लकड़ियों पर वन अनुसन्धान संस्था में क्या प्रयोग किये गये हैं ;

(ख) यदि किये गये हैं, तो किन लकड़ी उद्योगों को इस ने व्यापारिक प्रयोजनों के लिये कुटीर उद्योगों के रूप में अपनाने के योग्य समझा है ; तथा

(ग) क्या उन राज्यों में जहां ये लकड़ियां पाई जाती हैं, सरकार ने उन उद्योगों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना बनाई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) वन अनुसन्धान संस्था सन् १९०६ में स्थापित की गई थी। इस के सब प्रयोग तथा कार्य इस के वार्षिक विवरणों में बतलाये गये हैं। आज तक के वार्षिक विवरण सदन के पुस्तकालय से मिल सकते हैं। अन्तिम विवरण—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का १९५१-५२ का विवरण—परिचालित किया जा चुका है। इस के अंतिरिक्त में एक पुस्तिका सदन पटल पर रख रहा हूं, जिस में उसके भूतकाल के कार्यों का वृत्तान्त दिया गया है। **[एक प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी-५५/५२)**

(ख) संस्था की राय में यह उद्योग व्यापारिक प्रयोजनों के लिये कुटीर उद्योगों के रूप में अपनाये जाने योग्य हैं ;

चाय पेटियों, बैटरी-सैपेरेटर्स और पेंसिल स्लेट्स का निर्माण; कपूर और इमली के बीज का चूर्ण बनाना और सवाई घास से कागज़ तैयार करना।

(ग) जी हां। सभी राज्यों को इन उद्योगों के विकास की संभाव्यता के सम्बन्ध में परामर्श दिया गया है। राज्यों में इन उद्योगों को उचित दामों पर इमारती लकड़ी, केसीन और अन्य कच्ची सामग्री प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। केन्द्रीय वन उपयोग परामर्शदात्री पर्षद्, जिस में अन्य लोगों के अतिरिक्त संयुक्त वाणिज्य तथा उद्योग मंडल और भारतीय वणिज्य मंडल संघ के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, विभिन्न राज्यों में वन उद्योग के विकास में सरकार की सहायता करता है।

वस्तु विनिमय क़रार

*१२९२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ में वस्तु विनिमय के आधार पर किस प्रकार का, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का खाद्यान्न बाहर से आयात किया गया ;

(ख) उन के बदले में कौन सी भारतीय वस्तुयें दी गई थीं; तथा

(ग) क्या सन् १९५२ के लिये इस प्रकार का कोई वस्तु विनिमय करार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) सन् १९५१ में वस्तु विनिमय करार के अन्तर्गत इतनी मात्राओं में खाद्यान्नों का आयात किया गया था :

प्रकार	मात्रा '००० टन
गेहूं	६१२
चावल	३५९

तत्काल इन वस्तुओं का मूल्य बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) टाट, पटसन, लाख, तम्बाकू, चाय और बोरियां।

(ग) जी हां। पाकिस्तान के साथ गेहूं चावल विनिमय का एक समझौता किया गया है। भारत सरकार ३७,७०० टन चावल के बदले में, जो कि पाकिस्तान सरकार देगी ३९,७०० टन गेहूं देगी।

गंगा पर पुल

*१२९३. **श्री एस० एन० दास:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विश्वेश्वरैया समिति ने, जिस को गंगा नदी पर एक रेलसड़क पुल का स्थान निश्चित करने के विषय में प्रतिवेदन करने के लिये नियुक्त किया गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) इस समिति ने क्या सिफ़ारिशें की हैं ;

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन पर विचा र कर चुकी है ;

(घ) क्या वे सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाने का विचार है; तथा

(च) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कितना प्राक्कलित व्यय होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) डा० एम० विश्वेश्वरैया द्वारा की गई सिफारिशों पर ११ जून को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी और १२ जून १९५२ को इसे सब प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९**]

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है।

(घ) तथा (ङ). इस समय उत्पन्न नहीं होते।

(च) सन् १९४८ में तैयार किये गये प्राक्कलन के अनुसार, मोकामा घाट पर एक संयुक्त रेल-सड़क पुल बनाने के लिये लागत अनुमानत: १२·३ करोड़ रुपये थी। बर्तमान मूल्यों के अनुसार और नकशे में किये जाने वाले परिवर्तनों के प्रकाश में इस प्राक्कलन में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

मधुपुर और गिरिडीह रेलवे स्टेशन

२७५. **श्री एन० पी० सिन्हा:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गिरिडीह से रेलवे लाइन को बढ़ा कर इसे कोडरमा पर ग्रांड कार्ड लाइन से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): उत्तर नकारात्मक है।

छोटा नागपुर में नये रेल-पथ

२७६. **श्री एन० पी० सिन्हा:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि छोटा नागपुर (बिहार) में सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितने मील नये रेल पथ बिछाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): सन् १९५२-५३ में कोई नहीं। सन् १९५३-५४ के लिये नये पथों के निर्माण का कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किया गया।

खंडवा-हिंगोली रेल पथ

२७७. **श्री जी० बी० खेड्कर:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अकोट-अकोला-बासिम के रास्ते खडंवा से हिंगोली तक एक नया रेल-

पथ बनाने के लिये कोई परिमाप किया गया था; तथा

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना पर इस समय पश्चिमी रेलवे द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है। इस अवस्था पर यह बतलाना सम्भव नहीं है कि वास्तविक निर्माण कार्य कब आरम्भ हो जायेगा।

बिलासपुर-नागपुर रेलवे विभाग

२७८. **श्री किरोलिकर**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के बिलासपुर-नागपुर विभाग में माल के डब्बों की कमी है ;

(ख) व्यापारियों को माल के डब्बे देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या माल के डब्बों के देने तथा बितरण के सम्बन्ध में, राजनन्दगांव, ज़िला दुर्ग, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक संस्था से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ; तथा

(ङ) माल के डब्बों के न दिये जाने के फलस्वरूप राजनन्दगांव के गोदामों में इस समय कितना खाद्यान्न पड़ा हुआ है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां। माल के डब्बों की संख्या यातायात की वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

(ख) उपलब्ध माल के डब्बे, प्रेषकों को रियायती यातायात अनुसूची के अनुसार, उन की वस्तुसूचियों के पंजीयन के क्रम से दिये जाते हैं। रियायती यातायात वह होता है, जो भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा २७क के अन्तर्गत जारी किये गये सामान्य विशेष आदेशों में निर्धारित तुलनात्मक वरीयता क्रम के अनुसार, रियायती व्यवहार का अधिकारी हो।

(ग) जी हां।

(घ) महाप्रबन्धक, पूर्वी रेलवे को उपयुक्त कार्यावाही करने के लिये कहा गया है।

(ङ) यह जानकारी रेलवे के पास नहीं है, क्योंकि इस का सम्बन्ध सरकारी गोदामों के माल के निबटारे से है।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिये सुविधायें।

२७९. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन १९५२-५३ में डाक, तार तथा टेलीफ़ोन विभागों के कर्मचारी वृन्द को कौन सी नई सुविधायें देने का बिचार है;

(ख) सन् १९५१-५२ में कर्मचारी वृन्द से (वैयक्तिक रूप से या संघों द्वारा या किसी अन्य प्रकार से) सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; तथा

(ग) इन में कितनी शिकायतों पर अनकूल रूप से कार्यवाही की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) विभाग की कल्याण योजनाओं में इन

चीजों को खोलना या उन की व्यवस्था करना सम्मिलित है :—

सहकारी भंडार तथा संस्थाएं	३६
कैन्टीन	५०
श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये रात्रि पठिशालायें	१८
शयनग्रह	९
भोजन के कमरे	३३
साइकल स्टैण्ड	३६
विश्रामालय	९
अवकाश गृह	२
आमोद क्लब	२३

क्षय रोग से पीड़ित डाक और तार कर्मचारियों के लिये विभिन्न क्षयरोग रुज़ालयों में १२ अतिरिक्त स्थानों को रक्षित करना, मदार आरोग्य-आश्रम, अजमेर में एक पांच स्थानों वाले कमरे का निर्माण एल० एल० आरोग्य आश्रम, कसौली में तीस स्थानों वाले कमरे का निर्माण ।

लगभग २७ लाख की लागत पर सारे भारत में कर्मचारी वृन्द के लिये निवासगृह बनाना ।

(ख) तथा (ग). ज़ानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है । इस के एकत्र करने में बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, जो कि इस की उपयोगिता की अपेक्षा कहीं अधिक होगा ।

चिकित्सा सम्बन्धी भत्ते

२८०. डा० एम० एम० दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या अस्पताल की चिकित्सा के लिये चिकित्सा सम्बन्धी भत्तों के विषय में, आय-कर विभाग घोषित और अघोषित कर्मचारियों में कोई विभेद किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो वह क्या हैं ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता से बाहर रहने वाले अघोषित कर्मचारी चिकित्सा व्यय पाने के अधिकारी नहीं हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) आय-कर विभाग के कर्मचारियों को कोई चिकित्सा सम्बन्धी भत्ता नहीं दिया ज़ाता किन्तु उन्हें डाक्टरी सेवा तथा चिकित्सा का वास्तविक खर्चा, जो कि उन्हें सम्बन्धित डाक्टरी सेवा नियमों के अन्तर्गत मिल सकता है, वापस दे दिया ज़ाता है । सामान्यतः घोषित और अघोषित कर्मचारियों में इस प्रकार का कोई विभेद नहीं किया ज़ाता है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं । पश्चिमी बंगाल तथा कलकत्ता में रहने वाले सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, चाहे वे घोषित हों या अघोषित, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के अधिकारी हैं। विभेद केवल यह है कि चूंकि पश्चिमी बंगाल की सरकार कलकत्ता में अपने चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवायें कलकत्ता में रहने वाले या कलकत्ता से गुज़रने वाले केन्द्रीय सरकार के घोषित कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं करा सकती थी, उन्हें सरकारी खर्च पर निजी पंजीबद्ध डाक्टरों से चिकित्सीय सेवा प्राप्त करने की आज्ञा है, ज़बकि कलकत्ता से बाहर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के अघोषित कर्मचारी, केन्द्रीय सेवायें (चिकित्सकीय सेवा) नियम, १९४४ के अनुसार पश्चिमी बंगाल की सरकार के अधीन चिकित्सा पदाधिकारियों की वैधिक सेवाओं से लाभ उठाने के अधिकारी हैं ।

खाद्यान्नों की पैदावार तथा समाहार

२८१. **श्री एन० एल० जोशी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) पिछले चार वर्षों में भारत के प्रत्येक राज्य में कितना खाद्यान्न उत्पन्न हुआ और इस अवधि में सरकार द्वारा कितना खाद्यान्न समाहृत किया गया ;

(ख) पिछले चार वर्षों में नियंत्रण प्रणाली के अधीन प्रत्येक राज्य में कितना खाद्यान्न वितरित किया गया ;

(ग) सन् १९५२ में, मई मास तक प्रत्येक राज्य में कितना खाद्यान्न पैदा हुआ और इस अवधि में सरकार द्वारा कितना खाद्यान्न समाहृत किया गया ;

(घ) सन् १९५२ में, मई मास तक प्रत्येक राज्य में नियन्त्रण प्रणाली के अधीन कितना खाद्यान्न वितरित किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ग). एक विवरण जिसमें सन् १९४८ से १९५२ तक भारत के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की पैदावार तथा समाहार बतलाया गया है सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०**]

(ख) तथा (घ). एक विवरण, जिसमें सन् १९४८ से १९५२ तक भारत के विभिन्न राज्यों में सरकारी संभारों से दिये हुए खाद्यान्नों के परिमाण बतलाये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१**]

चित्रकूट में मेले

२८२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो कि सन् १९४८ से १९५१ तक के वर्षों में चित्रकूट के पाक्षिक मेलों के दिनों में, केन्द्रीय रेलवे के झांसी—मानिकपुर विभाग में बांदा और मानिकपुर स्टेशनों के मध्य गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ के कारण मरे, घायल हुए या अन्य प्रकार से आहत हुए ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): सन् १९४८ से १९५१ तक के वर्षों में चित्रकूट के पाक्षिक मेलों के दिनों में, केन्द्रीय रेलवे के झांसी—मानिकपुर विभाग में बांदा और मानिकपुर स्टेशनों के मध्य गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ के कारण कोई व्यक्ति न मरा न घायल हुआ या न किसी अन्य प्रकार से आहत हुआ।

मिलौ

२८३ **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में (मई तक) भारत में कितना मिले आन्तरिक रूप से समाहृत किया गया और कितना आयात किया गया ;

(ख) जनवरी से मई १९५१ में और १९५२ में, (अन्य खाद्यान्नों की निकासी की तुलना में) विभिन्न राज्यों के सरकारी गोदामों से मिलौ की निकासी की प्रतिशतता क्या है ; तथा

(ग) विभिन्न राज्यों के सरकारी गोदामों में संचित मिलो की हालत क्या है?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) मिलो से मिलता-जुलता एक खाद्यान्न, जो कि भारत में पैदा होता है, ज्वार है। १ जनवरी, १९५२ से ३१ मई १९५२ तक की अवधि में भारत में आन्तरिक रूप से लगभग ३७३,००० टन ज्वार का

समाहार किया गया था और उसी अवधि में ३६१,००० टन मिलों का विदेशों स आयत किया गया था ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा, जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२**]

रेल के यात्री डब्बे तथा माल डब्बे

२८४. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) विभिन्न भारतीय रेलवे वर्कशाप कितने यात्री डब्बे तथा माल के डब्बे प्रति वर्ष बना सकते हैं; तथा

(ख) उपरोक्त वर्कशापों के लिए यदि कोई प्रशिक्षण के केन्द्र हैं, तो वे कौन से हैं ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इस समय देश में लगभग ६,००० माल के डब्बे और लगभग ६७० यात्री डब्बे प्रति वर्ष बनाये जा सकते हैं ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान २० मई, १९५२ को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

बिहार में चीनी मिलें

२८५. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार राज्य के तिरहुत विभाग में चीनी मिलों की संख्या क्या है ;

(ख) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में इन में से प्रत्येक मिल की कोयले की कुल आवश्यकतायें, पृथक् पृथक् क्या थीं;

(ग) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में प्रत्येक चीनी मिल में कुल कितने कोयले की खपत हुई;

(घ) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में इन चीनी मिलों में पृथक् पृथक् कोयले की कमी को पूरा करने के लिये कुल कितनी लकड़ी को काम में लाया गया;

(ङ) इन चीनी मिलों ने ईंधन के लिये लकड़ी किस क्षेत्र से प्राप्त की थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) २५ ।

(ख) एक विवरण, जिस में सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ के लिए प्रत्येक मिल को कोयले की कुल आवश्यकतायें बतलाई गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) से (ङ). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है

विवरण

तिरहुत विभाग (उत्तरी बिहार) में स्थित चीनी मिलों की सूची और सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ के सीजन के लिए उनकी कोयले की आवश्यकतायें ।

	१९५०-५१ (टन)	१९५१-५२ (टन)
(१) मैसर्स शकरी शुगर फ़ैक्टरी आफ़ दी दरभंगा शुगर कम्पनी लि०, सकरी, ज़िला दरभंगा	१०४०	४३६
(२) मैसर्स लोहाट शुगर फ़ैक्टरी आफ़ दी दरभंगा शुगर कं० लि०, लोहाट, ज़िला दरभंगा	९२०	७१८
(३) मैसर्स रियाम शुगर कं० लि०, रियाम, ज़िला दरभंगा	१,४००	१,२५०
(४) मैसर्स समस्तीपुर सेन्ट्रल		

	१९५०-५१ (टन)	१९५१-५२ (टन)
शुगर कं० लि०, समस्तीपुर, ज़िला दरभंगा	१००	७०
(५) मैसर्स न्यू इण्डिया शुगर मिल्स लि०, हसनपुर रोड, ज़िला दरभंगा	६४०	३३६
(६) मैसर्स दी मोतीपुर शुगर फ़ैक्ट्री लि०, मोतीपुर ज़िला, मुज़फ़्फ़रपुर	१,२५०	१,५९०
(७) बेलसुन्दर शुगर कं० लि०, रीघा, ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर	२०	५८
(८) मैसर्स चम्पारन शुगर कं० लि०, बारा-चकिया, ज़िला चम्पारन	१,२६०	१,३८०
(९) मैसर्स हनुमान शुगर मिल्स लि० मोतीहारी, ज़िला चम्पारन	१,९००	१,५००
(१०) मैसर्स दी सुगौली शुगर वर्क्स लि०, सुगौली, ज़िला चम्पारन	६२०	४१८
(११) मैसर्स दी मोतीलाल पद्यापत शुगर मिल्ज़ कं० लि०, मझौलिया, जिला चम्पारन	१,४२०	१,२३०
(१२) मैसर्स चम्पारन शुगर कं० लि०, चनपटिया, ज़िला चम्पारन	२०	..
(१३) मैसर्स एस० के० जी० शुगर लि०, लौरिया, ज़िला चम्पारन	२,६००	५०
(१४) मैसर्स दी न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स लि०, नरकटियागंज, ज़िला चम्पारन	२५०	४६६
(१५) मैसर्स हरीनगर शुगर मिल्स लि०, पी० ओ० हरीनगर, ज़िला चम्पारन	१,०८०	८३८
(१६) मैसर्स नार्थ बिहार शुगर मिल्स लि०, पी० ओ० नरईपुर, ज़िला चम्पारन		७९०
(१७) मैसर्स सीतलपुर शुगर वर्क्स लि०, सीतलपुर, ज़िला सारन	९७०	९३६
(१८) मैसर्स कानपुर शुगर वर्क्स लि०, मरहौड़ा, ज़िला सारन	३,१००	२,८७०
(१९) मैसर्स दी बिहार शुगर वर्क्स आफ़ दी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, पचरखी, ज़िला सारन	१,०९७	१,१००
(२०) मैसर्स न्यू सावन शुगर एंड गुड़ रिफ़ाइनिंग कं० लि०, सिवान, ज़िला सारन	४७०	५५०
(२१) मैसर्स इंडियन शुगर वर्क्स सिवान, ज़िला सारन	१५०	..
(२२) मैसर्स भारत शुगर मिल्स लि०, सिधवालिया, ज़िला सारन	२८०	२५८
(२३) मैसर्स सासामूसा शुगर वर्क्स लि०, सासामूसा, ज़िला सारन	५४०	२३५
(२४) मैसर्स दी विष्णु शुगर मिल्स लि०, गोपालगंज, ज़िला सारन	८२०	६१८
(२५) मैसर्स एस० के० जी०, शुगर मिल्स लि०, हथुआ, ज़िला सारन	१,३९०	१,२०५
	२३,०३७	१८,९०२

GIPD—HS—402 PSD—16-5-53—285

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

१९३९ १९४०

लोक सभा

शुक्रवार, २७ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

श्री एम० एल० द्विवेदी : (हमीरपुर जिला) : अपने प्रश्न संख्या १२९४ के सम्बन्ध में; मैंने लोक महत्व के देखते हुए इसकी अल्प सूचना दी थी, और आपने सामान्य कार्यक्रम में इसका उत्तर दिये जाने की अनुमति दी थी क्योंकि यह आप के पास समय पर नहीं पहुंच सका था। मेरा निवेदन है कि अब इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य जानते हैं कि यद्यपि अध्यक्ष द्वारा अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु यह सदन के समक्ष तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब कि सम्बन्धित माननीय मंत्री इसे अपेक्षित दस दिन की पूर्व सूचना दिये बिना ही स्वीकृत करने के लिये सहमत हो जायें।

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री दशरथ देव की गिरिफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : सदन को स्मरण होगा कि उस दिन एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था। (**अंतर्बाधा**) यदि सब सदस्य शान्त रहें तो वह कहीं अच्छी तरह से सुन सकेंगे। यदि सब कोई यही कहने लगेगा कि मुझे सुनाई नहीं देता तो इसी से शोर होने लगेगा।

तो सदन को स्मरण होगा कि इस सदन के एक सदस्य, श्री दशरथ देव, की गिरिफ्तारी पर उस दिन विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे सदर, अगरतला के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट से एक पत्र प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है :

"त्रिपुरा सरकार,

सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट, सदर,
अगरतला कार्यालय,

अगरतला,

दिनांक २४ जून, १९५२

श्रीमान्,

मुझे आप को यह सूचित करना है कि भारतीय दण्ड विधान के फ़तीकाई पी०एस० केस संख्या ७ (२) ५२-४/८ ३६४ के सम्बन्ध में त्रिपुरा के डिपुटी

[अध्यक्ष महोदय]

पुलिस सुपरिनटेन्डेंट श्री एस० एन० चौधरी ने संसद सदस्य श्री दशरथ देव को १२ जून, १९५२ को लगभग १० बजे दिन को मेरे सम्मुख इसलिये पेश किया कि शिनाख्ती परेड हो जाने तक उन्हें हिरासत में रक्खा जाये। श्री देव, संसद् सदस्य, के मेरे सम्मुख पेश किये जाने के ठीक पश्चात् उनके वकील ने जमानत का प्रस्ताव किया और उन की १,००० रुपये (केवल एक हज़ार रुपये) की ज़मानत मंजूर कर ली गई तथा लगभग १०·३० म० पू० पर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस की प्रार्थना के अनुसार शिनाख्त परेड १८ अगस्त, १९५२ को निर्धारित की गई है तथा श्री देव, संसद् सदस्य, से शिनाख्त परेड में निर्धारित तिथि को उपस्थित होने के लिये कहा गया है।

आप का शुभेच्छु,
ह० जे० एस० देव बार्मन,
सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट,
सदर, अगरतला।"

मैं यह पत्र विशेषाधिकार समिति को भिजवा दूंगा जिससे कि वह इस पर भी विचार कर सके।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): श्रीमान् क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस धारा का किस अपराध से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि वे दण्ड विधान को देख लें। मैं इन चीज़ों को अपने दिमाग़ में तो लिये फिरता नहीं हूं।

श्री सैय्यद अहमद (होशंगाबाद): उन्हें यह धारा जाननी चाहिये। धारा ३६४ का सम्बन्ध **(श्री महावीर त्यागी द्वारा अंतर्बाधा)**—

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के लिये इस प्रकार अन्य माननीय सदस्य से बातें करना ठीक नहीं है। उन से सदन के सदस्यों के सम्मुख एक अच्छा उदाहरण पेश करने की आशा की जाती है।

मैं विशेषाधिकार समिति का निर्देश कर रहा हूं।

श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा लगाये गये कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में श्री ए० क० गोपालन का वक्तव्य

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर): २५ जून, १९५२ को श्री एस० वी० रामस्वामी ने इस सदन में मेरे विरुद्ध गत निर्वाचन के सिलसिले में कुछ गंभीर आरोप लगाये हैं। ये आरोप असत्य और निराधार हैं। उनके पीछे निश्चय ही कोई कुभावना कार्य कर रही है और उन की आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि ये आरोप सदन के बाहर लगाये गये होते तो मैंने कानूनी कार्यवाही की होती।

मैं गत सामान्य निर्वाचन में कभी सलेम शहर में नहीं गया। इसलिये यह कहना सरासर असत्य है कि मैं अपने मित्र श्री नम्बियार तथा अन्य साथियों के साथ इस शहर में लाउडस्पीकरों से घोषणा करता हुआ घूमा।

उन्होंने मेरे उपर यह आरोप भी लगाया कि मैं लाउडस्पीकर से यह घोषणा करता फ़िरा कि देश की सारी मुसीबतों का कारण पंडित नेहरू हैं और यदि हमें अवसर मिला होता तो हम ने उन का पेट फाड़ कर और उनकी आंतें निकाल कर उन के

गले में बांध कर प्रदर्शन किया होता। उन्होंने कहा एक अन्य साम्यवादी नेता ने घोषणा कि हम पंडित नेहरू का जिगर निकाल कर उन का खून निचोड़ लेते।

मैं ने कहीं भी, निर्वाचन से पूर्व, उस के समय में अथवा उस के बाद कभी इस प्रकार का भाषण नहीं किया। माननीय सदस्य का वक्तव्य इस सदन में विशेषाधिकार पूर्ण है इसलिये मैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। अतएव सदन के अभिलेखों में उनके आरोपों के प्रति मेरा खंडन लिख लिया जाये।

विशेषाधिकार समिति

श्री वी० जी० देशपांडे की गिरिफ्तारी पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि में वृधि

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मेरा प्रस्ताव है कि श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे, संसद् सदस्य, की गिरिफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय अवधि १० जुलाई, १९५२ तक बढ़ा दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें

मांग संख्या ६१—सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय—६८,१६,००० रुपये

मांग संख्या ६२—प्रसारण—१,४१,९१,००० रुपये

मांग संख्या १२१—प्रसारण पर पूंजी व्यय—४४,९३,००० रुपये

पूना के लिये प्रसारण स्टेशन

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'सूचना तथा प्रसारण' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

बम्बई के ग्राम्य क्षेत्रों को प्रसारण सुविधायें

श्री एस० एस० मोरे: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

समाचार एजेंसियों विशेषकर पी० टी० आई० को भिन्न भिन्न दरों का भुगतान तथा इन एजेंसियों को आर्थिक सहायता

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'प्रसारण सम्बन्धी' मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

तामिल भाषा तथा संस्कृति और तामिलनाड के अखिल भारतीय रेडियो से तामिल में प्रसारण

श्री मुनिस्वामी (टिंडीवनम्): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'प्रसारण' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

फ़िलमों का सैन्सर किया जाना

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'प्रसारण' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अध्यक्ष महोदय: ये सब कटौती प्रस्ताव अब सदन के सम्मुख हैं।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : इस देश में प्रसारण पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। अभी हाल में मद्रास के मुख्य मंत्री ने कहा कि रेडियो प्रसारण तो मन बहलाव का एक साधन मात्र है। किन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि प्रसारण इस देश में राष्ट्रीय मत को निर्माण करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे यहां युवकों को अवसर नहीं दिया जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में हम प्रगतिशील बना करते थे किन्तु आज प्रगति की हमारी सारी भावना समाप्त हो गई प्रतीत होती है। मैं अखिल भारतीय रेडियो के सैंकड़ों कलाकारों से मिला हूं किन्तु किसी के मुख पर भी मैंने अखिल भारतीय रेडियो के प्रति प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं सुना।

अब मैं एक दूसरी चीज़ पर आता हूं। मितव्ययता के नाम पर आप ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि दुःख होता है। सत्य यह है कि जहां बेचारे कलाकारों और कर्मचारियों का प्रश्न होता है वहां मितव्ययता का सवाल उठता है, अन्यथा कोई मितव्ययता नहीं की जाती है। पी० टी० आई० को अनुचित रूप से अधिक राशि दी जाती है। जब कि प्रथम श्रेणी के समाचारपत्रों को विस्तृत समाचार सेवा देने की दर ३,००० रुपये से ४,००० रुपये प्रति मास है, अखिल भारतीय रेडियो पी० टी० आई० रयूटर को २०,००० रुपये प्रति मास देता है। क्या इसी को मितव्ययता कहते हैं? लगता है जैसे सरकार के कुकृत्यों और गलतियों को छिपाने के लिये प्रचारार्थ पी० टी० आई० को अर्थ सहाय्य दिया जा रहा हो। बढ़ी हुई यह दर केवल पी० टी० आई० रायटर्स के लिये ही है, अखिल भारतीय रेडियो की अन्य समाचार एजेंसियों के लिये नहीं। पी० टी० आई को अन्य शकलों में भी संरक्षण दिया जाता है। हाल में चीन को गये शिष्ट मण्डल के साथ पी० टी० आई० रायटर्स के विशेष प्रतिनिधि को भी भेजा गया था और उस की हवाई यात्रा का खर्चा सरकार द्वारा दिया गया था, जब कि अन्य समाचार एजेंसियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी।

ऐसे मामले तब बतलाये गये हैं कि केन्द्रीय मंत्रियों तक ने कुछ समाचार-पत्रों पर पी० टी० आई० रायटर्स के पक्ष में प्रभाव डाला।

फिर हमारे देश के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अमरीकी प्रभाव लाया जा रहा है और अखिल भारतीय रेडियो भी इससे अछूता नहीं बचा। इसके समाचार विभाग में हाल ही में ७२,००० रुपये प्रति वर्ष के वृहत् मूल्य पर एक टेलोप्रिंटर प्रतिस्थापित किया गया है। हम मुश्किल से उससे वर्ष में २ –३ हज़ार के मूल्य का लाभ उठा पाते हैं। और इसे मितव्ययता समझा जाता है। इसके अतिरिक्त साम्यवादी विरोधी प्रचार करने में भी अखिल भारतीय रेडियो नहीं चुकता।

अब मैं कुछ छोटी बातों पर आता हूं जो वास्तविकता में बहुत बड़ी हैं। अपने निकट ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अखिल भारतीय रेडियो में कलाकारों को कुछ नहीं समझा जाता है। उन्हें कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं। फिर वे देश के लिये सौन्दर्य और कला का सृजन कैसे कर सकते हैं? न उनके सुस्ताने के लिये कमरा है, न हाथ मुंह धोने के लिये कोई स्थान है और न यातायात सुविधायें ही ठीक हैं। किसी कलाकार को यदि आधी रात बीते अथवा सुबह तड़के जाना होता है तो दो मील से अधिक की दूरी के लिये उसे यातायात का व्यय वहन करना पड़ता है। यह बड़ी दुःख प्रद बात है।

७२,००० रुपये आप प्रति वर्ष एक अनुपयोगी टेलीप्रिंटर पर खर्च कर सकते हैं, किन्तु ६०० रुपये प्रति मास पर १० और एडीटर नहीं रख सकते। मितव्ययता के नाम पर हम कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ा सकते और दूसरी ओर अनाप शनाप खर्चा करते हैं।

मैंने अखिल भारतीय रेडियो के बाल-पात्र के लिये एक लेख लिखा था। बाल-पात्र कहता है : "मुझे रंगीन पेंसिलें पसन्द हैं। मझे हरी और पीली पेंसिलें अच्छी लगती हैं, मुझे काली अच्छी लगती हैं, मुझे लाल अच्छी लगती हैं किन्तु लाल मुझे सबसे अच्छी लगती हैं।" सेन्सर ने इस वाक्य को हटा दिया। श्रीमान्, मैं आप से पूछता हूं कि यदि आप सभी लाल वस्तुओं को हटाना चाहते हैं तब तो आपको नई दिल्ली में फिरने वाली अनेक शौकीन महिलाओं को भी हटाना होगा। राष्ट्रपति जिस लाल फ़र्श पर चलते हैं उसे भी हटाना होगा और लाल फ़ीताशाही को भी—जो एक अच्छी बात होगी—समाप्त करना होगा।

समय के अभाव में मैं केवल एक दो बातें ही और कहना चाहूंगा। जो शास्त्रीय हिन्दी रेडियो द्वारा प्रसारित की जाती हैं वह सामान्य मनुष्य की समझ के परे है। आखिर रेडियो जनता की वस्तु है और उतनी क्लिष्ट भाषा जनता नहीं समझ सकती। हमें रेडियो की भाषा को सरल बनाना होगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेडियो को सरकार से पृथक कर देना चाहिये। एक कारपोरेशन द्वारा इसे चलाया जाना चाहिये जिसमें कि सृजनात्मक प्रतिभा के व्यक्ति हों। कारपोरेशन के रूप में अखिल भारतीय रेडियो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक अच्छी तरह कर सकता है।

श्री एस० के० पाटिल (बम्बई नगर—दक्षिण) : मैं सूचना तथा प्रसारण एवं सिनेमा उद्योग के विषय में कुछ रचनात्मक सुझाव रखना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश, सूचना तथा प्रसारण विभाग पर जो हमारे देश के विकास के लिये इतना महत्वपूर्ण है, सरकार द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। इस विभाग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए भी केवल दो ही घन्टे दिये गये हैं जो सी बात का द्योतक है कि सरकार इस विभाग के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है।

मैं समझता हूं कि सरकार को अपना यह कर्तव्य समझना चाहिये कि राष्ट्रनिर्माण विभागों के लिये पर्याप्त धन राशि दे। हमारे शरीर निर्माण के लिये काफ़ी रुपया खर्च किया जाता है। किन्तु मस्तिष्क-निर्माण के लिये क्या किया जा रहा है? यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप उस जनतंत्र को जिस पर आपको इतना गर्व है, हानि पहुंचायेंगे। इसलिये मैं पूरे जोर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस विभाग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

सूचना विभाग के लिये केवल ९३ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं और इस राशि में आप को सूचना प्राप्त करना है, सूचना देना है और इस अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग की एक दर्जन अन्य शाखाओं को चलाना है। इस में आश्चर्य नहीं कि आप की सूचना व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक रही है। भारत की अपनी विशेष समस्यायें हैं जिन्हें आपको संसार के सम्मुख रखना है; संसार की भी समस्यायें हैं जिन्हें हमें अपने नागरिकों को अनभूत कराना है। यह काम आप बिना पर्याप्त रुपये तथा कर्मचारीवर्ग के नहीं कर सकते। केवल यह शिकायत करने से काम नहीं चल सकता कि हमारे

[श्री एस० के० पाटिल]

पास रुपया नहीं है । कुछ समय पूर्व इस विभाग को अधिक कार्य-क्षम बनाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी उसने सिफारिश की थी कि विदेशी तथा अंतर्देशीय सूचना व्यवस्था को एकीकृत करके उसका प्राक्कलन एक ही नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाये । किन्तु अभी तक उन की सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया है । दोनों के एकीकृत कर देने से कार्य-क्षमता बढ़ेगी तथा अनेक कठिनाइयों का निवारण हो जायेगा ।

अब मैं प्रसारण विभाग पर आता हूं । मैं अपने माननीय मित्र श्री चट्टोपाध्याय से इस बात पर पूर्ण सहमत हूं कि इस विभाग की उपेक्षा की गई है । इस के लिये केवल २ करोड़ रुपये की स्वीकृति है जब कि देश के लिये उसका इतना अधिक महत्व है : गत तीन चार वर्षों में इधर उधर कुछ नये स्टेशन आप ने भले ही खोल दिये हों और एक आध भाषा और चालू कर दी हो, किन्तु यदि सब कुछ मिलाकर इस विभाग के कृतित्वों को देखा जाये तो वे नहीं के बराबर हैं—इसलिये नहीं कि इस विभाग में प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी है, वरन् इसलिये कि दो करोड़ रुपये बहुत थोड़ी राशि है । भारत में यह एक आश्चर्य की बात है कि कुल आठ घंटे ही प्रसारण का कार्यक्रम रहता है और जब हमें इसकी सब से अधिक आवश्यकता होती है उस समय जब हम रेडियो चलाते हैं तो कोई कार्यक्रम नहीं होता है । जब कि कोई क्लर्क या मजदूर थकामांदा घर आता है तो उसे मनोरंजन—कुछ अच्छे संगीत आदि—की आवश्यकता होती है किन्तु इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आप का नहीं होता है । आप के कार्यक्रम बड़े नीरस होते हैं । अपने कार्यक्रमों की अन्य देशों के कार्यक्रमों से तुलना कीजिये । अमेरीका को न सही, जापान को ही लीजिये । कम से कम १८ घंटे का वहां कार्यक्रम होता है, और अनेकों रुचिकर विषयों में, जिनमें से आप कम से कम छै अपने रुचि के पा सकते हैं । लेकिन हमारे यहां केवल एक या दो ही कार्यक्रम अपनी रुचि के मिलेंगे । और मेरे जैसे प्रान्त में जहां चार भाषायें हैं, प्रत्येक भाषा को कार्यक्रम में स्थान देना आवश्यक हो जाता है । जब मैं अपना रेडियो खोलता हूं तो मुझे कन्नड़ सुनाई देने लगती है और जब मेरे कन्नड़ मित्र रेडियो खोलते हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार अन्य भाषा सुनने को मिलती होगी। इसलिये अधिक कार्यक्रमों, कार्यक्रमों के अधिक समय तक चलने तथा उनके अधिक रुचिकर होने का प्रबन्ध करना आवश्यक है ।

दूसरी बात मैं वाणिज्य प्रसारणों के विषय में कहना चाहता हूं । इस देश में वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारणों को बुरी दृष्टि से देखा जाता है । यह बड़ी गलत चीज है । लोगों ने ऐसे प्रसारणों के विरुद्ध बड़ी गलत धारणा बना ली है । वे समझते हैं कि ऐसे प्रसारण विभिन्न फर्मों की वस्तुओं का विज्ञापन मात्र करते हैं और इससे सामान्य प्रसारण की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । मैं आप को एक उदाहरण देता हूं । स्टेन्डर्ड आयल कम्पनी के प्रसारित कार्यक्रम विश्व के सब से अच्छे कार्यक्रमों में होते हैं । और फर्मों के भी इसी प्रकार के अच्छे कार्यक्रम होते हैं और वे बड़े मनोरंजक होते हैं । इसलिये ईश्वर के लिये वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारण की बात पर बिना विचार किये ही उसे एक दम समाप्त न कर दीजिये । भविष्य में आप सदन के सम्मुख आकर और अधिक रुपये की मांग करेंगे । इसलिये मैं कहता हूं कि आपको वाणिज्य सम्बन्धी प्रसारण प्रणाली पर विचार

करना ही पड़ेगा। चूंकि आपका प्रसारण राज्य-प्रवन्धित है इसलिये आप वाणिज्य प्रसारण पर नियंत्रण भी रख सकेंगे।

मैं सिनेमा के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं फ़िल्म जांच समिति का सभापति था। एक वर्ष से अधिक हुआ इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस उद्योग को उच्चतर स्तर पर लाने के लिये इन सिफारिशों पर कब कार्यवाही की जायेगी उस दिन माननीय मंत्री जी ने अपने एक उत्तर में बतलाया था कि इस प्रतिवेदन के कुछ भाग राज्य सरकारों के पास भेजे गये हैं। किन्तु जब कि उसमें एक रूप करारोपण की सिपारिश की गयी है तो राज्य सरकारें उसे इच्छापूर्वक किस प्रकार स्वीकार कर सकती हैं? इस प्रकार कार्य करने के ढंग से सुधार नहीं हो सकता। प्रतिवेदन में और कई सुझाव दिये गये हैं जो कार्यान्वित किये जाने चाहियें। इस उद्योग में ४० करोड़ रुपये की निजी पूंजी लगी हुई है और राज्य सरकारों को ७ करोड़ रुपया राजस्व के रूप में इस उद्योग से प्राप्त होते हैं। यह उद्योग, विकसित किये जाने पर, न केवल मस्तिष्क के लिये भोजन का साधन बनेगा वरण राजकोष में भी वृद्धि करेगा। अतएव बैठे-बैठे इस बात की प्रतीक्षा मत कीजिये कि राज्य सरकारें यथासम्भव सबकुछ करेंगी। वे कुछ नहीं करेंगी। आप को अपना प्रभाव और दबाव डालना होगा। यदि उत्पादन संहिता प्रशासन (प्रोडक्शन कोड एडमिन्सट्रेशन) की स्थापना कर दी जाये तो फ़िल्मों के सेंसर की कठिनाई नहीं रहेगी। अब आप फ़िल्म बन जानें पर उसका सेंसर करते हैं। यदि इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उद्योग को लाखों रुपये की हानि सहनी पड़ती है। फ़िल्म पूरी हो जाने के बाद आप उसका सेंसर नहीं कर सकते। उपर्युक्त प्रशासन स्थापित हो जाने पर यह कठिनाई दूर हो जायगी। क्योंकि फ़िल्म का प्रारम्भ में ही सेंसर हो जायेगा। इंग्लैन्ड और अमरीका में यही प्रथा है।

यदि मेरे पास समय होता तो मैं बहुत से सुझाव देता, किन्तु समयाभाव के कारण मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि सूचना, प्रसारण तथा चलचित्र विभागों के साथ सरकार को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये जैसे कि उनका कोई स्थान ही न हो। ये ऐसे विभाग हैं जो राष्ट्र का निर्माण अथवा बिगाड़ कर सकते हैं।

श्री एन० पी० दामोदरन (तेलिचरी): प्रसारण विभाग ने अभी हाल के निर्वाचनों में निर्वाचनदाताओं को निर्वाचन के महत्व और उसकी प्रणाली के सम्बन्ध में शिक्षित करने का जो आन्दोलन चलाया था उस के लिये मैं उसे बधाई देता हूं। किन्तु अखिल भारतीय रेडियो ने निर्वाचन काल में अपनी पूर्ण तटस्थ नीति का पालन नहीं किया। सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आन्दोलन सम्बन्धी सुविधायें अखिल भारतीय रेडियो पर "किसी भी राजनीतिक दल" को उपलब्ध नहीं होंगी। यदि वे यह कहते तो अधिक उपयुक्त होता कि "कांग्रेस के अतिरिक्त और किसी भी राजनीतिक दल" को उपलब्ध नहीं होंगी। मैं इस बात को उदाहरण दे कर साबित करूंगा। निर्वाचनों से ठीक पूर्व हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण न केवल उनके प्रधान मंत्री की हैसियत से वरन् उनके कांग्रेस के राष्ट्रपति की हैसियत से भी प्रसारित किये गयेथे। उसका परिणाम यह हुआ कि निर्वाचकों ने कांग्रेस और सरकार में कोई अंतर ही नहीं समझा और फलस्वरूप आज कांग्रेस के बहुत से उम्मेदवार को यहां स्थान मिला हुआ है।

[श्री एन० पी० दामोदरन]

अखिल भारतीय रेडियो का यह दावा सत्य नहीं है कि वह गत निर्वाचनों में तटस्थ रहा है। कांग्रेस मंत्रियों द्वारा अपनी दोनों हैसियतों में अर्थात् मंत्री होने के नाते, और कांग्रेसी होने के नाते यह बतलाते हुए कि कांग्रेस ने देश के लिये यह-यह किया है, जो भाषण दिये गये उनका अखिल भारतीय रेडियो ने खूब प्रकाशन किया। यह अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के पक्ष में प्रचार था।

दूसरे, मैं हिन्दी के विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं हिन्दी विरोधी नहीं हूं। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसे हमें अपनाना चाहिये। किन्तु अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी लादने में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिये। इस बारे में हमें धीरे धीरे बढ़ना चाहिये। पंजाब तथा अन्य स्थानों के उर्दू भाषी लोग पाकिस्तान रेडियो खोल लेते हैं क्योंकि वे आप की हिन्दी नहीं समझ सकते। अतएव इन लोगों के लिये उर्दू के कार्यक्रम प्रसारित किये जाने चाहिये।

अखिल भारतीय रेडियो के प्रत्येक स्टेशन के लिये परामर्शदात्री समितियों की नियुक्ति की गई है। इन समितियों की बात की परवाह कोई नहीं करता—न तो सरकार और न ही स्टेशन संचालक। वे सरकार के नाम निर्देशित व्यक्ति होते हैं तथा उसकी हां में हां ही मिलाते हैं। मेरा सुझाव है कि इन समितियों का चुनाव संसद, राज्य विधान मण्डल तथा जिला व म्युनिसिपल बोर्डों के प्रतिनिधियों में से होना चाहिये तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। भारत के समस्त रेडियो स्टेशनों के एक केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद् की स्थापना की जानी चाहिये जिस के सदस्य भी संसद् के सभी दलों में से चुने जायें।

इस समय जो नियुक्तियां की जाती हैं उनमें लोग अपने अपने आदमी भर लेते हैं और बाद को किसी तरह उन्हें स्थायी बना दिया जाता है। दूसरी प्रकार से भी इस विभाग में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। यही ऐसा विभाग है जहां कि जो लोग दो वर्ष पूर्व ४५० रुपये मासिक वेतन पा रहे थे अब १,५०० रुपये मासिक वेतन ले रहे हैं। मैं ऐसे स्त्री पुरुषों को जानता हूं जो कि किसी भी अच्छे कार्य के अयोग्य हैं किन्तु उनकी नियुक्ति कुछ बड़े पद वाले अच्छे व्यक्तियों को हटाकर उनके स्थान पर की गयी है।

कलाकारों, वक्ताओं आदि के परिश्रमिक के लिये स्टेशन संचालकों के अधिकार में जो राशि रखी जाती है उस पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रखा जाता। स्टेशन संचालक जिसे चाहते हैं रख लेते हैं। वास्तव में प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उन्हें बहुत कम परिश्रमिक दिया जाता है, जब कि वे लोग जो स्टेशन संचालकों को प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें मोटी मोटी राशियां परिश्रमिक स्वरूप दी जाती हैं। मैं चहता हूं कि मंत्रणा समितियों को इन सब बातों के रोकने के लिये पर्याप्त समय हो।

प्रसारण के महासंचालक को मुअत्तिल कर दिया गया है। यदि उनके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप सही सिद्ध हो जाते हैं तो सम्बन्धित मंत्रालय पर यह एक बड़ा लांच्छन होगा कि लगातार चार वर्षों तक वे कथित अनियमितताएं होती रहीं तथा मंत्रालय बराबर सोता रहा।

कुछ शब्द मैं अपने यहां के मालाबार के रेडियो स्टेशन के विषय में कहना चाहता हूं। मेरा तात्पर्य कालीकट के स्टेशन से है। छः मास तो कालीकट स्टेशन स्वतंत्र रहा

किन्तु इसके पश्चात उसे त्रिवेंद्रम के हाथ की कठपुतली बना दिया गया और अब उसकी स्थिति यह है कि त्रिवेंद्रम से जो संगीत, नाटक, भाषण आदि प्रसारित किये जाते हैं उन्हें टेलीफोन द्वारा इस स्टेशन से पुनःप्रसारित (रिले) किया जाता है। मुझे बतलाया गया है कि जो भी राशि इस नई व्यवस्था के कारण बची है उतनी ही राशि त्रिवेंद्रम से कालीकट को टेलीफोन द्वारा कार्यक्रम संचरित करने में व्यय हो जाती है। यह मुसीबत कालीकट पर इसीलिए आयी कि एक ही व्यक्ति को कालीकट तथा त्रिवेंद्रम दोनों स्टेशनों के नियंत्रण के लिए रख दिया गया और वह कालीकट आना नहीं चाहता था तथा त्रिवेंद्रम को छोड़ना नहीं चाहता था। इस कार्यवाही के विरुद्ध मालाबार के समाचारपत्रों, कलाकारों, स्थानीय निकायों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं सभी ने आवाज़ उठायी। उसी समय प्रसारण मंत्री ने यह कहा कि मालाबार में काफी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति नहीं हैं और इसीलिए कालीकट से स्टेशन हटा दिया गया। यह जले पर नमक छिड़कना था। बाद में कालीकट में फिर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और मंत्री जी ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने ऐसा कहा था कि मालाबार में प्रतिभा की कमी है, किन्तु अब भी कालीकट के साथ न्याय नहीं किया गया है। मैं नये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे समस्त मामले को नए सिरे से देखें और कालीकट में एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना करके उसे अपना पहले का स्थान प्रदान करें। मैं उनसे यह प्रार्थना भी करूंगा कि जो अन्य बातें मैंने बतलायीं उन पर भी ध्यान देकर माननीय मंत्री प्रसारण विभाग के भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे।

श्री एस० ए० खान (इब्राहीमपट्नम) : भारत के ३६ करोड़ व्यक्तियों को, जो भिन्न-भिन्न भाषायें बोलते हैं, जिनका भिन्न भिन्न धर्म है और जो विभिन्न सांस्कृतिक वर्गों के हैं, शिक्षित करने में प्रसारण विभाग का बहुत बड़ा महत्व है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक बड़ा उत्तरदायित्व जनता में धर्म-निरपेक्ष जनतंत्र की भावना करना है।

जनतंत्र एक क्रमिक विकास है। इसे लोगों पर एकाएक लादा नहीं जा सकता। जनता के मस्तिष्क में इसके बीज बोने पड़ते हैं; और मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सरकार अगुआई कर सकती है। मेरा यह भी विश्वास है कि इस यदि राष्ट्रव्यापी पैमाने पर यह आन्दोलन प्रारम्भ किया जाए तो इस सदन के किसी भी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में केवल प्रेस के माध्यम से प्रचार करने में काम नहीं चलेगा क्योंकि अधिकतर जनता शिक्षित नहीं है। हमें ऐसे उपाय अपनाने पड़ेंगे जिनसे कि जनता स्वयं अपने कानों से सुनकर और अपनी आंखों से देखकर इस संदेश को ग्रहण करले और इसके साथ ही साथ उसका मनोरंजन भी हो। इसके लिए मैं समझता हूं १६ मिलीमीटर के फिल्म गांव-गांव में दिखाये जाने चाहियें तथा सचल एककों द्वारा ग्रामीणजनों के सम्मुख भाषण देकर, नाटक खेलकर, संगीत द्वारा तथा अन्य उपायों से उनमें यह भावना भरनी चाहिये। हम इस सम्बन्ध में उन प्रतिभासम्पन्न कलाकरों की सेवा भी प्रयुक्त कर सकते हैं जो आजकल इस देश में भूखों मर रहे हैं और इस प्रकार उनकी सहायता भी कर सकते हैं।

सात लाख गांवों के इस देश में मैं समझता हूं कि ७,००० सचल दलों से कार्य चल सकता है। इस योजना में जो हिसाब मैं ने लगाया है उसके अनुसार लगभग २०

[श्री एस० ए० खान]

करोड़ रुपये अन-आवर्ती तथा ४ करोड़ रु० प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय होने की सम्भावना है । मुझे आशा है कि जो महान् कार्य इस से पूरा होगा उसे देखते हुए यह व्यय अधिक नहीं है ।

यद्यपि सूचना तथा प्रसारण विभाग के विरुद्ध इस सदन में बहुत कुछ कहा गया है तथापि तथ्य यह है कि यह विभाग अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहा है । निर्वाचनों के दिनों में इसने जनता को जनतंत्र में शिक्षित बनाने का जो कार्य किया था वह इसका एक महान् कर्तव्य है । मैं समझता हूं कि विभिन्न राज्यों के प्रचार संगठन केन्द्रीय विषय बन जाने चाहियें । राज्यों को प्रचार कार्य के लिए अपने राजस्व का आधा प्रतिशत देना चाहिए तथा शेष व्यय भारत सरकार पूरा करे । केन्द्रीय प्रचार संगठन भी ये शाखाऐं प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कार्य करेंगी और इस प्रकार प्रचार कार्य केन्द्रीकृत हो जाएगा । इसका यह अर्थ होगा कि केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के निकट सहकार में कार्य करेगी । यह मैं ने एक मोटी रूप रेखा बतलायी और मेरा सुझाव है कि राज्यों के सूचना मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाकर इस विषय पर पूर्णतया विचार किया जाए ।

श्री वी० जी० देशपांडे : उपसभापति महोदय, आज यहां नभोवाणी और समाचार विभाग पर वाद विवाद हो रहा है । मेरे मित्र श्री चटटोपाध्याय ने पी० टी० आई० के बारे में, जिस के बारे में मैं ने कटौती की सूचना दी थी, काफी कहा है, इसलिये उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मैं इस सभागृह की दृष्टि में एक ही बात लाना चाहता हूं कि प्रेस और इनफारमेशन (समाचार) और रेडियो, वृत्त पत्र और नभोवाणी, यह दो सरकार के हाथ में बड़े प्रभावशाली शस्त्र हैं । जैसा कि श्री पाटिल साहब ने और श्री चट्टोपाध्याय साहब ने बताया, देश के कल्याण के लिये यह दोनों विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और देश का कल्याण करने वाले हैं । आप के प्रतिवृत में यह कहा गया है कि दुनिया के पांच बड़े नभोवाणी के देशों में हिन्दुस्तान की गणना है । मैं समझता हूं कि यह महान अस्त्र है, और आज विरोधी दल को यह भय है कि इस शस्त्र का उपयोग, एक दल को बढाने के लिये हो रहा है और प्रतिपक्षियों को दबाने के लिये । इस काम के लिये इस नभोवाणी का ही नहीं, और भी जो शक्ति सरकार के हाथ में है उस का उपयोग किया जा रहा है । सत्ता भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रुप से भ्रष्ट कर देती है । मैं यह देख रहा हूं कि जो बहुसंख्या कांग्रेस सरकार के हाथ में आज है उस बहुसंख्या का उपयोग करके वह अपने प्रतिपक्षियों को दबाने की रेडियो द्वारा और दूसरी तरह भी कोशिश कर रही है । पी० टी० आई० से पहले जो ए० पी० आई० वृत्त संस्था थी उस ने जितना कांग्रेस का प्रचार किया उस से ज्यादा सरकार का प्रचार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है । आज इस सभा को यह बात ध्यान में लेनी चाहिये । आज मैं देखता हूं कि किह तरह इस नभोवाणी के द्वारा सरकार अपने प्रतिपक्षियों को दबाने की चेष्टा कर रही है । यह देख कर तो मैं यह चाहता हूं कि इस संस्था का इतना विकास न हुआ होता तो अच्छा होता । निर्वाचन के दिनों में मुझे याद है कि रेडियो का किस प्रकार से दुरूपयोग किया गया । मेरे सलेम के एक मित्र ने बताया कि उन्होंने आंखों से देखा और कानों से सुना कि श्री गोपालन, श्री नम्बियार आदि जनता को पं० नेहरू के विरोध में भड़का रहे थे । मैं

आप को बतलाना चाहता हूं कि मैं ने भी अपने कानों से सुना कि रेडियो पर दिन प्रति दिन पंडित नेहरू के भाषणों का प्रतिवृत्त आता था कि हिन्दू महासभा महात्मा गांधी की हत्या के लिये उत्तरदायी है और हिन्दुस्तान भर में आल इंडिया रेडियो इस वृत्त को दुहराता था। इसी के कारण हिन्दू राष्ट्रपति डाक्टर खर साहब ने नागपुर की हाईकोर्ट में एक केस भी पेश किया था। आप देखेंगे कि इस रेडियो पर कांग्रेस के प्रचार के समाचार प्रसारित किये जाते हैं। निर्वाचन में ही नहीं, आज भी आप देखेंगे कि इस नभोवाणी के द्वारा कांग्रेस का प्रचार बहुत पद्धतिशील रीति से होता है। कांग्रेस के लिये प्रचार इस पर चल रहा है। मेरे एक मित्र ने कहा कि रेडियो द्वारा सिक्यूलरिज्म (धर्म निरपेक्षता) का प्रचार किया जाना चाहिये। मैं नहीं जानता कि इस विधर्मी राष्ट्रीवाद की सरकार की क्या कल्पना है। किन्तु भिन्न भिन्न नभोवाणी के जो केन्द्र हैं वह इसका भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। यह हमने देखा है। मैं एक उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। बम्बई के एक माननीय प्रोफेसर ऐन० आर० फाटक हैं जो महाराष्ट्र में एक बड़े साहित्यिक और इतिहास के संशोधक माने जाते हैं। इन को बम्बई के नभोवाणी केन्द्र में इतिहास पर बोलना था। विषय था संभाजी। उनके भाषण में एक वाक्य था "औरंगजेब ने तीन दिवस पर्यन्त हाल हाल करून संभा जीचा वध केला" जिस का हिन्दी में अर्थ है "तीन दिन पर्यन्त अत्याचार करने के पश्चात् औरंगजेब ने संभा जी का वध किया"। रेडियो वालों ने कहा कि इस में से यह तीन शब्द, टार्चर फार थ्री डेज (तीन दिन पर्यत अत्याचार) निकाल दिये जायें। फाटक साहब ने यह स्वीकार नहीं किया और उन्होंने व्याख्यान नहीं दिया। उस नभोवाणी केन्द्र वालों का विचार था कि यह शब्द एक मुसलमान के विरुद्ध थे इसलिये निकाल देना चाहिये। इस का अर्थ यह है कि हमें इतिहास में औरंगजेब के विरुद्ध भी नहीं बोलना चाहिये। प्रो० फाटक साहब ने इस के पश्चात् नभोवाणी केन्द्र पर इतिहास के विषय पर बोलने से इन्कार किया। यह मैं मराठी वृतपत्रों के भरोसे पर नहीं कह रहा हूं। यह बात प्रो० फाटक जी ने २४ मार्च को पूना के वसन्त व्याख्यान माला में बताई है। यह आप के विधर्मी राष्ट्रवाद की व्याख्या है। दूसरे एक केलकर साहब बडे साहित्यिक हैं। उन के व्याख्यान बम्बई नभोवाणी पर होते रहते हैं। एक हफ्ते में केलकर साहब ने कहा कि मैं सावरकर दर्शन नामक पुस्तक का समीक्षण करूंगा। इस पर विधर्मी राष्ट्रवाद वालों ने कहा कि वीर सावरकर महाराष्ट्र में सर्वोत्तम साहित्यिक होते हुए भी हमारे दल के नहीं हैं, हमारे नेहरू जी के खिलाफ हैं इस कारण सावरकर दर्शन पर आलोचना नहीं हो सकती। यह बात केलकर साहब ने एक वक्तव्य में कही। इस प्रकार को विधर्मी राष्ट्रवाद की व्याख्या आपके नभोवाणी केन्द्रों से की जाती है।

आज कुछ सदस्यों ने हिन्दी भाषा के बारे में शिकायत की, पर उन में से उत्तर भारत का कोई नहीं था। एक सदस्य बंगाल के थे और एक मालाबार के थे। उन का कहना है कि आल इंडिया रेडियो की भाषा बड़ी संस्कृतनिष्ट होती है। मैं तो यह देख रहा हूं कि आज समाचार विभाग और नभोवाणी विभाग में हिन्दी के प्रति अन्याय हो रहा है। यह मेरा उन पर आक्षेप है। मैं देखता हूं कि आज भी अंजुमन तरक्की उर्दू को ३६ हजार रूपया दिया जाता है और पहले चालीस हजार रूपया दिया जाता था। हम ने रेडियो और समाचार के विभाग में भी देखा है कि फाइव इयर्स प्लान (पंच वर्षीय

[श्री वी० जी० देशपांडे]

योजना) को अंग्रेजी में छापा गया, हिन्दी में छापा गया और उर्दू में छापा गया। मैं यहां के सब लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि यह तामिल में क्यों नहीं छापा गया, तेलगू में क्यों नहीं छापा गया, मराठी में क्यों नहीं छापा गया, केवल उर्दू में ही क्यों छापा गया । आप के यहां से आठ मेगज़ीन निकलती हैं अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और अरबी में । मुझे तो पता नहीं लगता कि यह हिन्दुस्तान है या अरबस्तान है या ईरान है । यहां जो हमारे मद्रास के पोकर साहब हैं वह कहते हैं कि मौलाना साहब की भाषा उन की समझ में नहीं आती पर देशपांडे की भाषा थोड़ी बहुत उन की समझ में आती है क्योंकि वह संस्कृतनिष्ठ है । हिन्दुस्तान के हर भाग में संस्कृतनिष्ठ हिन्दी समझी जा सकती है अरबीनिष्ठ हिन्दी नहीं समझी जा सकती । और मैं देख रहा हूं कि आप के रेडियो और समाचार विभाग में हिन्दी के साथ कितना अन्याय हो रहा है । मुझे अधिकृत रूप से बतलाया गया है कि स्वतंत्रता मिलने के पूर्व हिन्दी पर जितना खर्च होता था उतना खर्च अब स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी राष्ट्रभाषा स्वीकार हो जाने के पश्चात् नहीं हो रहा है । स्वतन्त्रता मिलने के पूर्व इस विभाग में आप के यहां आठ हिन्दी जर्नलिस्ट (पत्रकार) काम करते थे । आज तीन ही रह गये हैं । आज अंग्रेजी और उर्दू की तुलना में हिन्दी पर बारहवां हिस्सा भी खर्च नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार की हालत हिन्दी की नये जमाने में हो गई है । यह मैंने देखा है ।

इस के पश्चात् मैं आप को दो एक बातें पी० टी० आई० के बारे में कहना चाहता हूं ; मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यहां किस प्रकार से इस डिमाक्रेसी (गणेतन्त्र) में रिश्वत द्वारा, पैसे के लोभ से एक वृत्तपत्र संस्था को मिला कर, लोक राज्य का गला घोटने का यत्न हो रहा है और किस प्रकार सरकार के द्वारा लाखों रुपये एक वृत्तपत्र संस्था को दिये जाते हैं । मैं केवल यहां उदाहरण नहीं देना चाहता कि किस प्रकार पी० टी० आई० की तरफ से हाथी सिंह साहब को चीन में भेज कर इतना रुपया खर्च किया गया । बल्कि जो सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं यह भी एक तरह से वृत्तपत्रों को रिश्वत दी जाती है इस सभा गृह में विरोधी दल के एक सदस्य ने सरकार से पूछा था कि कौन कौन से वृत्त पत्रों को कितने कितने विज्ञापन दिये जाते हैं, उन को कितना पैसा दिया जाता है, उन का प्रचार कितना कितना है, उन का सरकुलेशन (क्रय-संख्या) कितना है और सरकार की तरफ से उन को उत्तर दिया गया कि हम यह बता नहीं सकते । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस में कौन सी गुप्तता की बात है । क्या एटम बम बन रहा है ? यह ऐसी कौन सी गुप्त बात है कि जिस के बताने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी । यह जो लाखों रुपया विज्ञापन के रूप में दिया जाता है यह देश का रुपया है और मैं मिनिस्टर साहब को चुनौती देता हूं कि वह हाउस की टेबिल (सदन पटल) पर यह आंकड़े रखें कि समाचार विभाग कितना कितना रुपया किस-किस पत्र को विज्ञापन द्वारा मदद करने के लिये देता है । और जब तक यह आंकड़े नहीं दिये जाते तब तक मैं यह समझूंगा कि आप केवल कांग्रेस का और सरकार का साथ देने के लिये उन को रिश्वत देते हैं और जो आप के विरोधी हैं उन को मदद न देने के लिये आप इन पत्रों का उपयोग करते हैं । तब तक हम आप पर यही आक्षेप करते रहेंगे ।

इतने महत्वपूर्ण विभाग के लिये कुल डेढ़ घंटा गवर्नमेंट देती है यह क्यों किया जाता है मेरी समझ में नहीं आया । शायद यह इसलिये है कि हम आप पर आक्षेप न कर सकें । आज इस देश में खाली रेडियो में ही नहीं परन्तु इस डिपार्टमेंट (विभाग) में सब जगह दुरुपयोग किया जा रहा है और इस दुरुपयोग को बचाने के लिये सभा में विरोधी दल की ओर से आवाज़ उठाने को मैं खड़ा हुआ था और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस का उचित उत्तर देंगे ।

श्री पी० एल० कुरील (जिला बांदा ब जिला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् स्पीकर जी, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं अंग्रेजी में तकरीर करूं, लेकिन पिछली दफा जब मैं ने अंग्रेज़ी में तकरीर की थी तो कुछ दोस्तों और मित्रों ने मुझ से कहा कि आप यू० पी० के रहने वाले हैं, आप को हिन्दी में तकरीर करनी चाहिये । चूंकि हिन्दी जबान एक कौमी ज़बान है इसलिये मैं अपने मित्रों और दोस्तों को मायूस (निराश) नहीं करना चाहता । चूंकि मेरी पैदाइश सूबा पंजाब में हुई है इसलिये हिन्दी से बहुत ज्यादा वाकफियत (जानकारी) नहीं है । जब मैं मरकजी असेम्बली का मेम्बर था मैं अंग्रेजी में ही बोलता था और इस वक्त भी मेरी अंग्रेजी में बोलने की ख्वाहिश थी लेकिन मैं आज हिन्दी में ही बोलूंगा ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह हिन्दी नहीं है ।

श्री पी० एल० कुरील : हिन्दी और उर्दू में कोई खास अन्तर नहीं है । मुझे सिर्फ १५ मिनट का टाइम मिला है और मुझे फिल्म सनअत (उद्योग) पर बोलना है । इस से पहले कि फिल्म सनअत पर अपने ख्यालात का इज़हार (व्यक्त) करूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि अपने इंडियन यूनियन (भारत संघ) के प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) को एक आर्टिस्ट (कलाकार) श्री पृथ्वीराज कपूर को कौंसिल आफ स्टेट्स (राज्य परिषद्) का मेम्बर नामिनेट (मनोनीत) करने के लिये शुक्रिया (धन्यवाद) अदा करूं अभी तक हमारी गवर्नमेंट फिल्म सनअत की तरफ कोई तवज्जह (ध्यान) नहीं देती रही है और मुझे खुशी है कि अब हमारी सरकार फिल्म इंडस्ट्री (उद्योग) की तरफ तवज्जह देने लगी है। हाल ही में एक कलाकार को कौंसिल आफ स्टेट्स (राज्य परिषद्) का मेम्बर (सदस्य) बनाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट (कलाकारों) और उन के नुमाइन्दों (प्रतिनिधियों) को लेने की कोशिश करेगी और न सिर्फ आर्टिस्ट्स के नुमाइन्दों को बल्कि टैक्नीशियन्स, डाइरेक्टर्स (संचालक) और प्रोड्यूसर्स (निर्माताओं) के जो नुमाइन्दे हैं उन को भी लेगी। जब हम स्क्रीन (पर्दे) पर मधुबाला, सुरैया और नर्गिस को देखते हैं तो चकित हो जाते हैं लेकिन यह नहीं समझते कि उन की कामयाबी टैक्नीशियन्स (प्रविधिविज्ञों) डाइरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पर है । मुझे यह देख कर मायूसी होती है कि हमारी जनता और जनता के नुमाइन्दे यह कभी ध्यान नहीं देते कि टैक्नीशियन्स और प्रोड्यूसर्स पर ही फिल्म इंडस्ट्री का दारोमदार है । हमारी फिल्म सनअत का मौजूदा कैपिटल (पूंजी) तकरीबन चालीस करोड़ से ज़्यादा है और इस से काफी आमदनी सरकार को होती है, लाखों रुपये की आमदनी सरकार को हर साल होती है । लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारी सरकार ने अभी इस को एक इंडस्ट्री के तौर पर मंज़ूर ही नहीं किया है सरकार तो यह कहती है कि यह इंडस्ट्री ही नहीं है । जिस में ४० करोड़ रुपये का सरमाया (पूंजी) लगा हो और जिस

[श्री पी० एल० कुरील]

के ज़रिये से लाखों रुपये की आमदनी सरकार को होती है उस के लिये यह कहा जाये कि यह सनअत ही नहीं है यह एक ऐसी बात है जिस को कोई सही दिमाग का आदमी मानने को तैयार नहीं होगा ।

इस इंडस्ट्री के ज़रिये से हम तामीरी (रचनात्मक) काम सरअंजाम दे सकते हैं, लोगों के दिलों के अन्दर कौमियत (राष्ट्रीयता) और हुब्बुलवतनी (देश प्रेम) का जज़बा (भावना) पैदा कर सकते हैं और इसी तरह से दीगर (विविध) तामीरी कामों को भी सरअन्जाम दे सकते हैं। यह एक इतना बड़ा ज़रिया (साधन) है कि जिस से हम अपने नौजवानों में और जनता के दूसरे आदमियों में एक बड़ी भारी तब्दीली (परिवर्तन) पैदा कर सकते हैं, उन के अन्दर एक इस्लाही जज़बा (सुधार की भावना) पैदा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारी रोज़ाना ज़िन्दगी में फिल्म का कितना बड़ा दखल है । लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अभी तवज्जह नहीं की गई है । हमारी गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इस की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दे । इस वक्त की मौजूदा फिल्में जो कि रोज़ाना पर्दे पर आ रही हैं उन में चन्द ही ऐसी हैं जिन्हें कि हम इस्लाही, सोशल (सामाजिक) एजुकेटिव (शैक्षिक) कह सकते हैं । ज़्यादातर ऐसी तसवीरें हैं जिन का नौजवानों पर बुरा असर पड़ता है, उन का अखलाक (नैतिकता) बिगड़ता है और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इतने बुरे बुरे गाने होते हैं कि उन का हमारे नौजवानों पर बहुत बुरा असर पड़ता है । हमारा सैंसर बोर्ड उन में से कुछ गानों को फिल्मों से निकाल देता है लेकिन उन्हें निकाल देने के बाद सेंसर बोर्ड स की कोशिश नहीं करता कि वे गाने आम जगहों पर पब्लिक प्लेसेज़ (सार्वजनिक स्थानों) पर न चलाये जायें। रोज़ाना जब हम रेस्ट्राओं से गुज़रते हैं तो वे गाने हम को रिकार्ड पर सुनने को मिलते हैं और हम उन को सुनते हैं। गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया है कि जो गाने ममनूं (निषिद्ध) करार दे दिये गये हैं उन को पब्लिक प्लेसेज (सार्वजनिक स्थानों) पर गाने से रोका जाये

फिल्म सनअत एक चन्द सेमी ऐजुकेटेड (अर्ध शिक्षित) लोगों के हाथ में है जो कि ज़्यादा तालीम याफ्ता (शिक्षित) नहीं हैं । जिन का मतलब महज यह है कि जनता की जेबों को काटें और ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल करें, आर्ट (कला) से तो उन का दूर का लगाव भी नहीं है । इंडस्ट्री में तो ऐसे आदमियों की ज़रूरत है कि जिन के दिल में सनअत को तरक्की देने का लगाव हो और जो चाहते हों कि हमारी सनअत तरक्की करे और हमारी सनअत मुल्क के तामीरी काम में मदद करे । लेकिन यह कैसे हो सकता है जब कि किसी इंडिपेन्डेंट प्रोड्यूसर (स्वतंत्र निर्माता) या ऐसे शख्स की, जिस के अन्दर इंडस्ट्री की खिदमत करने का जज़बा मौजूद है और जो हकीकत (वास्तव) में आर्ट की खिदमत करने के लिये पिक्चर बनाना चाहता है फिल्म इंडस्ट्री में गुंजाइश नहीं । क्यों गुंजाइश नहीं है ? इसलिये कि स्क्रीनों (पर्दों) के लिये काम करने वाले मामूली एक्टर और एक्ट्रैस, जैसे कि सुरैया, नरगिस और मधुबाला वगैरह हैं, महज एक पिक्चर में काम करने के लिये लाख, और डेढ़ डेढ़ लाख रुपया तलब (मांगते) करते हैं और अफसोस का मुकाम तो यह है कि गवर्नमेंट देखती है कि कान्ट्रैक्ट के अन्दर वे २० या ३० हज़ार ही दिखाते हैं और हकीकत में एक या डेढ़ लाख रुपया तलब करते हैं और इस तरह से गवर्नमेंट को लाखों रुपये का नुक्सान होता है। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल

मजबूर है कुछ कर नहीं सकती । जब एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर चाहता है कि वह सोशल और एजुकेटिव टाइप का पिक्चर बनाये तो उसे यह देख कर दुख होता है कि उसे इन चन्द आर्टिस्ट्स का कोआपरेशन (सहयोग) नहीं मिलेगा जो कि फिल्म सनअत पर छाये हुए हैं। इस तरह वह अपने काम में अड़चन पाता है और वह मायूस (निराश) हो जाता है । नये कलाकारों और नये आर्टिस्टों की हौसला अफज़ाई (साहस वृद्धि) करनी चाहिये इस से जहां रुपये की बचत होगी वहां पर आर्ट और फन (कला) की तरक्की होगी ।

श्री एस० के० पाटिल साहब ने फिल्म इन्क्वायरी कमेटी (फिल्म जांच समिति) के मुताल्लिक (सम्बन्ध में) बहुत सी बातें रखी हैं। मेरा गवर्नमेंट से कहना है कि फिल्म इनक्वायरी कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन को इम्प्लीमेंट (लागू) करने की जल्दी से जल्दी ज़रूरत है और उन को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाया जाये। मेरा कहना है कि फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन के मुकर्रर करने की बहुत ज़रूरत है । क्योंकि वे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो कि चाहते हैं कि मुल्क की खिदमत करें और सोशल और एजुकेटिव टाइप की पिक्चर (चित्र) बनायें और जो कि मौजूदा माहौल (परिस्थिति) में अपने आप को इस काम के लिये मजबूर पाते हैं उन के लिये गवर्नमेंट को चाहिये कि वह ऐसे प्रोड्यूसर्स की मदद करें और वह तभी हो सकता है जब कि एक फिल्म फ़ाइनेंस कार्पोरेशन हो जैसा कि इंगलैंड में है। इंग्लैंड में नेशनल फिल्म फाइनेंस कार्पोरेशन ने १९५१ में ७८ प्रोड्यूसर्स को मदद दी। उस से हमारी गवर्नमेंट को सबक लेना चाहिये और उन कम्पनियों को इमदाद (सहायता) देनी चाहिये जो कि सही तौर पर मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं और सोशल ऐजुकेटिव टाइप की पिक्चर बनाना चाहती हैं ।

इसी तरह से फिल्म कौंसिल (फिल्म परिषद्) के क़ायम करने की ज़रूरत है ताकि वह कम से कम प्रोडक्शन (निर्माण) में, एक्ज़हीबिशन (प्रदर्शन) में और इसी तरह से बहुत सी बातों में गवर्नमेंट को सलाह दे सके और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं समझता हूं कि मौजूदा एटमासफेयर (वातावरण) जो फिल्म इंडस्ट्री में पाया जाता है उस को दूर नहीं किया जा सकता। हमारे मुल्क में थोड़े से ही स्टूडियो हैं और उन में फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिये बहुत काफी पैसा लिया जाता है, लेबर (श्रम) पर भी बहुत खर्च आता है, आर्टिस्ट्स और कलाकार ज़्यादा से ज़्यादा रुपया खा जाते हैं, सरकार की तरफ से टैक्सेशन (कर) इतना ज़्यादा है और उन के ऊपर इतना ज़्यादा बोझा है कि शायद ही चन्द प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो कि क़ामयाब पिक्चर बना सकते हैं । अगर गवर्नमेंट कोई क़दम नहीं उठाती है तो मैं तो यह समझता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री दिन ब दिन गिरती जायगी, और देश की इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिस से कि तालीम का काम तथा और दूसरे तामीरी काम लिये जा सकते हैं नेस्तनाबूद हो जायेगी, बर्बाद हो जायेगी। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस सिलसिले में टैक्स लगाने की एक यूनीफार्म (एकरूप) पालिसी इख़तयार करे और फिल्म के प्रोड्यूस करने पर जो एक्चुअल प्राफिट (वास्तविक आय) होना है उसी के मुताबिक़ टैक्स (कर) वसूल किया जाय। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिक्चर तैयार नहीं होती, कुछ अभी हुआ नहीं और कोई जानता भी नहीं कि इस पर प्रोड्यूसर या कम्पनी के मालिक को क्या प्राफिट (लाभ) मिलेगा लेकिन पहले से ही टैक्स बांध दिया जाता है कि इतना टैक्स लगाया जायेगा । इससे प्रोड्यूसर्स को बड़ी दिक्क़त होती है और उन को

[श्री पी० एल० कुरील]

ऐनकरेजमेंट (प्रोत्साहन) नहीं मिलता । बहतर यह है कि एक्चुअल प्राफिट (वास्तविक लाभ) को देख कर टैक्स लगाया जाय ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सिनेमा खोले । हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर कुल ३,५०० सिनेमा हैं । रूस में जिस की आबादी हिन्दुस्तान से आधी है, ३९,००० सिनेमा घर मौजूद हैं और उसी तरह से अमेरिका में १९,००० के क़रीब हैं जब कि वहां की आबादी हिन्दुस्तान से बहुत ही कम है । मेरा ऐसा खयाल है कि ज्यादा से ज्यादा सिनेमा होने चाहियें मगर अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट की पालिसी ऐसी है कि वह लोग जो कि सिनेमा खोलना चाहते हैं उन को लाइसेन्स हासिल करने में बड़ी दिक्क़त का सामना करना पड़ता है । गवर्नमेंट उन को लाइसेन्स नहीं देना चाहती और अगर यह समझ कर नहीं देना चाहती कि ये इस क़ाबिल नहीं हैं कि सिनेमा को चला सकेंगे या गवर्नमेंट के मियार (मापदण्ड) के मुताबिक़ नहीं चला सकेंगे तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट को खुद चाहिये कि बड़े बड़े शहरों में सिनेमा-घर खोले और इसी तरह से गवर्नमेंट को स्टुडियोज़ को भी खोलना चाहिये । जिस जिस जगह फिल्म इंडस्ट्रीज़ के सेंटर (केन्द्र) हैं या जो लोग जहां के लिये मांग करें उस उस जगह गवर्नमेंट को स्टुडियोज़ खोलने चाहियें और माडर्न इक्विपमेंट (आधुनिक सामान) वहां पर रखना चाहिये ताकि जो इंडिपेंडेण्ट प्रोड्यूसर्स हैं जिन के पास कोई धन नहीं है वह उन से लाभ उठा सकें । आप तो समझते हैं कि वे एक्जहीबिटर्स (प्रदर्शन-कर्त्ताओं) और डिस्ट्रीब्यूटर्स (वितरकों) से सरमाया लेते हैं, जो कि वह एडवांस (पेशगी) देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह उसी हालत में एडवांस करते हैं जब कि वह देखते हैं कि पिक्चर में सुरैया, मधुबाला या नर्गिस वग़ैरह काम कर रही हैं ।

जब इक्जीबिटर या डिस्ट्रीब्यूटर यह मालूम करता है कि इस पिक्चर में सुरैया या मधुबाला काम नहीं कर रही है तो वह प्रोड्यूसर को उस पिक्चर के लिये एक हज़ार रुपया भी नहीं देना चाहता है । इस तरह से प्रोड्यूसर को फाइनेन्स (धन) वसूल करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है । इस तरह की हालत आज हमारे फिल्म सनअत की हो गई । अगर हमारी सरकार उन लोगों की मदद न करे जो कि सोशल पिक्चर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश की जनता की भलाई हो सके, तो वह अपना काम पूरी तरह से फाइनेन्स न होने की वजह से नहीं कर सकते । इस तरह के जो प्रोड्यूसर हैं और जो चाहते हैं कि इस देश में अच्छी और जनता का इख़लाक़ी मयार (नैतिक-स्तर) ऊंचा करने वाली पिक्चर बनें तो उन को सबसे बड़ी कठिनाई फ़ाइनेंस की उठानी पड़ती है । इसलिये गवर्नमेंट का यह फर्ज़ हो जाता है कि वह इस ओर ध्यान दे और इन लोगों की जो कि पिक्चरों द्वारा जनता को शिक्षित और उसका मयार ऊंचा करना चाहते हैं, उन की फाइनेन्स से मदद करें ।

आज जो हम पिक्चरें (चलचित्र) देखते हैं वह इतनी गिरी हुई हैं कि जनता का इख़लाक़ी मयार (नैतिक-स्तर) इन तस्वीरों को देखने से दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है । पिछले १५ वर्षों में काफी अच्छी तस्वीरें हमारे सामने आई थीं । जैसे देवदास, विद्यापति, हमराही, अमृत मन्थन, पड़ौसी,

सिकन्दर, अछूत कन्या, अमर ज्योति, औरत, रोटी, प्रैजीडैन्ट और इसी तरह के बहुत सी आदर्श तस्वीरें पिछले वर्षों में निकलीं। अब इस तरह की तस्वीरें हमारे मुल्क में नहीं दिखलाई देती हैं। अब तो आजकल जो तस्वीरें बन रही हैं उन का रूप ही दूसरा हो गया है। जिन तस्वीरों को आजकल जनता देख रही है उन से जनता का चरित्र दिन पर दिन नीचे गिरता ही चला जा रहा है। आज कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जिस में सुरैया, मधुबाला, नर्गिस आदि न हों। इन के खेल देखने को जनता लालायित होती है और प्रोड्यूसर इस का बेजा फायदा उठाते हैं। छोटा भाई, दहेज़, आदमी, शीश महल, अफसाना जैसी तीन चार तस्वीरों को छोड़ कर सब तस्वीरें ऐसी बन रही हैं और शहरों में जनता को दिखलाई जा रही हैं जिस से कि उनका इखलाक़ी मयार ऊंचा होने की बजाय नीचे गिरता ही चला जा रहा है।

मैं गवर्नमेंट से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह इस ओर तवज्जह दे और इस बात को रोके कि इस तरह की तस्वीरें जनता को न दिखलाई जायें जिन से कि उन के चरित्र खराब हों। अगर गवर्नमेंट इस ओर ध्यान देगी तो आप और हम देखेंगे कि हिन्दुस्तान की जो फिल्म इन्डस्ट्री है वह मुल्क की एक बड़ी इन्डस्ट्री हो जायगी। इस के ज़रिये से हम जनता की बहुत भलाई कर सकते हैं और सरकार को भी बहुत इस से आमदनी हो सकती है।

इसलिये मैं फिर इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार फिल्म इन्क्वायरी कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन को अमल में लाये। उस ने जो भी सिफारिश की हैं वह सब अमल करने योग्य हैं। मेरे पास इस समय वक्त नहीं है नहीं तो मैं उन सब सिफारिशों की ओर इस हाउस का और सरकार का ध्यान दिलाता। मैं फिर भी सरकार का ध्यान फिल्म इन्डस्ट्री में जो इस समय ब्लैक मेलिंग हो रही है उस की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर फिल्म प्रोड्यूस नहीं किये जाते हैं बल्कि वह करप्शन (भ्रष्टाचार) और प्रोस्टिट्यूशन (वेश्या-वृत्ति) के अड्डे बन गये हैं। इस का नतीजा यह हुआ कि इस से देश की जनता के चरित्र पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और इस को सरकार को अवश्य रोकना चाहिये। अगर इन सेन्टरों (केन्द्रों) को जो कि करप्शन और प्रोस्टिट्यूशन के केन्द्र बन गये हैं सरकार ने नहीं रोका तो इस से देश को बहुत हानि होगी।

इतना कहने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और जब कभी और मौक़ा इस फिल्म इन्डस्ट्री के बारे में कहने का आयेगा, मैं इस के बारे में और वज़ाहत से बतलाऊंगा और उन पर नई रोशनी डालूंगा।

श्री भक्त दर्शन (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस मंत्रालय के सम्बन्ध में जो तरह तरह के कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं और विरोधी पक्ष से जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उन सब को सुन कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में यद्यपि इस विभाग के अनुदान में काफ़ी कमी की गई है लेकिन फिर भी उस ने आशातीत प्रगति की है। अभी मुझ से कुछ पहिले जो माननीय सदस्य श्री देशपांडे जी बोल रहे थे उन्होंने रेडियो पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। मैं समझता हूं कि जितने भी समझदार सदस्य इस सदन के हैं वह इस आरोप का विरोध करेंगे। चाहे कुछ भी हो यह बात सत्य है कि पिछले चुनाव में आल इण्डिया रेडियो ने बड़ी

[श्री भक्त दर्शन]

निष्पक्षता के साथ चुनाव के कार्य का संचालन किया और जनता को शिक्षित कराया । चुनाव सम्बन्धी जितनी भी बातें हुईं उन का उन ने प्रचार किया ।

मैं समझता हूं कि इस सदन में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन को आलोचना करने का और सरकार के दोषों को बतलाने का असाध्य रोग हो गया है । वह एक तरह से क्रोनिक पेशेन्ट (आदी) हो गये हैं । चाहे उन का उस बात से सम्बन्ध हो या न हो, मगर वह सरकार के दोष निकालते जायेंगे और सरकार की आलोचना भी करते ही चले जायेंगे । मैं इस असवर पर इस मंत्रालय के पिछले माननीय मंत्री श्री दिवाकर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने अपने कार्यकाल में इस मंत्रालय की उन्नति करने में बड़ा प्रयत्न किया और मुझे पूरी आशा है कि इस समय इस मंत्रालय के माननीय मंत्री जी एक उत्साही तथा सुयोग्य व्यक्ति हैं और उन के कार्यकाल में इस मंत्रालय में और भी अधिक प्रगति होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि हिन्दी के लिये इस मंत्रालय द्वारा इस बीच में काफ़ी कार्य किया गया है, जिस के लिये मैं इस विभाग को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब भी हिन्दी साहित्य और भाषा के प्रचार के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । अब भी समय समय पर आल इण्डिया रेडियो द्वारा जो भाषण विभिन्न विषयों पर प्रसारित किये जाते हैं उन में से हिन्दी में बहुत कम भाषण कराये जाते हैं । मेरा मंत्रालय से यह अनुरोध है कि हिन्दी के माध्यम द्वारा विश्व तथा भारत की समस्याओं पर अधिकारी विद्वानों द्वारा भाषण कराये जाने चाहिये । इस के साथ ही साथ दूसरे विद्वानों द्वारा भी भाषण कराने का प्रयत्न किया जाय । इस का एक परिणाम यह होगा कि जो बहुत से लोग हिन्दी भाषा के मूल भाषी नहीं हैं वह इन भाषणों को सुनने के बाद, अख़बारों और रेडियो द्वारा, हिन्दी भाषा से परिचित हो जावेंगे । इस प्रकार हमारी राष्ट्र भाषा का धीरे धीरे विकास होगा ।

दूसरी बात मुझे जो इस मंत्रालय के समक्ष कहनी है वह यह है कि हमारे देश के अन्दर विभिन्न भागों की जानकारी के बारे में अभी तक कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है । उत्तर और दक्षिण के निवासी इस देश के एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं । आल इण्डिया रेडियो को विभिन्न भागों के बारे में पुस्तकें छापनी चाहियें और एक दूसरे की संस्कृति, कला और साहित्य के सम्बन्ध में देश के विद्वानों द्वारा भाषण प्रसारित कराये जाने चाहिय इस का असर यह होगा कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं आप से एक और निवेदन करना चाहता हूं । काश्मीर से ले कर आसाम तक हिमालय तक का जो भारतीय पनढाल है उस में कुछ भाग ऐसा है जिस के बारे में हमारे देशवासी बहुत कम जानते हैं । इसमें से बहुत से पहाड़ी प्रदेश आ जाते हैं जिन के बारे में हमारे देशवासियों को बहुत कम ज्ञान है । काश्मीर तो एक अलग स्वतन्त्र सा देश है । पंजाब के पहाड़ी इलाक़े में कांगड़ा, शिमला आदि हैं उन से पूर्व में हिमाचल प्रदेश बसा हुआ है । उत्तर प्रदेश में पांच पर्वतीय जिले हैं । इसके बाद नैपाल, सिक्किम, भूटान और आसाम के पर्वतीय इलाक़े आ जाते

हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन इलाक़ों के बारे में अभी तक हमारे देश के विभिन्न भागों के लोगों को ज्ञान नहीं है। हर एक देशवासी को हमारे देश के बारे में जानकारी प्राप्त कराना आवश्यक है और उस को जानकारी कराई जानी चाहिये। काश्मीर के बारे में तो काफ़ी साहित्य प्रकाशित किया गया है और किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कई चित्र भी बनाये गये हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी अभी पिछले साल एक डौक्यूमेंटरी फ़िल्म तैयार किया गया है। यह बहुत ही सुन्दर बात इस मंत्रालय ने की और मैं इस के लिये मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं।

"कुमाऊं हिल्स" के बारे में भी पिछले दिनों एक टैकनिकलर (रंगीन) डौक्यूमेंटरी फ़िल्म (प्रलेखीय चलचित्र) तैयार की गई है और यह काम भी इसी मंत्रालय द्वारा कराया गया है। मैं मंत्रालय का ध्यान इन कुमाऊं हिल्स के और हिमाचल प्रदेश के बीच का जो पहाड़ी प्रदेश है उस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस पहाड़ी प्रदेश में गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल और देहरादून के पहाड़ी ज़िले हैं। मैं सरकार का ध्यान विशेषकर इन तीन पहाड़ी प्रदेशों की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार को इन भागों के बारे में देश के बाक़ी भागों की जानकारी कराने के लिये विशेष प्रबन्ध करने चाहिये। यह प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्य का भंडार है, और तरह तरह के लोग यात्रा करने के लिये यहां पर आते हैं। इस के सिवा इस प्रदेश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं जिन में यमुनोत्तरी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ प्रसिद्ध हैं, इस के साथ ही साथ यह प्रदेश तिब्बत से भी मिला हुआ है। कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार हो जाने से इस प्रदेश का सामरिक महत्व भी बहुत बढ़ गया है। इन जिलों के बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन स्थानों के बारे में पुस्तकें निकाले, प्रकाशन किया जाय और रंगीन चलचित्र तैयार किये जायें जिन से कि बाक़ी देश की जनता इस भाग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सके। मैं विशेषकर गढ़वाल के उस भाग के बारे में जोर देना चाहूंगा जहां पर हमारे पवित्र केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के मन्दिर हैं। पिछले दिनों ही समाचारपत्रों में इस सभा के सदस्यों ने पढ़ा होगा कि फ़्रांसीसी पर्वतारोही दल चौखम्भा पर्वत पर सफलता के साथ चढ़ गया है। हमारे भारतीय पर्वतारोहियों का एक दल कामेठ पर्वत की ओर गया है। पिछले वर्ष, फ़्रांसीसी पर्वतारोहियों का एक दल नन्दादेवी पर्वत पर चढ़ने के लिये गया था। इसी तरह वहां पर फूलों की घाटी, गोहना झील और सतोपंथ ग्लेशियर आदि बहुत से मनोहर स्थान हैं जहां पर जाने से हर एक का मन प्रसन्न हो जाता है। संसार भर से लोग इन स्थानों में यात्रा करने के लिये आते हैं। मैं यहां पर भवन के सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९३८ ई० में, आज से क़रीब १४ साल पहिले हमारे प्रधान मंत्री जी इस प्रदेश में गये थे तो उन्होंने इन स्थानों का दौरा करने के बाद एक स्टेटमेंट निकाला था—"फ़ाइव डेज़ इन गढ़वाल" (गढ़वाल में पांच दिन)।

उस में उन्होंने बतलाया था कि "माई डवाइडिंग इम्प्रेशन अबाउट गढ़वाल इज दैट आफ़ आइसोलेशन एण्ड पावर्टी" (मुझे गढ़वाल के पिछड़ेपन और ग़रीबी ने प्रभावित किया है)। वह ग़रीबी, उस का वह पिछड़ापन, आज भी १४ वर्षों के बाद भी विद्यमान है। कुछ सड़कें बन चुकी हैं, कुछ पर्यटन उद्योग भी प्रारम्भ हो चुका है, बद्रीनाथ के लिये कमेटी भी बनाई जा चुकी

[श्री भक्त दर्शन]

है, लेकिन इस प्रदेश का पूरा विकास नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि इस का विकास करने से जहां एक ओर हम पुराने तीर्थ स्थानों के लिये, जहां कि जगद्गुरू शंकराचार्य ने जा कर तपस्या की थी और जहां आज भी भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से पचास साठ हजार यात्री हर वर्ष जाते हैं, उन को हम और सुविधायें दे सकेंगे और उस दूसरी ओर उस प्रदेश का भी कुछ उपकार कर सकेंगे ।

मुझ से पहले कुछ वक्ता महोदयों ने चलचित्रों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये । मैं समझता हूं कि कुछ वर्षों पहले वह जमाना था कि हर प्रान्त में सैंसर बोर्ड होता था और वह अपने अपने दृष्टिकोण से सेंसरिंग किया करते थे । 'बरसात' नाम का जो चित्र बना था उस के सम्बन्ध में आप को मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश में उस पर प्रतिबन्ध था जब कि वह पंजाब में बराबर चल रहा था, और उस के रिकार्ड सब जगह चल रहे थे, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फ़िल्म सैंसरिंग के लिये सैंट्रल बोर्ड (केन्द्रीय बोर्ड) बन गया है और अब सब चित्रों के सैंसरिंग का प्रबन्ध उसी के द्वारा किया जाता है । लेकिन, जैसा कि पाटिल साहब ने बताया इस के द्वारा एक तरह का पोस्ट मार्टम किया जाता है । चित्र बन चुकता है और उसके बन जाने के बाद उसका सैंसरिंग किया जाता है । मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है । जब चित्र बनने शुरू होते हैं उसी समय उन की कहानी और उनके कथानक को लेकर उन की समीक्षा पूरी तरह की जानी चाहिये और उन में जितने भी अनैतिकता के दृश्य हों उन को हटा देना चाहिये । हाउस को मालूम होगा कि अभी फ़िल्म सैंसर-बोर्ड का एक आदेश निकला है कि नग्न अथवा अर्द्ध-नग्न दृश्य न दिखाये जायें ? लेकिन हमारे जो चतुर फ़िल्म प्रदर्शक हैं वह इस तरह से चित्रों को उपस्थित करते हैं कि किसी तारिका को लेकर कहीं पर स्नान का दृश्य दिखाते हैं और स्नान के बहाने नग्न अथवा अर्द्ध-नग्न दृश्य दिखाया जाता है । मैं समझता हूं कि इस विषय में नियमों का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि हमारा मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा ।

मुझे हिन्दी पत्रकारों की दशा के बारे में भी कुछ निवेदन करना है और वह यह है कि यद्यपि पत्रकार-कला को प्रोत्साहन देने के लिये थोड़ा बहुत प्रयत्न किया गया है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ज्यादा ध्यान दें । मुझे इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि अंग्रेजी का कोई एक नया पत्र निकलता है तो प्रैस इनफ़ारमेशन ब्यूरो (सूचना कार्यालय) से उसे तुरन्त ही ऐक्रेडिशन (मान्यता) मिल जाता है और हिन्दी के पत्र चाहे कितने ही वर्षों पुराने हों उन के लिये यह सुविधायें नहीं हैं । उन को इस तरह की अनुमति प्रदान करने में, ऐक्रेडिशन देने में, कुछ कंजूसी की जाती है । मैं समझता हूं कि इस विषय की भी छानबीन की जानी चाहिये ।

इस के अलावा एक विषय और है । यद्यपि इस मंत्रालय का उस से अधिक सम्बन्ध नहीं है, फिर भी यह मन्त्रालय उस ओर ध्यान दे सकता है । प्रैस कमीशन के निर्माण करने की घोषणा सरकार ने की है । यह एक बहुत ही सुन्दर विषय है । आज भी भारतवर्ष के पूंजीपतियों का ही नहीं बल्कि विदेश के पूंजीपतियों का भी अधिकार हमारे पत्रों पर है । अभी पी० टी० आई० राइटर्स के बारे में जिक्र किया गया । यह इस

बात का प्रतीक है कि हमारे पत्रों के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स (श्रमजीवी पत्रकार) हैं उन की दशा के विषय में भी पूरी जांच होनी चाहिये। वह कितने सुन्दर पत्र प्रति दिन हमारे पास पहुंचाते हैं लेकिन हम यह नहीं जानते कि कितना खून-पसीना एक कर के वे उन समाचार पत्रों को तैयार करते हैं। इस बारे में वर्किंग जर्नलिस्ट्स फ़ैडरेशन (श्रमजीवी पत्रकार संघ) ने एक ज्ञा प्रेषित किया है और मैं आशा करता हू सरकार प्रैस कमीशन को नियुक्त करते समय उस पर विचार करेगी। यह प्रैस कमीशन केवल अंग्रेजी पत्रों तक ही सीमित न रहे बल्कि हिन्दी, जिस को संविधान में हमने राष्ट्र-भाषा स्वीकार किया है और राज्य-भाषा स्वीकार किया है, उस के प्रतिनिधियों को भी उस में स्थान देना चाहिये।

श्री खर्डेकर : मैं केवल सेंसर का विषय ही लूंगा क्योंकि मेरा कटौती प्रस्ताव इसी सम्बन्ध में है। फिल्मों का सेंसर करना वास्तव में कलात्मक अभिव्यक्ति, साहित्यिक अभिव्यक्ति इत्यादि के वृहत्तर क्षेत्र का एक अंग है। और सरकारें सेंसर क्यों करती हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिये हमें बहुत पीछे प्लेटो के ज़माने में, जाना पड़ेगा। प्लेटो ने कला की निन्दा की थी क्योंकि उसके अनुसार इसका आधार झूठ है और अनैतिक है। भाग्यवश, अरस्तू ने उसकी बात को ठीक किया और कलाकारों के लिये एक स्वतंत्र स्थिति पैदा की। अब मैं एक महान रुष मिल्टन को लेता हूं उसका कहना था कि समस्त साहित्य प्रकाशित होना चाहिये, समस्त कला को पूर्ण अभिव्यक्ति मिलनी चाहिये, हमें कलाकार का गला नहीं घोंटना चाहिये क्यों कि सेंसर कर्त्ताओं की मंडली का होना केवल इस बात का द्योतक है कि हम ने यह मान लिया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी गलती कर ही नहीं सकते।

उस दिन मुझे इस बात को सुन कर कुछ धक्का सा लगा कि रेल मंत्री ने सोवियत रूस के कुछ साहित्य को निरुत्साहित करते हुए एक परिपत्र जारी किया था। मैं कम्यूनिस्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कारण दिया है वह यह है कि अधिकतर कम्यूनिस्ट साहित्य इस प्रकृति का है कि यह किसी खास प्रवृत्ति की ओर लोगों को अग्रसर करता है इत्यादि। एक कलाकार सर्वप्रथम मनुष्य होता है और उस सीमा तक वह एक लज्जारहित व्यक्ति होता है।

अब मैं फिल्मों की बात लेता हूं। जांच करने वाली समितियों के निदेशों के सम्बन्ध में बोर्ड के सभापति की अधिसूचना में से यह वाक्य है :

> "कोई भी ऐसी फिल्म, जो दर्शकों के नैतिक स्तर को गिराती हो, जनता के सम्मुख प्रदर्शन के लिये प्रमाणित नहीं की जायेगी।"

तो, कौन और किस प्रकार इन नैतिक स्तरों को निर्धारित करेगा? सब से पहले नैतिकता क्या वस्तु है? वे बातें जो बहुसंख्या द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, जो रूढ़ि बन गई हैं, नैतिक समझी जाती हैं। प्रो० लस्की ने कहा है कि महान् सत्य हमेशा एक की अल्पसंख्या में होती है। यह सभी मानते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति एक महान् सत्य के साथ आता है और तब अन्य लोग उसका अनुसरण करते है। इसलिये प्रतिभाशाली व्यक्ति का गला घोंटने का प्रश्न वास्तव में अत्यन्त बुरा है।

उस दिन मैं अपने दक्षिण भारत के दो मित्रों के साथ जा रहा था। उन में से एक ने मेरी चुटकी ली और कहा, "देखो"। मैं ने पूछा, "क्या"? वह एक युवती की ओर इशारा कर रहे थे जो टेनिस का बल्ला हाथ मे लिये और निकर पहने चली जा रही थी। मेरे लिये स में ोई नई बात नहीं थी

[श्री खर्डेकर]

किन्तु मेरे मित्रों ने लड़कियों को इस प्रकार निकर पहने पहले कभी नहीं देखा था। बात यह है कि जहां तक ऊपरी भाग का प्रश्न है, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो सकते हैं। किन्तु ज़रा कल्पना कीजिये कि ज़ोर की हवा चलती है और आपकी धोती उड़ने लगती है। इससे, निकर से भी कम सुरक्षा हो जाती है। इसलिये यह कहना बड़ा कठिन है कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है।

मेरे एक मित्र जो बम्बई के एक प्रोफ़ेसर जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और बड़े विद्वान हैं फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये गये। किन्तु उन्हों ने कभी अपने जीवन में कोई फिल्म नहीं देखी थी। मेरे एक मित्र श्री अत्रे ने अनेक चित्र बनाये हैं। उस में से एक चित्र में श्री कृष्ण को गोपियों के साथ रासक्रीड़ा करते हुए दिखलाया गया है। पूना के एक मित्र ने फिल्म सेंसर बोर्ड को लिख भेजा कि यह अश्लील है और इस भाग को फिल्म में से निकाल देना चाहिये। वह मित्र ऐसे हैं कि यदि आप उन्हें कीई उपन्यास पढ़ने को दें तो वह उसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस में शब्द 'चुम्बन' कितनी बार आया है। इसी प्रकार सिनेमा देखते समय वह यह नोट किया करते हैं कि नायक और नायिका के बीच कितना अंतर रहता है तथा उनकी अनैतिक कार्य में रत हो जाने की क्या सम्भावना है। तो इस प्रकार की नैतिक कसौटी प्रयोग की जाती है। कला वास्तव में नैतिकता रहित है। यदि कला पर कोई अंकुश लगाना है तो यह कार्य कलाकारों को कलात्मक दृष्टि-कोण से अंकुश लगाने के लिये सौंप दीजिये। अन्यथा किसी भी कला का रहना असम्भव हो जायेगा।

मैं आपको अपना एक और रोचक अनुभव सुनाता हू। सन् १९३६ में मैं वेटीकन गया था जहां मैं ने माइकेल ऐंजेलो का बनाया हुआ एक चित्र देखा जो तीन भागों में विभक्त था। ऊपर के भाग में नग्न और सुन्दर युवतियां थीं, जो स्वर्ग था, और मध्य भाग धरती था जहाँ हमारे जैसे शान शौकत के लोग रहते हैं, तथा नीचे के भाग में एक गधे की आकृति थी जिसका सर एक पादरीका सर था जो कि माइकेल ऐंजलो का कटु आलोचक रहा था। वह पादरी पोप के पास गया और कहा कि माइकेल ऐंजिलो को दण्ड मिलना चाहिये क्योंकि उसने नग्न चित्र प्रदर्शित किये हैं। पोप ने कहा कि उस में क्या बात है? स्वर्ग में लोगों में कोई वासनायें नहीं होतीं, इसलिये यह सब ठीक है। पादरी ने कहा कि चित्र के नीचे के भाग को देखिये, मेरी सूरत को गधे की आकृति के साथ मिला दिया गया है, क्या यह मेरी निन्दा नहीं है? पोप ने कहा कि "अवश्य ही यह निन्दा है, किन्तु दुर्भाग्यवश नरक पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और तुम नरक में हो।" तो मेरा निदान यही है कि कला का पथ-प्रदर्शन, नियंत्रण तथा शोधन गधों द्वारा नहीं होना चाहिये।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): इस बात पर सभी सदस्यों ने ज़ोर दिया है कि यह विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है, इससे बड़े-बड़े काम हो सकते हैं और हमें कुछ हद तक मजबूरन इसकी उपेक्षा करनी पड़ी है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं सदन से इस पर भी ध्यान देने को कहूंगा कि सरकार के सम्मुख और भी ऐसी महत्वपूर्ण और अत्यन्त आवश्यक बातें हैं जिन के सम्बन्ध में विलम्ब नहीं किया जा सकता और जिन्हें प्राथमिकता क्रम में सर्वोपरिता देना अत्यन्त आवश्यक है तथा कुछ अन्य आवश्यक मामले प्राथमिकता क्रम में दूसरे नम्बर पर आते हैं। यही कारण था

कि सरकार को गत कुछ वर्षों में इस विभाग पर व्यय में कमी करनी पड़ी थी। सन् १९४८-४९ में, जब कि आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, सरकार को सभी विभागों के व्यय में भारी कमी करनी पड़ी थी और उस समय स्वभावतः हमें भी इस विभाग के विस्तार सम्बन्धी कार्यवाइयां रोक देनी पड़ी थीं।

इस प्रकार यद्यपि मैं स्वयं यह चाहता हूं कि इस विभाग की कार्यवाइयों में जहां तक हो सके विस्तार किया जाये, दुर्भाग्यवश हम ऐसी परिस्थिति में हैं जब अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र-निर्माण कार्यवाइयों को प्रथम स्थान देना आवश्यक है। किन्तु मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष में हमारे वित्त मंत्री जी जो कि इस विभाग की महत्ता पूर्णतया अनुभव करते हैं, हमें अधिक राशि दे सकेंगे।

मेरे मित्र श्री चट्टोपाध्याय ने कई बातें कहीं। उन में से कुछ के सम्बन्ध में मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं। अखिल भारतीय रेडिओ के कलाकारों के साथ अवश्य ही बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिये। प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रश्न उठाया उसे आगे के लिये छोड़ कर इस समय कुछ अन्य बातों का उत्तर दूंगा।

उन्हों ने अखिल भारतीय रेडिओ को एक कारपोरेशन में परिणत करने का सुझाव दिया। सिद्धान्ततः मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं सदन से भारत में प्रसारण की वर्तमान स्थिति पर विचार करने का निवेदन करूंगा। लाइसेंस शुल्क तथा अन्य शुल्कों से इस समय हमें १ करोड़, ३० लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है जब कि हमारा प्रसारण पर किय जाने वाला व्यय २ करोड़ ४० लाख रुपये है। इस प्रकार आय तथा व्यय में लगभग १ करोड़ रुपये का अन्तर है। रेडिओ सुनने वालों की संख्या को देखते हुए अथवा कार्यक्रमों में रुचि रखने वालों को देखते हुए भारत में प्रसारण अभी अपरिपक्व अवस्था में है। कई सदस्यों ने १८ घंटे का कार्यक्रम रखने की बात कही। मैं उन से अवश्य ही सहमत होता। किन्तु इस के साथ साथ हमें यह याद रखना चाहिये कि रेडिओ के कार्यक्रमों को सुनने वाले लोग अधिकतर शहरों में ही बसे हुए हैं और सुनने वलों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसलिये अपने प्रसारण स्टेशनों पर हम बहुत अधिक व्यय नहीं कर सकते। जब तक कि सुनने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि न हो, और कुछ हद तक यह विभाग आत्म-निर्भर न हो जाये, तब तक इसे कारपोरेशन बनाने में कठिनाई है। क्योंकि ऐसी दश में सदा यह प्रश्न रहेगा कि क्या सरकार को घाटे में चलने वाले कोरपोरेशन को आर्थिक सहायता देनी चाहिये और फिर कारपोरेशन के कार्यकरण पर सदन में आलोचना होगी, तथा अन्य प्रश्न उठेंगे। मुझे आशा है कि आगामी तीन चार वर्षों में रेडियो सुनने वालों की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि हम लाइसेंस तथा अन्य शुल्कों से कारपोरेशन का खर्चा पूरा कर सकेंगे और तब हम इसे कारपोरेशन का रूप दे सकते हैं। गत डेढ़ वर्ष में लाइसेंसों की संख्या ५ लाख से बढ़कर लगभग ८ लाख होगई है और हमें आशा है यह वृद्धि अब और भी तेज़ी से होगी।

लाइसेंसों की वृद्धि का प्रश्न रेडियो के मूल्य के साथ सम्बन्धित है। हमारा देश गरीब है और यहां के सामान्य व्यक्तियों के लिए अधिक मूल्य का रेडियो खरीदना सम्भव नहीं है। यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि रेडियो का मूल्य घटाने के प्रश्न के सम्बन्ध में हमारे प्रयत्नों को रेडियो उद्योग वालों से सहकारिता प्राप्त नहीं हुई। हमने एक विशिष्ट मापदण्ड का १०० रुपये से कम के मूल्य के एक रेडियो सेट निर्मित करने का प्रस्ताव किया था जिस से मीडियम वेव स्टेशन के क्षेत्र में सुना जा

[डा० केसकर]

सके । किन्तु दुर्भाग्यवश अधिकतर निर्माता इस बात पर दृढ़ थे कि उन्हें लगभग १०० प्रतिशत लाभ की गुंजाइश होनी चाहिये क्योंकि उनका कहना है कि इसमें इतना जोखिम है कि वे विक्रयकार्य हाथ में नहीं ले सकते। किन्तु इस मामले पर अभी सरकार का प्रयत्न जारी है और आशा है कि वह रेडियो सेट का मूल्य इतना कम कर सकेगी कि इतने लोग रेडियो लाइसेंस खरीद सकें कि प्रसारण को आत्म-निर्भर बनाया जा सके ।

इसका मुझे खेद है कि प्रसाशन के मामले में हमारा व्यय अब भी औचित्य से अधिक है । इसका कारण यह है कि प्रारम्भ में भारत में रेडियो स्टेशनों तथा प्रसारण के विकास का कार्यक्रम बनाया गया था उसे एकाएक मितव्ययता-कटौती के कारण बदलना पड़ा । प्रारम्भ में अनेक स्थानों पर रेडियो स्टेशन खोले गये और ऐसी आशा थी कि हम इन्हें शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र बना सकेंगे जो कि समस्त क्षेत्र को सेवा प्रदान कर सकेंगे । किन्तु आर्थिक तंगी के कारण इस कार्यक्रम में शीघ्र ही कटौती करनी पड़ी । इसके पश्चात् परिस्थिति यह हो गई कि हमारे पास अनेक स्टेशन थे जिन्हें बनाए रखने के लिए हमें एक न्यूनतम कर्मचारिवृन्द रखना पड़ा, यद्यपि निकट भविष्य में उन स्टेशनों का विस्तार करने की कोई आशा नहीं थी । प्रसाशन पर अधिक व्यय होने का एक मुख्य कारण यह है ।

यह हालत अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती । किन्तु इसके साथ-साथ मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुभूत करने का निवेदन करूंगा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते । समस्त देश में हम बहुत से स्टेशन नहीं खोल सकते । मालावार के मेरे माननीय मित्र कालीकट में स्टेशन खोलने की ज़ोरदार सिफारिश कर रहे थे तथा कालीकट स्टेशन को त्रिवेंद्रम स्टेशन के साथ मिला देने पर बहुत नाराज़ थे । किन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि स्थानीय जनमत को संतुष्ट करने मात्र के लिए ही हम स्थान-स्थान पर रेडियो स्टेशन खोल दें । इस समय तो हम यही कर सकते हैं कि कम से कम संख्या में प्रभावी स्टेशन खोलें । यदि हम चारों ओर स्टेशन खोल लेते हैं तो वे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर पाते और तब माननीय सदस्य सदन में आकर इस बात की शिकायत करते हैं कि अमुक-अमुक स्टेशनों पर कार्य ठीक प्रकार नहीं हो रहा । अतएव हितकर यही है कि हम कम से कम संख्या में ऐसे स्टेशन खोलें जो अच्छे तथा जनता को रुचिकर कार्यक्रम प्रसारित करें । जब हमारे पास अधिक रुपया होगा तो हम और स्टेशन खोल सकेंगे ।

कार्यक्रमों के स्तर के सम्बन्ध में कई सदस्यों द्वारा आलोचना की गयी थी । जैसा मैं ने बतलाया, गत कुछ वर्षों में कटौती, फिर विस्तार और फिर कटौती के दौरान में कार्यक्रमों का मार्ग भी बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा रहा तथा अखिल भारतीय रेडियो प्रभाव-पूर्ण ढंग से अच्छा कार्यक्रम विकसित नहीं कर सका । सरकार का विचार है कि अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक केन्द्रीय कार्यक्रम मंत्रणा समिति की शीघ्र ही स्थापना की जाए जो कार्यक्रम के समस्त प्रश्न पर पूरी तरह विचार करे और अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में एक मोटी नीति प्रस्थापित करे । इसके साथ-साथ हमारा यह भी विचार है कि चूंकि अखिल भारतीय रेडियो

के कार्यक्रम में संगीत का एक अत्यंत महत्व-पूर्ण स्थान है—५० प्रतिशत से अधिक कार्यक्रम संगीत का होता है—इसलिए एक केन्द्रीय संगीत मंत्रणा समिति की स्थापना की जाए जो कि अखिल भारतीय रेडियो की संगीत-नीति निर्धारित करे। इन समितियों के साथ-साथ प्रादेशिक समितियों की भी स्थापना की जाएगी जो प्रादेशिक संगीत अथवा प्रादेशिक सांस्कृतिक कार्यवाइयों के सम्बन्ध में स्थानीय प्रतिभा के चुनाव में सहायता करेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रम के लिए भी बड़ा क्षेत्र है। किन्तु यह कार्यक्रम बिना एक ऐसे विस्तृत संगठन के सम्भव नहीं है जो कि बैटरी के रेडियो सैटों का प्रबन्ध करे तथा उनको बराबर चार्ज करता रहे और उनकी मरम्मत करता रहे। यह कार्य इस मंत्रालय के लिए बिना राज्य सरकारों के सहकार तथा वित्तीय सहायता के सम्भव नहीं है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से हमें अधिक सहायता प्राप्त होगी।

श्री देशपांडे तथा श्री हरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय दोनों ने पी० टी० आई० तथा रायटर के सम्बन्ध में जो कल्पित आर्थिक साहाय्य की बात कही उसे सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने आंकड़ों को खूब अच्छी तरह देखा और मेरी समझ में नहीं आया कि पी० टी० आई० और रायटर को हम किस प्रकार आर्थिक साहाय्य दे रहे हैं। श्री चट्टोपाध्याय इस बात पर बड़े नाराज़ थे कि हम पी० टी० आई० तथा रायटर को एक विशिष्ट राशि देते हैं और अन्य समाचार एजेंसियों को कम राशियां दी जाती हैं। मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि यदि वे किसी समाचार पत्र के कार्यालय में जायें और पूछें कि विभिन्न समाचार एजेंसियों को कितनी कितनी राशि दी जाती है तो उन्हें विदित होगा कि वे एजेंसियां जो सेवा प्रदान करती हैं उसकी महत्ता के अनुसार ही उन्हें भुगतान किया जाता है। कोई भी पत्र प्रत्येक एजेंसी को बराबर भुगतान नहीं देगा। इसी प्रकार सरकार को भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के अनुसार ही भुगतान करना पड़ता है। इस समय भारत में प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया ही सब से बड़ी और महत्वपूर्ण एजेंसी है। यदि हम उसकी सेवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें उसका भुगतान भी करना ही होगा। उसकी उपयोगिता के अनुसार ही हम उसे भुगतान भी करते हैं जैसा कि संसार के अन्य सभी समाचार-पत्रों में होता है। मैं ने आर्थिक पहलू को देखा। इस समय भारत-सरकार प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को उसके कुल राजस्व का ६ प्रतिशत दे रही है जब कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया टेलीग्राफ़ सम्बन्धी तथा अन्य शुल्कों के रूप में अपने कुल राजस्व का १४ प्रतिशत भारत सरकार को देता है। आप संसार के अन्य ब्राडकास्टिंग कारपोरेशनों को देखिये कि वे विभिन्न समाचार एजेंसियों को क्या दे रहे हैं। आप देखेंगे कि वे हमसे कई गुना दे रहे हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पी० टी० आई० को १६,००० रुपये प्रति मास दिये जा रहे हैं और ये दरें न केवल अन्य समाचार एजेंसियों को दी जाने वाली दरों से अधिक हैं वरन् उन दरों से भी अधिक हैं जो कि पी० टी० आई० द्वारा अन्य अखबारों से उतनी ही सेवा के लिए ली जाती हैं। पी० टी० आई० द्वारा सबसे बड़े समाचार-पत्रों को प्रथम श्रेणी की सेवा दी जाने के लिए ३,००० रु० से ४,००० रु० तक लिए जाते हैं।

डा० केसकर : सरकार ये आंकड़े प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने से वह पी० टी० आई० सहित समस्त समाचार एजेंसियों से अपनी क्रय-शक्ति खो बैठेगी । किन्तु मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि वे जांच करें और देखें कि क्या हम वास्तव में पी० टी० आई० को उसके द्वारा प्रदायित सेवा की तुलना में अधिक पैसा दे रहे हैं ।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : श्रीमान्, हम यहां सूचना तथा प्रसारण विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने एकदम खरा जवाब दे दिया है कि वह आंकड़े प्रकट नहीं कर सकते । मैं पूछता हूं कि क्या उक्त सूचना सदन को न देने का माननीय मंत्री जी को अधिकार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ लोक हित सम्बन्धी ऐसे मामले होते हैं जिनके सम्बन्ध मे मंत्रालय अथवा सरकार ही यह निर्धारित करती है कि उनमें जनहित सन्निहित है अथवा नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या पी० टी० आई० लोक हित का मामला है ?

डा० लंका सुन्दरम : श्रीमान्, मेरा साधारण सा प्रश्न यह है कि जब माननीय मंत्री प्रतिशतता बता रहे हैं तो क्या वे आंकड़े नहीं बतला सकते ? क्या हमें आंकड़े जानने का अधिकार नहीं है ।

डा० केसकर : यह कोई गुप्त मामला नहीं है वरन् एक व्यापारिक भरोसे का प्रश्न है । आप किसी भी व्यापारी के पास जाइए, कोई यह नहीं बतलाएगा कि विभिन्न एजेंसियों को वह क्या दे रहा है । यदि सरकार ये आंकड़े प्रकट करदे तो उसे एजेंसियों से सौदा करने में हानि उठानी पड़ेगी । निश्चय ही ये आंकड़े सदन के सम्मुख रखे जा सकते हैं किन्तु सरकार को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अनुदानों की मांगों पर बहस कर रहा है । यह सदन का कर्त्तव्य है कि अन्य मांगों की तरह इस मांग पर भी अपव्यय में कमी करे । यदि उक्त एजेंसी की दरें अधिक तथा अनुपात से परे हैं तो यह अपव्यय है । मैं इसमें कोई गोपनीय बात नहीं देखता । माननीय मत्री जी को यह सूचना अवश्य देनी चाहिए ।

डा० केसकर : यदि मेरे माननीय मित्र आयव्ययक के प्राक्वलित आंकड़ों को पूरी तरह देखें तो उन्हें विदित हो जाएगा कि कुल मिलाकर कितनी राशि दी जाती है । जहां तक दरों आदि का प्रश्न है, हमने सौदा किया है और यह सूचना देना इसलिए उचित नहीं होगा कि इससे सरकार को हानि होगी । किन्तु फिर भी यदि आप चाहें तो मैं एजेंसियों के आंकड़े सदन पटल पर रख सकता हूं । श्रीमान्, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिए प्रत्येक एजेंसी को बराबर की दरें देना सम्भव नहीं है ।

मेरे मित्र श्री खर्डेकर ने बड़ा रोचक भाषण दिया और उसका सार यही था कि इस बात का निर्णय कौन करे कि क्या नैतिक है और क्या नैतिक नहीं है । उनकी राय में यह मामला कलाकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिये । किन्तु इसके साथ साथ यह बात ध्यान में रखने की है कि हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो देश के लाखों व्यक्तियों को प्रदर्शन की वस्तु दिखाने से सम्बन्धित है और इसलिये हमें जन-समूह की विचार-प्रवृत्ति को ध्यान में रखना ही पड़ेगा । स्वयं माननीय सदस्य को याद होगा कि कुछ फिल्मों के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप उपद्रव तक हो चुके हैं ।

तो सरकार के लिए जन-समूह की भावनाओं की अवहेलना करना सम्भव नहीं है। मैं स्वयं उन लोगों में से हूं जो कि कलाकारों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं। किन्तु किसी गणतंत्र देश में, विशेषकर हमारे यहां जन-समूह की भावना को ध्यान में लेकर चलना सम्भव नहीं है क्योंकि जन-समूह की भावना कभी कभी युक्तियुक्तता को पार कर जाती है। किन्तु हम इस बात का बराबर प्रयत्न करेंगे कि कलाकारों की प्रतिभा को पूर्ण अभिव्यक्ति मिले; परन्तु आप सामान्य नैतिकता को बिल्कुल भुला नहीं सकते। नैतिकता पर माननीय सदस्य ने एक अच्छा भाषण दिया और प्लेटो तथा अरस्तू आदि को उद्धृत किया। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि नैतिकता एक साक्षेपता की चीज़ है और प्लेटो तथा अरस्तू तक में इसमें मतभेद था। इसी प्रकार हम इस सम्बन्ध में विमत हो सकते हैं। इसकी परिभाषा देना तो अत्यन्त कठिन है किन्तु हम अपने प्रचलित स्तर के अनुसार कार्य करेंगे और देखेंगे कि जन-रोष उत्पन्न न हो। उस स्तर का हमें पालन करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश हम अभी वैयक्तिक स्वातंत्र्य की उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं जब कि कलाकार जो चाहें प्रदर्शित करें और जनता उसे सहन करले। हमें आशा करनी चाहिये कि वह स्थिति भी आएगी और तब कलाकार अपनी प्रतिभा की पूर्णरूपेण अभिव्यक्ति कर सकेंगे।

फिल्मों के सेंसर के सम्बन्ध में श्री पाटिल ने फिल्म जांच समिति के प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने का अनरोध किया। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और जितना शीघ्र सम्भव हो सकेगा हम उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि हम राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसलिए इस मामले में देरी हो रही है। किन्तु मुझे आशा है कि वह इस बात को पूरी तरह अनुभूत करेंगे कि करारोपण अथवा करारोपण में समता के प्रश्नों पर राज्य सरकारों की राय ले लेना आवश्यक ही है। किन्तु मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि हम यथासम्भव शीघ्रता करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा सदन के आगामी सत्र में फिल्म जांच समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करते हुए विधान प्रस्तुत करने का हमारा विचार है।

कुछ सदस्यों ने हिन्दी का प्रश्न भी उठाया तथा परस्पर विरोधी बातें कहीं। मेरे मित्र डा० देशपांडे बड़े जोश के साथ हिन्दी के पक्ष में बोले किन्तु उनके भाषण से उर्दू के १६ शब्द मैं ने छांटे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी और उर्दू को अलग-अलग करना सम्भव नहीं है। हिन्दी जनता की भाषा होगी। इसमें सभी स्त्रोतों से शब्द रहेंगे।

दो मित्रों ने फिल्म सेंसर का प्रश्न उठाया और कहा कि सरकार प्रभावशाली ढंग से फिल्मों का सेंसर नहीं कर रही है। बात वास्तव में इसके विपरीत है। हमने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की है और यह डेढ़ वर्ष से कार्य कर रहा है। हम बड़ी सतर्कता से बोर्ड के कार्य को देख रहे हैं हमारा ऐसे कदम उठाने का विचार है कि इस बोर्ड के सेंसरिंग में जो भी कमियां पायी जायें उन्हें दूर किया जाय।

अंत में मैं एक शब्द उन माननीय मित्र से कहना चाहता हूं जिन्होंने कालीकट को त्रिवेंद्रम रेडियो स्टेशन से अलग करने की बात कही। रेडियो स्टेशन के लिए दो बातों का ध्यान रक्खा जाता है, यह कितने क्षेत्रफल में सेवा प्रदान कर रहा है तथा सुनने वालों की संख्या क्या है। मुझे

[डा० केसकर]

खेद है कि इस समय तो माननीय सदस्य को मैं कालीकट में पृथक रेडियो स्टेशन खोले जाने की आशा नहीं दिला सकता क्योंकि इसमें बहुत अधिक व्यय होगा। किन्तु इसके साथ-साथ मैं इस बात को अवश्य देखूंगा कि मालाबार के उस क्षेत्र की सांस्कृतिक आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रक्खा जाए तथा वहां के कलाकारों को पर्याप्त अवसर दिया जाए।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रशन यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेशपत्र के स्तम्भ तीन में उल्लिखित मांग संख्या ६१, ६२ तथा १२१ के निमित्त जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये आदेशपत्र के स्तम्भ दो में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिणाम तक की राशियां भारत की संचित निधि म से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी मांगों को लेगा। मांग संख्या ५५—मंत्रिमंडल सम्बन्धी मांग पहले ही २५ जून को सभा के समक्ष रखी जा चुकी है।

मांग संख्या ६८—विधि मंत्रालय— ८२,४७,००० रुपये

मांग संख्या ६९—न्याय प्रसाशन— १,४६,००० रुपये

निर्वाचन सम्बन्धी अनियमिततायें

श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'विधि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाए।"

सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी अनियमिततायें तथा बेईमानी विशेषकर मतदान पेटियों के सम्बन्ध में

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'विधि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रु० की कटौती की जाए।"

कार्यपालिका से न्यायपालिका का तत्काल तथा पूर्ण पृथक्करण

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'न्याय प्रशासन' सम्बन्धी मांग में १०० रु० कटौती की जाये।"

सारवान तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विधि का सरलीकरण

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'न्याय प्रशासन' सम्बन्धी मांग में १०० रु० की कटौती की जाये।"

संविधान से संगत बनाने के लिये परिनियमों का पुनरीक्षण

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'विधि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रु० की कटौती की जाये।"

विधि सम्बन्धी विलम्ब, विशेषकर जमा हो गये काम को कम करने सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'न्याय प्रशासन' सम्बन्धी मांग में १०० रु० की कटौती की जाये।"

विधान मंडल में कतिपय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'विधि मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रु० की कटौती कीजाये।"

उच्चतम न्यायालय के लिये उपयुक्त इमारत

श्री पोकर साहेब : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'न्याय प्रशासन' सम्बन्धी मांग में १०० रु० की कटौती की जाए।"

श्री एन० सी० चटर्जी : जब मुझे यह बतलाया गया कि गत वर्ष विधि मंत्रालय पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ था तो मुझे अपने जीवन का एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। विधि मंत्रालय रखने से लाभ ही क्या जब कि उसके प्रशासन पर संसदीय आलोचना तथा चर्चा न हो ?

मैं सदन का ध्यान एक विरोधाभास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां एक विधि मंत्री हैं किन्तु उन्हें काम ऐसे दिये गये हैं जिनका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति का विधि मंत्री से कोई सम्बन्ध नहीं।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (श्री काटजू) : कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह तो पुरानी नौकरशाही के ज़माने में किया जाता था जब कि वे उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालों को नौकरशाही के अंतर्गत रखना चाहते थे।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़ पश्चिम) : वही स्थिति अब भी जारी है।

श्री एन० सी० चटर्जी : वही स्थिति जारी है, किन्तु इसका अन्त होना चाहिये। गणतंत्रीय संविधान का लाभ ही क्या ?

डा० काटजू : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में। समस्त नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : राष्ट्रपति से उन्हें पुनरीक्षित करने को कहा जाना चाहिये। यह चीज़ संविधान से संगत नहीं है, समय के अनुसार नहीं है, तथा जनता की मांग के प्रतिकूल है।

अब दूसरी ओर देखिये। विधि मंत्री को एक काम सौंपा गया है 'केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन'। यह तो महा-न्यायवादी का कार्य है, विधि मंत्री का नहीं।

एक और दूसरी चीज लीजिये 'उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने' का सम्बन्ध विधि मंत्रालय से है, किन्तु यह काम सौंपा गया है गृह मंत्रालय को। भाग्यवश आज डा० कैलाश नाथ काटजू जो कि एक प्रतिभाशाली विधिविज्ञ हैं, गृह मंत्रालय के चार्ज में हैं। किन्तु हो सकता है कि कल को इस मंत्रालय का भार ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो विधि से एकदम अनभिज्ञ हों। तब आप उसे किस प्रकार यह विषय सौंप सकते हैं ?

अन्य विषय जो गृह मंत्री को सौंपा गया है 'उच्च न्यायालयों का निर्माण तथा संगठन'। यह काम वास्तव में विधि मंत्री का होना चाहिये।

इस प्रकार अन्य कई विषय हैं जो गृह मंत्री के नाम ह और जिन्हें वास्तव में विधि मंत्री को दे दिया जाना चाहिये।

श्री बी० दास (जाजपुर—क्योंझर) इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : जी नहीं, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । संविधान के निदेशक तत्वों में कहा गया है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में पृथक्करण होना चाहिए । जब आपके पास विधि मंत्री हैं तब आप न्यायपालिका से एक कार्यकारिणी विभाग के प्रमुख के अंतर्गत क्यों कार्य करवाते हैं ? विधि मंत्री वास्तव में न्याय मंत्री होना चाहिए तथा ये महत्वपूर्ण विषय उसे ही दिये जाने चाहियें ।

मैं कुछ और मामलों के सम्बन्ध में भी बतलाना चाहता हूं । यदि आप संविधान की सातवीं अनुसूची देखें तो आपको विदित होगा कि सूची २ की मद संख्या ६५ तथा सूची ३ की मद संख्या १४, २६ और ४६ भी उन्हीं को सौंपे जाने चाहियें ।

इस टेकनीकल पहलू के अतिरिक्त मेरी शिकायत यह है । संविधान के अनुच्छेद १३ के अनुसार जो भी चीज़ मूल अधिकारों के अध्याय के प्रतिकूल हो वह अपने आप रद्द हो जाती है । तो इस उपबन्ध १३ के लागू होते ही कुछ विधान निरसित हो जाता है और सरकार तथा कुछ सीमा तक इस सदन का भी यह कर्तव्य है कि तत्काल एक विधि पुनरीक्षण समिति की स्थापना की जाए जिससे कि हमारी प्रचलित विधियों को संशोधित कर उन्हें संविधान से संगत बनाया जाए । यह कोई ठीक और उचित बात नहीं है कि वे विधियां उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों तक ले जाई जायें और वे उन्हें 'अधिकार से परे' घोषित कर दें ।

एक और भी बात है । भारतीय संविदा अधिनियम आदि अनेक ऐसे अधिनियम हैं जो अब पुराने पड़ चुके हैं । विधि मंत्री को अपना ध्यान इस ओर देना चाहिये तथा पुरानी पड़ गई विधियों को आधुनिक बनाना चाहिये । यह बात उचित नहीं है कि भारत को अब भी उन विधियों से प्रशासित किया जाये जो कि न्यायशास्त्र की प्रगति को देखते हुए अब पुराने पड़ चुके हैं । इससे देश का न्याय प्रशासन अधिक अच्छा हो सकेगा ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं । मेरे माननीय मित्र श्री सी० सी० विस्वास को अल्पसंख्यक मंत्री नियुक्त किया गया है । यह बात ठीक प्रकार स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या अर्थ है, उनके कर्त्तव्य क्या हैं । एक सिख महाशय मुझ से पूछ रहे थे कि, "क्या वह सिख सम्प्रदाय के मामलों के चार्ज में हैं ?" इसी प्रकार का प्रश्न मुझ से एक ईसाई महाशय न पूछा था । मेरा ख्याल है कि उनकी मंत्री के रूप में नियुक्ति दिल्ली समझौते के अंतर्गत की गई है । उक्त समझौते में अपेक्षा की गई पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के अल्पसंख्यकों का हित देखने के लिए दो मंत्रियों की नियुक्ति की जाये । मैं समझता हूं कि श्री विस्वास उन्हीं अर्थों में अल्पसंख्यक मंत्री हैं । किन्तु गत दो वर्षों में संसद के समक्ष उनके कार्य की कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई है । हमें कुछ नहीं विदित कि जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति की गई है उस में कहां तक लक्ष्य प्राप्ति हुई है । हम जानते हैं कि हमारी सरकार उक्त समझौते को कार्यान्वित करने का भरसक प्रयत्न कर रही है । किन्तु दूसरा पक्ष क्या कर रहा है ? जहां तक पूर्वी पाकिस्तान का प्रश्न है, उसने समझौते की शर्तों की पूर्व उपेक्षा की है । वहां से दुखदायी समाचार आ रहे हैं । डा० मुखर्जी ने उस दिन बतलाया कि पूर्वी बंगाल के महान नेता श्री सतिन सेन जेल में हैं । और श्री मनोरंजन धर जो इस

दिल्ली समझौते के अंतर्गत अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नियुक्त किए गये थे, अब भी जेल में हैं। श्री गोविन्द बनर्जी भी, जो कि कांग्रेस दल के मुख्य स्चेतक थे, जेल में हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या अल्पसंख्यक मंत्री ने उनकी रिहाई के सम्बन्ध में कोई पग उठाया है और उनकी रिहाई की क्या आशा है। भाषा के मामले में पाकिस्तान सरकार ने अल्पसंख्यकों को खूब यातनायें दी हैं यद्यपि यह आन्दोलन मुसलमानों द्वारा ही आरम्भ किया गया था। मुझे बतलाया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने एक गुप्त परिपत्र जारी किया है कि भाषा के मामले पर जितने मुसलमान गिरफतार किये जायें उतने ही हिन्दुओं को भी गिरफतार किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सीमान्त क्षेत्र से हिन्दुओं को खदेड़ दिया गया है और अब भी खदेड़ा जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई पग उठाया गया है।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से अल्पसंख्यक समुदाय की स्त्रियों के अपहरण तथा बलात्कार के अनेक समाचारों के विषय में पूछना चाहता हूं। उन्हें कचहरी ले जाया जाता है और उनसे शपथ-पत्र पढ़वाया जाता है कि वे अपने आप ही इस्लाम ग्रहण कर रही हैं।

क्या मंत्री जी हमें कोई अश्वासन दे सकते हैं कि इसका कोई इलाज है? क्या वह हमें बतला सकते हैं कि क्या पग उठाये गये हैं और इन व्यक्तियों तथा स्त्रियों को उबारने की कोई आशा है? मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक मंत्री संसद् के सम्मुख दिल्ली समझौते के कार्यकरण का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

श्री दातार (बेलगांव उत्तर): जहां तक वर्तमान विधियों का सम्बन्ध है, मैं श्री चटर्जी से बिलकुल सहमत हूं कि कुछ भागों में उनमें संशोधन किया जाना आवश्यक है। विषयों का विभिन्न मंत्रालयों के मध्य जो आवंटन है उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। ब्रिटिश काल म गृह विभाग को सब से महत्वपूर्ण विभाग होने के नाते ऐसे विषय भी दे दिये गये थे जो वैधानिक तथा न्यायिकस्वरूप के थे। दुर्भाग्यवश वही स्थिति अब भी चली जा रही है। किन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने पर सरकार गृह मंत्रालय को एक पूर्णतया कार्यपालिका विभाग बना देगी।

मेरा यह निवेदन और है कि विधि मंत्रालय, न्याय मंत्रालय भी हो तथा मद २५, २६, २७, ५४, ५८, ५२ तथा ५३ उसे सौंप दिए जायें। सदन के अनेक सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपराधिक प्रक्रिया तथा दण्ड विधान दोनों विषय गृह मंत्रालय को सौंपे गये हैं। ये मामले विधि के हैं और इन्हें विधि मंत्रालय तथा न्याय मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिये।

हम देखते हैं कि बहुत पूर्व ही इस बात के लिये आवाज उठी थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से एकदम पृथक् कर दिया जाना चाहिये। यह पृथक्करण न करने का एक परिणाम यह हुआ है कि अनेक विषय—वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका-सम्बन्धी—गृह मंत्रालय को दे दिये गये हैं। संविधान द्वारा न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण स्वीकार किया गया है। यदि यह सिद्धान्त हमें कार्यान्वित करना है तो गृह मंत्रालय को हमें केवल वे ही कार्य सौंपने चाहिये जो कार्यपालिका विषयक हैं। इसलिये विषयों का गृह मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय, जो न्याय मंत्रालय भी कहलाये, के मध्य पुनः आवंटन होना जरूरी है।

कुछ ऐसे विधान हैं जिनमें संशोधन किया जाना आवश्यक है। दीवानी व्यवहार

[श्री दातार]

संहिता, दण्ड प्रणाली संहिता तथा साक्ष्य विधि में समयानुसार परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

हमारे कुछ नियम अत्यन्त असंगत हैं । उन में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है । जो गांवों से आते हैं वे देखेंगे कि ऐसे अनेक वाकयात हैं जहां कि सम्बन्धित व्यक्ति वास्तव में अपराधी हैं किन्तु, दुर्भाग्यवश, साक्ष्य विधि के परिणामस्वरूप साफ़ बच जाते हैं ? दूसरे शब्दों में, उन्हें टेकनिकल आधार पर रिहा कर दिया जाता है यद्यपि वे रिहाई के पात्र नहीं हैं । इसका ग्रामवासियों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है ।

फिर अपराधों की उचित और सही जांच के लिये भी हमें कोई व्यवस्था करनी है । उसके लिये भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता है । इससे होता यह है कि ऐसे पदाधिकारियों द्वारा जांच की जाती है जो विधि तथा वैधानिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में सही प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते हैं । यदि हम दीवानी या फ़ौजदारी अदालतों में जाएं तो हमें विदित होगा कि अनेक मामलों में केवल इसीलिये रिहाई हो जाती है कि जांच बड़ी दोषपूर्ण थी । ये अधिकारी नहीं जानते कि साक्ष्य को किस प्रकार क्रमबद्ध करना चाहिये जिसके परिणामस्वरूप साक्ष्य बिगड़ जाने से सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों को अभियुक्त को छोड़ना पड़ता है । इसलिये आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जाना परमावश्यक है ।

इसके अतिरिक्त और भी विधियां हैं जिन में संशोधन होना जरूरी है । मैं श्री चटर्जी से बिलकुल सहमत हूं कि एक विधि पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति की जाय जो साधारण काल में इन विधियों पर विचार करके उन्हें ठीक करे ।

मैं कुछ और बातें कहूंगा । हिन्दू कोड बिल का अपना ही एक इतिहास है इसके सम्बन्ध में सब से अधिक वादविवाद उठा है । जहां तक इसमें सन्निहित सिद्धान्तों का प्रश्न है, यह बहुत आवश्यक है कि विधि मंत्रालय इसमें उचित परिवर्तन करे । यह आवश्यक है कि हम स्त्रियों को कुछ मामलों में अधिक अधिकार दें । वर्तमान हिन्दू विधि में भी कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है जिस से कि भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा एक ही विषय के मामले में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण न अपनाया जाय । इसलिये हमारा एकरूप हिन्दू कोड होना चाहिये । और चूंकि हमारा देश एक धर्म-निरपेक्ष देश है, इसलिये अंततोगत्वा तो सभी नागरिकों के लिये एक ही व्यवहार संहिता होनी चाहिये । हिन्दू विधि का जहां तक सम्बन्ध है, केवल एक ही केन्द्र का अधिनियम होना चाहिये, राज्यों के विविध अधिनियम नहीं जो एक दूसरे से असंगत हों ।

हमारी इच्छा है कि केन्द्र को वकीलों की स्थिति, उनका दायित्व तथा उनके कर्तव्य सम्बन्धी विधान बनाना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमारे यहां विभिन्न अधिनियम हैं तथा अव्यवस्थित विधान बना है । विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की विधियां हैं । उनके लिये कोई एकरूप विधान होना चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे उच्च न्यायालय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । संविधान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरण का उपबन्ध है । यह बड़ा महत्वपूर्ण उपबन्ध है तथा इसको कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तुरत ही ऐन० सी० चटर्जी

साहब ने भाषण देते हुये कहा कि गतवर्ष ला (विधि) विभाग पर बहस नहीं हुई। इस के लिये उन को चोट लगी। मैं उन से कहे देता हूं और उन्हें सावधान किये देता हूं चूंकि वह नये सदस्य हैं इसलिये उन को चोट लगती है लेकिन हम लोग तो पुराने सदस्य हैं। सरकार की ओर से जितने काम हो रहे हैं उन से लोगों को चोट पर चोट पड़ चुकी है इसलिये अभ्यस्त हो गये हैं। चटर्जी साहब को मालूम होना चाहिये कि अगर वह न्याय चाहते हैं तो उन को यहां से तुरंत चला जाना चाहिये। यहां उन के रहने की ज़रूरत नहीं है। यहां न तो हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) है और न सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) है, यहां तो नेहरू कोर्ट है या चाहे जो कुछ कहिये यहां अन्याय होगा न्याय का नाम नहीं है। चाहे उन को चोट लगे या न लगे। आप को फैसला कर लेना चाहिये कि आप को यहां रहना है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप से इतना कहे देता हूं कि लोगों को देखना चाहिये कि ला विभाग के लिये, उस पर बहस करने के लिये और उस पर विचार करने के लिये कितना समय दिया गया है। एक घंटा ठीक है। इस से स्पष्ट है कि जो हमारी सरकार कहलाती है उस को या तो न्याय से कोई सम्बन्ध नहीं है और अगर है तो ऐसा कि उस की उस को कोई परवाह नहीं है। हमारे गृह मंत्री काटजू साहब खड़े हो कर बहस कर देंगे। वह तो वकील हैं। वकील की तरह से बहस कर देंगे।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इसके क्या मानी ?

मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मैं यहां पर वकील नहीं हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : आप एक वकील हैं। यह बात आप नहीं भूल सकते।

बाबू रामनारायण सिंह : बहुत ठीक है। यहां लायर (वकील) नहीं हैं लेकिन बहस तो वकील की ही तरह करते हैं।

डा० काटजू : आप क्या कह रहे हैं ?

बाबू रामनारायण सिंह : बात यह है कि वहां फीस लेकर बहस करते थे यहां तलब ले कर बहस करते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती अगर ऐसे ऐसे लायर और ऐसे कानूनदां जिन्होंने अपनी सारी ज़िन्दगी न्याय के लिये काम किया है आज यहां आ कर भी न्याय के लिये बोलते और देश के हित के लिये बोलते तो कितना अच्छा होता। लेकिन सो तो नहीं है। उन को तो पुरानी लत है फीस ले कर बहस करने की इसी तरह से यहां तलब ले कर। चाहे सरकार भला करे या बुरा सरकार की तरफ से बहस कर देते हैं।

डा० काटजू : इस में आप ने नई बात क्या बताई ?

बाबू रामनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि न्याय विभाग के लिये केवल एक घंटे का समय रहे इस से बुरा काम और क्या हो सकता है। हमारे चटर्जी साहब कहते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिये, इस पर विचार होना चाहिये। तो इस सरकार के जीवन काल में तो आप को यह चीज़ मिलने वाली नहीं है। अगर कभी हमारे देश में ऐसा समय आयेगा कि जब हमारी न्यायप्रिय सरकार होगी तो उस समय जितने कार्य होंगे सभी में न्याय का सब से पहले स्थान होगा और अमुक अमुक पोर्टफोलियो (विभाग) अमुक अमुक व्यक्ति को दिया जायगा और जो होना है वह होगा।

श्री फ़ीरोज़ गांधी : (ज़िला प्रतापगढ़ — पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व) : अब राम राज्य होने वाला है ।

बाबू रामनारायण सिंह : अभी उस की बात कहां कर रहे हैं । अभी तो यहां रावण राज्य की बात हो रही है । अंग्रेज़ों के काल में हम लोग राम राज्य की बात करते थे । उसी काल में महात्मा गांधी जी कहते थे कि हम को तो राम राज्य चाहिये और वह कहा करते थे कि उस समय जो सरकार थी वह शैतानी सरकार थी । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब पूछना चाहता हूं कि उस सरकार में और इस सरकार में क्या अन्तर है ? जहां तक मैं समझता हूं और मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूं, मैं ने अपना सारा जीवन देश सेवा में दिया है, उस सरकार में और इस सरकार में कोई अन्तर नहीं है । जब वह सरकार शैतानी सरकार कहलाती थी तो इस सरकार का तो उस से भी कोई बुरा नाम होना चाहिये । गृह मंत्री महोदय आप इस बात को याद रखेंगे । आज जो मैं बोलता हूं वह दुःख से बोलता हूं । यह बोलने में मुझे आनन्द नहीं मालूम होता है । रामायण में लिखा है :

काह सुनाय विधि काह सुनावा,
काह दिखाय विधि काह दिखावा ।

उसी तरह से हम देखते हैं हमारे हृदय में क्या उम्मीद थी कि यह लोग आ कर क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं ? सभापति महोदय, बात यह है कि जो यहां एक एक काम हो रहा है उस में हमारे गृह मंत्री जी का भी हाथ होता है । उन के हाथ में क्या है । यह दलबन्दी की सरकार है । जिस ने दल को मदद दी उस को ओहदा दे दिया । जिस को देश ने वोट नहीं दिया उस को सरकार ने डिप्टी गवर्नर बना दिया ; अंग्रेज़ी राज्यकाल में हमारे सूबे में एक न्योरा नाम की बस्ती थी । अभी भी है । उस बस्ती की उस जमाने में बहुत चलती थी ।

उस बस्ती में एक लड़का एक मौलवी के यहां पढ़ता था । मौलवी जी ने लड़के को एक दिन एक तमाचा मारा और लड़का रोता हुआ घर गया । मां उधर से आती है और क्या कहती है ?"मौलवी साहब, मौलवी साहब, ऐसा काम न करें, लड़के को न मारें । लड़का नहीं पढ़ेगा तो कम से कम डिप्टी मैजिस्ट्रेट तो होगा" । नहीं पढ़ेगा तब डिप्टी मैजिस्ट्रेट होगा । उसी तरह हमारे मंत्रियों के बारे में भी है । लोग उन को वोट दें या न दें, कोई परवाह नहीं, नेहरू जी ख़ुश हैं तो गवर्नरी या डिप्टी गवर्नरी तो रखी हुई है ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का इस मंत्रालय से क्या सम्बन्ध है ?

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, यही सरकार का न्याय है ।

डा० काटजू : न्याय की तस्वीर है ।

बाबू रामनारायण सिंह : यही न्याय कर रहे हैं और उसी को देख रहे हैं और लोगों को चोट लग रही है ।

सरदार ए०एस० सहगल : (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं वह इस विषय से बिल्कुल परे है जिस पर कि इस समय आप के सामने चर्चा हो रही है और इसका कोई सम्बन्ध उस विषय से नहीं है ।

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, विधान का नियम है, सारी दुनिया का नियम है कि न्याय विभाग को जहां

तक हो सके स्वतन्त्र रखा जाय और मेरी तो यह राय है कि किसी देश में, और खास कर इस देश में, न्याय विभाग की सब से प्रधानता होनी चाहिये । लेकिन दुख तो यह है कि जैसा कि अभी कहा गया चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, सब को गृह मंत्री महोदय बहाल करेंगे । यों तो प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) करते हैं लेकिन इसमें कोई ज्यादा फर्क की बात नहीं है । तो अब इस का क्या मतलब कि हाई कोर्ट की जजशिप से या और जगह से रिटायर कर गये, पेंशन मिल गई लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी गवर्नर बनाया जाता है । यह कैसी बात है ? इस बात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिये और मैं कहता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, एक जमाने में यहीं पर एक बार ऐसा हुआ कि किसी एक हाई कोर्ट में कुछ फैसला हुआ था जिस को यह सरकार पसन्द नहीं करती थी । तो एक मंत्री ने यहां पर कहा था कि जुडीशियिल (न्यायपालिका) और एक्ज़ीक्युटिव (कार्यपालिका) डिपार्टमेंट (विभाग) से युद्ध हो रहा है यानी चूंकि जुडिशियल डिपार्टमेंट (न्यायपालिका विभाग) ने एक्ज़ीक्युटिव (कार्यपालिका) के मुताबिक़ काम नहीं किया इसलिये युद्ध हो रहा है । और मैं समझता हूं कि उसी युद्ध को मिटाने के लिये, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, और जुडीशियल डिपार्टमेंट को भ्रष्ट करने के लिये, जुडीशियल डिपार्टमेंट के लोगों को गवर्नर बनाया जाता है । यह कभी नहीं होना चाहिये बल्कि जो हुआ है उसे रद्द कर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत कहनी हैं लेकिन जैसा कि हो रहा है कि एक एक विभाग की बहस एक एक घंटे में खत्म हो और न्याय विभाग जिस की कि इतनी जरूरत है उस की भी बहस एक एक घंटे में हो और हम लोगों को १५ मिनट टाइम मिले, यह सब अन्याय ही तो है और है क्या ?

अब ज़रा माइनारिटी (अल्पसंख्या) की बात को तो लीजिये, उस के बारे म में क्या कहूं । इस के बारे में तो ज़रा सा भी सोचने पर मुझे दुख मालूम होता है । कभी तो आयंगर साहब को सुनते हैं, कभी और मंत्री लोग यहां आ कर सीधे सीधे बोल देते हैं । इस पार्लियामेंट में बोल देते हैं कि हम लोग क्या करें, पाकिस्तान तो कोई बात सुनता ही नहीं । जितना एग्रीमेंट (समझौता) होता है वह उस एग्रीमेंट के मुताबिक़ कोई काम करता ही नहीं इन लोगों को कहने में कुछ लज्जा मालूम होनी चाहिये । यह कैसे कहते हैं कि नहीं सुनता, नहीं सुनता, नहीं सुनता। अरे नहीं सुनता तो और मत करो । जैसी कि कल बात हो रही थी, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान से युद्ध हो, मैं नही चाहता कि पाकिस्तान से झगड़ा हो, पाकिस्तान वाले भी हमारे भाई थे, साथ साथ रहते थे, लड़ते थे । लेकिन जिस किसी के अक्ल हो उस को तो यह बात याद रखनी चाहिये कि यह जीवन तो युद्ध का है, और जो युद्ध के लिये तैयार नहीं है उसे दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है । इतनी अक्ल तो सरकार को होनी चाहिये । पाकिस्तान से और हिन्दुस्तान से न जाने कितने एग्रीमेंट (समझौते) हुये और कहा जाता है, लोगों को कहने में भी संकोच और डर नहीं लगता है, लज्जा नहीं लगती है, कि पाकिस्तान मानता ही नहीं, हम क्या करें ? मैं कहता हूं कि भाई कम से कम इतना तो करो कि जब १, २, ३, ४, या १०, २० एग्रीमेंट हो गये और वह बात मानता नहीं तो इतनी मानवता तो होनी चाहिये कि उससे एग्रीमेंट न करो, उस से बात न करो । इतना तो होना चाहिये, सो नहीं, निर्लज्ज की तरह लोग बैठ

[बाबू रामनारायण सिंह]

कराची में या दिल्ली में और कहते हैं कि एग्रीमेंट कर रहे हैं।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : इन अनुदानो पर चर्चा के लिये जो थोड़ा सा समय दिया गया है वह इस प्रकार नष्ट हो रहा है। जिस मांग पर चर्चा हो रही है उस पर वह कुछ कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस मांग का विधि तथा अल्पसंख्या दोनों से सम्बन्ध है।

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, उन लोगों को और कुछ काम तो है नहीं, उन लोगों को तो सिर्फ वोट दे देना है, इसलिये उनको समझने की क्या जरूरत है।

एक बात मैं अपने मित्र प्रधान मंत्री नेहरू जी से कहूंगा कि हमारे देश में एक व्यक्ति की इज्जत और रक्षा के लिये बड़े बड़े संग्राम हुये हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत से लोग तो यहां आ कर मरे मराये बस गये लेकिन अभी कितने लाख पूर्वी पाकिस्तान में हैं और वे लोग आप की तरफ़ निगाह लगाये बैठे हैं, आप की तरफ़ देखते हैं, आप की बात सोचते हैं और आप से रक्षा की आशा करते हैं। मैं कहता हूं, नेहरू जी से कहता हूं कि आपका क्या धर्म है कि जो आप के शरणागत हो, जो आप की शरण में आना चाहता हो, जो आप की तरफ़ रात दिन रक्षा के लिये देखता हो उसे आप जल्लादों के हाथ में छोड़ दें कि जिस तरह से उन के साथ बर्ताव किया जा रहा है किया जाय। क्या यह धर्म है ; यह मामूली बात नहीं है। एक आदमी नहीं लाखों की तादाद में लोग दुखी हैं, हमारी सरकार की तरफ़ ताक रहे हैं।

एक बात और कह कर मैं खत्म करूंगा। कई बार बात होती है तो हमारे नेहरू जी उठते हैं और कहते हैं कि जो भी हो, "पाकिस्तान हैज़ कम टु स्टे" (पाकिस्तान का अस्तित्व कायम हो चुका है)।

बड़ी खुशी की बात है, पंडित जी कहते ही हैं। और मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि "पाकिस्तान जिन्दाबाद"। मैं नेहरू जी से जो कि उन के बड़े समर्थक बन रहे हैं कह देता हूं और साथ ही साथ उन लोगों से भी कह देता हूं जो कि पाकिस्तान के समर्थक हैं कि जब तक पाकिस्तान के लोग हमारे लोगों को सताते रहेंगे तब तक पाकिस्तान का सिंहासन डांवांडोल ही रहेगा। उन को न्याय पर आना ही पड़ेगा और इसी बुनियाद पर वह बना है।

अभी कुछ दिन हुये यहां पर मेरे मित्र अलगू राय शास्त्री जी ने कहा था, "जो लोग वहां से आये हैं उन को वहीं भेज कर बसाया जाय"। बात तो सही है। मगर जो लोग यहां पर भाग कर आये हैं अगर उन को वहां पर भेजा जाय तो क्या वह सुरक्षित रह सकेंगे विशेषकर इस सरकार की बदौलत सुरक्षित रह सकेंगे जो कि नपुंसक हो गई है। वह करना चाहती तो बहुत कर सकती है मगर वह कर नहीं सकती है। उम्मीद तो यह होनी चाहिये कि जो हमारे लोग वहां पर रह गये हैं उन की हर प्रकार से रक्षा की जाय और उन को हर प्रकार का सुख पहुंचाया जाय।

मुझे अधिक नहीं कहना है। सिर्फ़ सरकार से यह कहना है कि जो हमारे लोग पूर्वी बंगाल में हैं उन की रक्षा की जानी चाहिये और उन की रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर हम उन की रक्षा नहीं करते तो हमारा धर्म भी जाता है ?

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं सदन के सम्मुख अप्रैल, १९५० के समझौते के विषय में निवेदन करना चाहता हूं । यह समझौता बड़े नाजुक वक्त पर किया गया था, जब कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख यह घोषणा कर दी थी कि यदि पाकिस्तान ने अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया तो हमें अन्य उपाय करने पड़ेंगे । उस समय पाकिस्तान के प्रधान मंत्री दिल्ली आये थे और तब दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच यह समझौता हुआ था । यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के निवासियों के लाभ के लिये था । जब यह समझौता हुआ उस समय दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को बड़ा लाभ हुआ। हम कलपना नहीं कर सकते कि बिना इस समझौते के उन की क्या दशा हुई होती । लाखों व्यक्ति जो पाकिस्तान और भारत में भी, रोक लिये गये थे, उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार आनै जाने की छूट मिल गयी । पहले जो व्यक्ति एक देश से दूसरे में चले गये थे वे अपने अपने घर वापस लौट गये और उन्हें अपना घर और सम्पत्ति वापस मिल गये ।

समझौते के पश्चात् दोनों सरकारों ने जिला प्रमुखों को सख्त हिदायत्तें भेज दीं कि इस समझौते का पूर्ण रूप से पालन हो । रंगपुर जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट ने कड़ाई से इस आदेश का पालन किया तथा किसी मुसलमान को हिन्दुओं के खाली किये गये मकान पर अधिकार नहीं करने दिया तथा निष्कासित हिन्दुओं से वापस आने को कहा । हिन्दू हजारों की संख्या में वहां वापस गये । किन्तु छः या नौ मास पश्चात् मालूम नहीं क्यों, उस पुलिस सुपरिन्टेंडेंट का उस जिले से स्थानान्तरण कर दिया गया । इसके बाद फिर वहां कुछ स्थानों पर दंगा प्रारम्भ हो गया तथा कुछ लोगों को वहां के कुछ क्षेत्रों से पुनः निकाल दिया गया । शेष लोग वहां अपना करुणाजनक जीवन बिताने के लिये रह गये । अब दो मास से ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान सरकार ने न केवल उस समझौते को भुला दिया है वरन् पाकिस्तान के सीमान्त क्षेत्रों में उसके विपरीत हिदायतें भेज दी हैं ।

अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं ने प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि केवल दो मास हुये वहां से ३०० शान्तिमय परिवारों को निकाल दिया गया । अंसार लोग पाकिस्तान पुलिस की सहायता से वहां के हिन्दुओं पर जुल्म ढा रहे हैं । उन्हें अपने मकानों से निकाल कर वहां पर मुसलमान शरणार्थियों को बसा दिया जाता है । यह सब उक्त समझौते की उपेक्षा नहीं तो क्या है ? स्वयं हमारे प्रधान मंत्री अब कुछ निराश से दिखलाई पड़ते हैं। इस सदन में कई बार उन्होंने अपनी असहायता व्यक्त की है। क्या पाकिस्तान को इस परिस्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं करना चाहिये ? क्या यह समझौता भारत के ही हित में था, पाकिस्तान के हित में नहीं ? यदि इसी प्रकार की स्थिति जारी रही तो हमारे प्रधान मंत्री की सहनशीलता समाप्त हो जायगी । क्या पाकिस्तान यह समझता है कि वह अपने यहां के अल्पसंख्यकों के साथ कैसा ही व्यवहार क्यों न करे, वह सुरक्षित रहेगा ? ऐसा समझना पाकिस्तान सरकार की एक महान् भूल होगी । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ने तो इस समझौते को पूरी तरह कार्यान्वित करने का यथासम्भव हरेक प्रयत्न किया है ।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हमारी सरकार भी सतर्क रहे । जब हमारी सरकार यह बात स्वीकार करती है कि पाकिस्तान द्वारा

[श्री बर्मन]

उस समझौते में किये गये वायदे पूरे नहीं किये जा रहे हैं तो उसे गम्भीरतापूर्वक इस स्थिति का निदान सोचना चाहिये । मेरा निवेदन है कि इन घटनाओं की जांच करने के लिये सरकार एक जांच आयोग की नियुक्ति करे और यदि सम्भव हो तो पाकिस्तान सरकार के सहयोग से एक संयुक्त आयोग नियुक्त करे । आखिर, इस प्रकार की स्थिति कब तक चली जा सकती है ?

इसके पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, २८ जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थागित हो गई ।